रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1993/चैत्र 10, 1915
No. 200] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1993/CHAITRA 10, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 1(आर ई)/92--97

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

का.आ. 222(अ).—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के उपाबन्ध में निहितानुसार निर्यात-आयात नीति, 1992--97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1993) को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है। नीति का यह संशोधित संस्करण 1 अप्रैल, 1993 से लागू होगा।

[फाइल सं. आई पी सी/4/5(339)/92/97]

चन्द्र किशोर मोदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(आरई)/92/97 दिनांक 31 मार्च, 1993 का

उपाबन्ध

निर्यात एवं आयात नीति
1 अप्रैल 1992—31 मार्च 1997
(31 मार्च, 1993 तक यथा संशोधित)
वाणिज्य मंत्रालय
भारत सरकार
मार्च, 1992
संशोधित संस्करण, मार्च, 1993

संशोधित संस्करण का आमुख

31 मार्च, 1992 को घोषित निर्यात-आयात नीति 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1997 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिये प्रभावी है और आठवीं योजना अवधि के साथ-साथ समाप्त होगी। इस नीति की घोषणा से आयात नियंत्रण अधिनियम, 1947 के स्थान पर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 रखा गया है और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का पदनाम महानिदेशक, विदेश व्यापार कर दिया गया है। नये अधिनियम के उपबन्ध तथा नया पदनाम नियंत्रण और विनियमन के बजाय विदेश व्यापार के संवर्धन तथा विकास के प्रति चालू नीति के लक्ष्य और उसको आगे बढ़ाने की गति को अधिक स्पष्ट शब्दों में प्रतिबिम्बित करते हैं।

2. नीति की घोषणा के समय यह भी व्यक्त किया गया था कि नीति का मूलदर्शन, जहां कहीं भी आवश्यक हो, लाइसेंसिंग प्रतिबन्धों और स्वविवेकपूर्ण नियंत्रणों को निरस्त करके टैरिफ प्रणाली के द्वारा निर्यात और आयात को विनियमित करना है। वर्ष के दौरान यह लक्ष्य यथार्थ रूप में प्राप्त किया गया है। उदारीकरण की गति बढ़ी है और भविष्य में इस दिशा में आगे प्रयास करने की प्रत्याशा है।

3. निर्यात प्रयासों को आगे बढ़ाने और अनेक स्कीमों में बेहतर सुधार करने तथा उनको सुगमता से

लागू करने के लिये 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी नीति में कुछ परिवर्तन किये गये है जिससे कि संदिग्धता और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करके उन्हे अधिक आकर्षक और स्पष्ट किया जा सकता है।

नीति में किए गए कुछ परिवर्तन इस प्रकार है :—

(1) कृषि एवं सेवा क्षेत्रों में उत्पादन, आधुनिकीकरण और प्रतियोगितात्मकता का संवर्धन करके कृषि और सेवा क्षेत्र में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के विचार से चालू निर्यात-आयात नीति के मुख्य उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया गया है ।

(2) पूंजीगत माल की परिभाषा विस्तृत की गई है ताकि इसकी परिधि में कृषि, खनन और सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाया जा सके । इससे सीमाशुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल के आयात क्षेत्र में वृद्धि होगी तथा इन क्षेत्रों में निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(3) सेवा क्षेत्र के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल के लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम शुरू की जा रही है जिसमें वास्तुविदों, डाक्टरों, नैदानिक केन्द्रों, अर्थ-शास्त्रियों, पत्रकारों, वकीलों आदि जैसे व्यवसायिक सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षित उपस्करों का आयात 15% सीमा-शुल्क की रियायती दर पर कर सकेंगे । उनके मामले में भारत और/या विदेश में की गई सेवाओं के लिए मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त राशि से निर्यात आभार की पूर्ति संबंधित है ।

(4) तदनन्तर, ई पी सी जी योजना के अंतर्गत केवल एक ही 15% सीमाशुल्क की छूट होगी । 25% सीमाशुल्क की वैकल्पिक छूट अब समाप्त कर दी गई है । इसके अति-रिक्त, यदि किसी निर्यातक का कुल निर्यात आभार 75% या अधिक है तो ई पी सी जी स्कीम के अंतर्गत कोई अति-रिक्त निर्यात आभार नहीं होगा ।

(5) निर्यातों की निषेधात्मक सूची में 72 मदों तथा अन्य 72-उप-मदों अर्थात् उनमें से कुल 144 प्रविष्टियों को हटाकर पर्याप्त सुधार किया गया है और शेष मदों को केवल तीन भागों में पुनः गुणवार कर दिया गया है । बिना लाइसेंस के निर्यात के लिए अनुमित लेकिन कतिपय शर्तों के अध्यधीन आने वाली मदों को एक सार्वजनिक सूचना में सूचीबद्ध कर दिया गया है । निर्यात सम्बन्धी प्रक्रियाएं सरल कर दी गई है ।

(6) ई. पी. सी. जी. तथा शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित बैंक गारण्टी की धनराशि कम कर दी गई है और तत्सम्बन्धी प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है । लघु क्षेत्र के विनिर्माता निर्यात को और भी लाभ देने के लिए विधिक बचनबद्धता (एल यू टी) के दायरे में आने वाली सामान्य बैंक गारण्टी के 50% की अनुमति दी गई है ।

(7) अनुमेय प्रोत्साहनों की पात्रता के साथ-साथ निर्यात गृहों, व्यापार गृहों तथा स्टार व्यापार गृहों को मान्यता प्रदान करने की कसौटी अब निवल विदेशी मुद्रा अर्जनों की बजाय निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से सम्बद्ध है।

(8) कृषि और इसके सहायक क्षेत्रों में निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन जोन यूनिटों के संबंध में घरेलू टेरिफ बिक्री को उनके उत्पादन के 50% तक इस शर्त के अध्य-धीन अनुमत किया गया है कि वे न्यूनतम मूल्य संयोजन और निर्यात आभार को पूरा करते हों । इसके साथ ही निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन जोन की यूनिटों के लिए मूल्य संयोजन के फार्मूले को देशी स्त्रोतों से प्राप्त निवेश की नहीं बल्कि केवल वास्तविक आयातों की गणना करके, और इसके साथ-साथ पूंजीगत सघन परियोजनाओं में पूंजीगत माल का लम्बी अवधि में ऋण चुकाने की अनुमति देकर युक्तिसंगत बनाया गया है ।

(9) रिफेक्ट्रीज, रबड़ का माल (टायरों के लिए, मोल्डस सहित) ग्लास और ग्लास वेयर्स जिसमें वैक्यूम फ्लास्क भी शामिल है, को उन क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है जो लाइसेंस के बिना पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए पात्र है ।

(10) आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के विनिर्माताओं को असुविधा से बचाने के लिए अपरिष्कृत औषधियों की एक अपेक्षित सूची विनिर्दिष्ट की गई है ।

(11) देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तर के संगठनों, संघों और ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को बिना लाइसेंस के विनिर्दिष्ट श्रेणियों के खेल के सामान का आयात करने की अनुमति दी गई है ।

(12) शुल्क छूट योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ विशेष कमियों को दूर करने में विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उनके संभावित दुरूपयोग में बचा जा सके और निर्यात आभारों को पूरा करने का सरल प्रबोधन उपलब्ध करवाया जा सके ।

(13) महानिदेशक, विदेश व्यापार के कार्यालय में एक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है ताकि विदेशी खरीददारों से निर्यात किए गए माल की गुणवत्ता आदि से संबंधित शिकायतों आदि का निदान शीघ्रता से किया जा सके और अधिनियम के अंतर्गत जहां कहीं आवश्यक हो, कार्रवाई की जा सके ।

4 गत कई वर्षों से इस संगठन की अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों को चरणबद्ध रूप में कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस दिशा में हमारे प्रयासों की शृंखला में आयात-निर्यात लाइसेंसों को जारी करने के काम को कम्प्यूटरीकरण के दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है और आशा है कि अगले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान इस संगठन के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे मूर्त रूप दे दिया जाएगा ।

5. निर्यात और आयात नीति, प्रक्रिया पुस्तक और मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड (शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत) के संशोधित संस्करण प्रकाशित किए गए हैं और इनमें 31 मार्च, 1993 तक किए गए सभी परिवर्तनों का सम्मिलित किया गया है। ये संशोधित संस्करण 1-4-1993 से मूल संस्करणों का स्थान लेंगे इससे व्यापार और उद्योग को पिछले एक वर्ष के दौरान संबंधित संशोधित संस्करणों में किए गए संशोधनों को सम्मिलित करने में सहायता मिलेगी। सरलता से संदर्भ प्राप्त करने की सुविधा की दृष्टि से एक विस्तृत विषय सूची भी दी गई है जिसमें नीति के पैराग्राफों का प्रक्रिया पुस्तक के संबंधित पैराग्राफों से समक्ष लाने का प्रयास किया गया है।

6. मैं अपनी कर्तव्य परायणता में असफल रहूंगा यदि मैं इस समूचे संगठन और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त न करूं जिन्होंने इस नीति को अद्यतन करने और संशोधन करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं वाणिज्य मंत्रालय में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के कम्प्यूटर केन्द्र और भारत सरकार मुद्रणालय को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

(चन्द्र किशोर मोदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

नई दिल्ली,
31 मार्च, 1993

अध्याय- एक

भूमिका

1. अधिसूचना:—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का संख्यांक 18) की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 1992—97 की अवधि के लिए निर्यात एवं आयात नीति को 31 मार्च, 1992 को अधिसूचित किया (इसके बाद जो नीति के रूप में संदर्भित है)। यह अधिनियम पहले ही निरस्त कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 22) लाया गया है। (इसके बाद जो अधिनियम के रूप में संदर्भित है)। इस नीति को अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचित किया गया माना जाए।

2. विनियोग एवं अवधि :—यह नीति 1 अप्रैल, 92 से लागू हुई तथा पांच वर्ष की अवधि तक अर्थात् 31 मार्च, 1997 तक प्रभावी रहेगी।

3. संशोधन:—इस नीति में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार जनहित में अधिकार सुरक्षित रखती है। कोई भी संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा।

4. अन्तर्वर्ती व्यवस्था :—पूर्ववर्ती निर्यात-आयात नीतियों के अंतर्गत कोई भी जारी की गई अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना या अन्य परिवर्तन तथा जो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू थे, यदि इस नीति के प्रावधानों से असंगत न हों, प्रभावी बने रहेंगे तथा इस नीति के अंतर्गत किए गए, जारी किए गए या निष्पादित किए गए माने जाएंगे। इस नीति से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस उनमें अनुमित मदों के आयात-निर्यात के लिए मान्य बने रहेंगे।

5. यदि इस नीति के अंतर्गत मुक्त रूप में अनुमित कोई निर्यात या आयात बाद में किसी प्रतिबंध या विनियमन के अध्यधीन किया जाता है, तो जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया जाए, तब तक ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के होते हुए भी सामान्य रूप से ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध के लागू होने से पहले संस्थापित किए गए किसी अप्रतिसंहरणीय साखपत्र द्वारा समर्थित किसी फर्म आदेश के मद्दे ऐसे प्रतिबंध के लागू होने के 60 दिनों के भीतर निर्यात या आयात के लिए पोतलदान किया गया हो।

अध्याय-दो

उद्देश्य

6. इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(क) भारत के विदेश व्यापार को विश्वव्यापी बनाने के लिए ढांचे को स्थापित करना;

(ख) भारतीय उद्योग की उत्पादकता, आधुनिकीकरण एवं प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देना तथा इनके निर्यात सामर्थ्य को बढ़ाना;

(ग) माल की गुणावस्था के अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्तरों को प्राप्त करने और उच्च बनाने के लिए प्रोत्साहन देना जिससे कि विदेश में भारत के उत्पादों की छवि को बढ़ावा मिले;

(घ) भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्यों तथा पूंजीगत माल आसानी से उपलब्ध करवाना;

(ङ) व्यापार के लिए विनियंत्रित ढांचे के अंतर्गत प्रभावी एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी आयात प्रतिस्थापन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना;

(च) भारत के विदेश व्यापार पर कुप्रभाव डालने वाले मात्रिक, लाइसेंसिंग और अन्य विवेकाधीन नियंत्रणों को कम अथवा समाप्त करना;

(छ) देश में अनुसंधान तथा विकास और प्रौद्योगिकीय सामर्थ्य को प्रोत्साहन देना, और

(ज) निर्यात एवं आयात को संचालित करने वाली प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना।

अध्याय—तीन

परिभाषाएं

7. इस नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:—

(1) "उपांग" या "संलगनी" का अर्थ है एक पुर्जा, उपसंयोजक अथवा सयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक टुकड़े की कार्यसाधकता को सहयोग देता है ।

(2) "अधिनियम" का अर्थ है—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 22) ।

(3) "वास्तविक उपयोक्ता" का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है ।

(4) "वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपनी निजी यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा बाहर का ठेका लेने वाली यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए विनिर्माण के लिए आयातित माल का प्रयोग करता है ।

(5) "वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्न में इस्तेमाल करता हो:—

(1) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो; या

(2) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल; या

(3) कोई भी सेवा उद्योग ।

(6) "आवेदक" का अर्थ है :—

(1) मालिक; या

(2) किसी फर्म का कोई हिस्सेदार; या

(3) (क) किसी कम्पनी या किसी निगम का मुख्य कार्यपालक या कोई अन्य विधिक व्यक्ति; या

(ख) किसी कम्पनी या किसी निगम का कोई पूर्णकालिक निदेशक; या

(ग) किसी ऐसी कम्पनी या निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् प्राधिकृत कोई कर्मचारी या किसी सहकारिता समिति सहित कोई अन्य विधिक व्यक्ति ।

(7) "पूंजीगत माल" का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विनिर्माण या उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नति या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है । पूंजीगत माल में पैकेजिंग मशीनरी और उपस्कर, रिफैक्टरी, रेफ्रीजरेशन उपस्कर, ऊर्जा उत्पादक सेट, मशीन के औजार तथा प्रारम्भिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक तथा परीक्षण, शोध और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर तथा संयंत्र भी शामिल है । पूंजीगत माल का विनिर्माण, खनन, एक्वाकल्चर, पशुपालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन और रेशम उत्पादन तथा साथ ही सेवा क्षेत्र में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है ।

(8) निर्यात और आयात के "सरणीबद्ध" का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा नामजद की गई एजेंसियों के माध्यम से निर्यात और आयात करना ।

(9) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है—वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत दिए गए आदेशों अथवा इस नीति के तहत किसी अधिकार का प्रयोग करने, किसी कार्यभार अथवा कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो।

"संघटक" का अर्थ है वह संयोजन या सयोजन का वह पुर्जा जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए और जिसमें सहायक या उपयोगी भी शामिल है।

(11) "उपभोज्य" माल का अर्थ है कोई मद जिसको विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाना है या जिसकी आवश्यकता होती है परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग नहीं होती है। मदें जिनको निर्माण के दौरान वास्तविक रूप में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मद माना जाएगा।

(12) "उपभोक्ता माल" का अर्थ खपत के उस माल से है जो आगामी संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा करेगा और इसमें उपभोक्ता के लिए टिकाऊ माल भी शामिल होगा।

(13) "प्रतिसंतुलन व्यापार" (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस प्रक्रम से है जिसके अन्तर्गत व्यापार समझौता या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से अथवा तीसरे देश के जरिये सीधे सीधे आयात/निर्यात भारत के आयात/निर्यात से संतुलित होते हों। प्रतिसंतुलित व्यापार (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमति एस्क्रो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है।

(14) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के सम्बन्ध में "शुल्क वापसी" का अर्थ है किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती।

(15) "उत्पाद शुल्क देय माल" का अर्थ है— कोई माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का एक) के तहत उत्पाद शुल्क के अधीन हो।

(16) "निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक-आयातक कोड नम्बर धारी हो।

(17) "निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन" का अर्थ है "निर्यातक" जिसके पास महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी किया गया निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण पत्र हो।

(18) "निर्यात आभार" का अर्थ है— लाइसेंस अथवा अनुज्ञा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अथवा यथा-निर्दिष्ट मात्रा, मूल्य या दोनों में निर्यात करने का आभार।

(19) "आयातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो आयात करता है, आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारी हो।

(20) "अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर पुनः अदायगी स्कीम" का अर्थ है वह स्कीम जिसमें निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त विशेष निवेश के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच अन्तर के बराबर धनराशि की पुनः अदायगी करने की व्यवस्था हो।

(21) "लाइसेंस" का अर्थ है अधिनियम के अन्तर्गत मंजूर किया गया कोई लाइसेंस।

(22) "लाइसेंस प्राधिकारी" का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो।

(23) "लाइसेंसिंग वर्ष" का अर्थ उस वर्ष से है जो प्रथम अप्रैल, से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।

(24) "विनिर्माण का अर्थ है— विशेष नाम, गुण उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया, उत्पन्न किया, बढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो तथा इसमें प्रक्रियाएं शामिल है, जैसे रेफ्रीजरेशन पुनः पैकिंग, पालिशिंग, लेबल लगाना तथा वियोजन इस नीति के प्रयोजन हेतु विनिर्माण में कृषि एक्वाकल्चर पशुपालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन तथा रेशन उत्पादन भी शामिल है।

(25) "विनिर्माता निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो माल का निर्माण करता है तथा उनका निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है।

(26) "व्यापारी निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यातक के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो।

(27) "अधिसूचना" का अर्थ उस अधिसूचना से है जो राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

(28) "आदेश" का अर्थ अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आदेश से है।

(29) "पुर्जे" का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामन्यतया स्वयं उपभोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के लिए संशोधन करने के योग्य न हो। "पुर्जा" एक संघटक अथवा उपसाधक हो सकता है।

(30) "व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कम्पनी, कार्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति।

(31) "नीति" का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात-आयात नीति, 1992—97 से है।

(32) "निर्धारित" का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 अथवा इसके तहत अथवा इस नीति के अन्तर्गत बनाए गए नियम या आदेश।

(33) "सार्वजनिक सूचना" जनता की सूचना के लिए नीति के तहत प्रकाशित सूचना।

(34) "कच्ची सामग्री" का अर्थ है—

(1) मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है परन्तु वह कच्ची, स्वाभाविक अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हो।

(2) किसी विनिर्माता के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या उनको संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या स्वाभाविक अवस्था में हो।

(35) "पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र" का तात्पर्य अध्याय 13 में सूचीबद्ध किसी निर्यात संवर्धन परिषद या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सदस्यता तथा पंजीकरण के प्रमाण-पत्र से है।

(36) "नियम" का अर्थ अधिनियम के खण्ड-19 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम से है।

(37) "अतिरिक्त पुर्जा" का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। अतिरिक्त पुर्जे में संघटक या सहायक उपकरण शामिल होते है।

(38) "विनिर्दिष्ट" का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है।

अध्याय–चार

निर्यात एवं आयात से सम्बन्धित सामान्य प्रावधान

8. विनियमित होने की स्थिति के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से निर्यात एवं आयात .

इस नीति के प्रावधानों अथवा देश के अन्य सम्बद्ध कानूनों द्वारा विशेषतया विनियमित को छोड़कर समस्त निर्यात एवं आयात मुक्त होगा।

9. विनियमन का प्रकार .

केन्द्र सरकार लोकहित में आयात अथवा निर्यात किए जाने वाले माल को आयात के लिए निषेधात्मक सूची अथवा निर्यात के लिए निषेधात्मक सूची, जैसाकि मामला हो, के द्वारा विनियमित करेगी।

10. निषेधात्मक सूचियां .

निषेधात्मक सूचियों में आयात अथवा निर्यात किए जाने वाला वह माल है जो लाइसेंसिंग द्वारा अथवा अन्यथा रूप से अथवा सरणीबद्ध रूप से प्रतिबंधित है। आयात की निषेधात्मक सूची तथा निर्यात की निषेधात्मक सूची इस नीति में दी गई अनुसार होगी।

11. **निषिद्ध माल :**

निषिद्ध माल का आयात अथवा निर्यात नहीं किया जाएगा ।

12. लाइसेंसिंग :

कोई भी माल जिसका निर्यात अथवा आयात लाइसेंसिंग के द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा।

13. शर्तें

लाइसेंस पर शर्तें लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट होंगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य,

(ख) वास्तविक उपभोक्ता शर्तें, यदि कोई है ;

(ग) निर्यात आभार, यदि कोई है;

(घ) प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संयोजन, यदि कोई है ;

(ङ) न्यूनतम निर्यात मूल्य, यदि कोई है; और

(च) उद्गम का देश अथवा माल का गंतव्य स्थल।

14. वैधता की अवधि

प्रत्येक लाइसेंस विशिष्टीकृत अवधि तक होगा और यदि लाइसेंस में कोई अवधि नहीं दी गई है तो वह लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च तक वैध होगा।

15. लाइसेंस अधिकार नहीं

कोई भी व्यक्ति लाइसेंस को अधिकार समझकर नहीं ले सकता तथा लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस देने से इंकार करने का अधिकार रखता है।

16. प्रक्रिया .

महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी एक मामले में अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग सक्षम अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों इसके अधीन बने आदेश तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। ऐसी प्रक्रियाएं प्रक्रिया पुस्तक में शामिल की जाएंगी तथा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। इसी तरह ऐसी प्रक्रियाओं को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

17. सरणीकरण :

कोई भी मद जिसका आयात अथवा निर्यात सरणीबद्ध किया गया है, निषेधात्मक सूची में विशिष्टीकृत सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा आयात अथवा निर्यात किया जाएगा। तथापि, महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी सरणीबद्ध मद के आयात अथवा निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस दे सकता है।

18. आयातक-निर्यातक कोड नम्बर .

महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी आयातक-निर्यातक कोड (आई ई सी) नम्बर प्रदान करेगा। इस नीति के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत विशेषतया प्राप्त छूट के अतिरिक्त आयात-निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना कोई भी व्यक्ति निर्यात अथवा आयात नहीं कर सकेगा।

19. कानून का अनुपालन

प्रत्येक निर्यातक या आयातक को विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस की शर्तों तथा साथ ही उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

20. नीति का स्पष्टीकरण

इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो उक्त प्रश्न अथवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

21 नीति/प्रक्रिया में ढील

इस नीति अथवा किसी प्रक्रिया के प्रावधानों में ढील प्राप्त करने के अनुरोध को, आवेदक की वास्तविक कठिनाई अथवा नीति या प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने पर अथवा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना पर महानिदेशक,

विदेश व्यापार को आवश्यक होने के लिए भेजा जाए तथा उस पर महानिदेशक विदेश व्यापार जैसा उचित समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकता है या ऐसी छूट या राहत प्रदान कर सकता है। महानिदेशक विदेश व्यापार लोकहित में किसी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को इस नीति के किसी प्रावधान या किसी प्रक्रिया से छूट दे सकता है और ऐसी छूट देते समय जैसा कि वह उचित समझे ऐसी शर्तें लगा सकता है।

21क विदेशी केताओं से प्राप्त शिकायतों की निगरानी यदि महानिदेशक, विदेश व्यापार के ध्यान में यह बात आती है अथवा उसके पास इस बात पर विश्वास करने के कारण हों कि कोई निर्यात या आयात इस ढंग से किया गया हो जोकि (1) भारत का किसी भी बाहरी देश से व्यापारिक संबंधों के प्रति अधिक प्रतिकूल हो, या (2) निर्यातों या आयातों में लगे हुए अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल हो; या (3) देश की साख या लाभ को ठेस पहुंचा हो तो महानिदेशक, विदेश व्यापार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित निर्यातक या आयातक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

अध्याय—पांच

आयात

22 मुक्त आयात—पूंजीगत माल, कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्य पदार्थों, अतिरिक्त पुर्जों, उपसाधित्रों, यन्त्र और अन्य माल का आयात बिना किसी प्रतिबन्ध के किया जा सकता है जब तक कि उनका आयात, आयात की निषेधात्मक सूची या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा नियंत्रित न हो।

23 वास्तविक उपयोक्ता शर्तें—पूंजीगत माल, कच्चा माल, मध्यस्थ, संघटक, उपभोज्य पदार्थ, अतिरिक्त पुर्जे, उपसाधित्र, यन्त्र और अन्य सामान जिनके आयात पर प्रतिबन्ध नहीं है उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है चाहे वह वास्तविक प्रयोक्ता हो अथवा नहीं तथापि, यदि इनके आयात के लिये लाइसेंस की जरूरत हो, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात तब तक कर सकता है जब तक कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्द न किया जाये।

उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में आयातों की निषेधात्मक सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को छोड़कर उनके संघटकों, पुर्जों, अतिरिक्त पुर्जों तथा उपसाधित्रों का आयात वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यधीन बिना लाइसेंस के किया जा सकता है।

24 पुराना माल—पैरा 22 तथा 23 में कोई प्रावधान होते हुए भी पुराने पूंजीगत माल और अन्य पुराने माल का आयात तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस नीति द्वारा अनुमति न दी गई हो या उसके सम्बन्ध में जारी किये गये लाइसेंस के अनुसार न हो।

25 पुराने पूंजीगत माल का लाइसेंस के बिना आयात—इस नीति के परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पुराने पूंजीगत माल का आयात बिना किसी लाइसेंस के किया जा सकता है।

26 लाइसेंस के द्वारा पुराने पूंजीगत माल का आयात—किसी अन्य पुराने पूंजीगत अथवा अन्य पुराने माल के आयात की अनुमति लाइसेंस के तहत दी जा सकती है।

27 आवेदन-पत्र—पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिये लाइसेंस प्राधिकारी से आवेदन किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र में निम्नलिखित शर्तें होंगी —

(क) पुराने संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर तथा उपसाधित्रों का पूर्ण विनिर्दिष्टिकरण और कीमत (कच्चा बीजक) और यदि उपलब्ध हो तो उसके साथ पूंजीगत माल की अलग-अलग कीमत, उखाड़ने की लागत, भाड़े और बीमे का भी वर्णन हो,

(ख) संभरक द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन गारंटी,

(ग) ऐसे आयात के समर्थन में कारण और पृष्ठ-भूमि जिसमें वे लाभ भी शामिल हैं जो विनिर्माण किये जाने वाले एवं निर्यात किये जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों की पूंजी लागत, उत्पादन तथा कीमतों में होंगे, और

(घ) उक्त पूंजीगत माल की मियाद और अवशिष्ट जीवन-अवधि को सत्यापित करते हुए किसी व्यावसायिक निष्पक्ष सनदी इंजीनियर या जिस देश से पुराने पूंजीगत माल का आयात किया गया हो उसके इंजीनियरों की किसी संस्था से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र।

28 पुरानी मशीनरी के आयात की शर्तें—उपर्युक्त पैराग्राफ 25 और 26 द्वारा शामिल किये गये पुराने पूंजीगत माल सात वर्षों से अधिक पुराने नहीं होंगे तथा उनकी न्यूनतम अवशिष्ट जीवन अवधि पांच वर्षों की होगी। उपर्युक्त मामलों में सात वर्षों की शर्त में छूट दी जा सकती है। सभी मामलों में पुराने पूंजीगत माल का आयात वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अध्यधीन किया जायेगा।

29 अन्य पुराना माल—पूंजीगत माल को छोड़कर सभी पुराने माल का आयात केवल इस संबंध में जारी किये गये किसी लाइसेंस अथवा सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही किया जा सकता है।

30. पुनः निर्यात आधार पर आयात—निम्नलिखित पूंजीगत माल का आयात पुनः निर्यात आधार पर बिना किसी लाइसेंस के किया जा सकता है :

(क) सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सन्तुष्टि के अनुसार बन्धपत्र/बैंक गारंटी देने पर मरम्मत के लिये पूंजीगत माल का आयात;

(ख) जिग्स, फिक्सचर्स, डाईज (कन्टूर रोलर डाईज सहित), माउल्ड्स (डाई-कास्टिंग के लिये माउल्डस सहित) पैटरन मुद्रण औजार और लास्ट; और

(ग) निर्माण मशीनरी तथा अन्य उपस्कर

31. विदेशों में मरम्मत करवाना और बिना लाइसेंस के पुनः आयत करना—आयातित पूंजीगत माल या उनके पुर्जे (उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर) मरम्मत के लिये विदेश भेजे जा सकते हैं और बिना किसी लाइसेंस के पुनः आयात किये जा सकते है लेकिन शर्त यह है कि सीमाशुल्क विभाग इस तथ्य से सन्तुष्ट हो कि पुनः आयातित माल वही है, जिसका निर्यात किया गया था । वायुयान ओवर हालिंग तथा मरम्मत के लिए उसके इंजन और अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात तथा उनका पुनः आयात इस प्रावधान के अन्तर्गत बिना लाइसेंस के किया जा सकता है।

32. लाइसेंस के अधीन—देशी पूंजीगत माल जिसमें आयातित संघटक लगे हों यदि मरम्मत के लिये उन्हें विदेश भेजा जाना आवश्यक हो, तो उसे पुनः आयात के आधार पर महानिदेशक, विदेश व्यापार से ऐसे निर्यात के लिये एक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भेजा जा सकता है।

पुनः आयात के आधार पर ऐसे निर्यात के लिये महानिदेशक विदेश व्यापार से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद देशी पूंजीगत माल या पुर्जे या उनके संघटकों को परीक्षण, गुणवत्ता में सुधार या प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए विदेश में भेजा जा सकता है।

33. प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर का आयात—विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजना ठेकेदार विदेशी परियोजना के लिये क्रय और इस्तेमाल का साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर बिना लाइसेंस के प्रयुक्त निर्माण उपस्कर, मशीनरी, संबंधित अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा सहायक उपकरण आयात कर सकते हैं । विदेश में परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रयुक्त कार्यालय उपस्कर तथा वाहन भी बिना लाइसेंस के आयात किये जा सकते हैं लेकिन शर्त यह होगी कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया जा चुका हो।

34. उपहारों का आयात—उपहारों के आयात की अनुमति असबाब नियमावली 1976 के अनुसार दी जायेगी । किसी अन्य मामले में उपहारों के आयात के लिये ऐसे संस्थानों और प्रतिष्ठानों द्वारा सीमाशुल्क निकासी परमिट (सी सी पी) अपेक्षित होंगे जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें । आवेदन करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मामले के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किया जा सकता है । तथापि इस प्रकार का आयात विदेश अंशदायी (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अध्यधीन किया जायेगा ।

35. खुले सागर में बिक्री—भारत में आयात करने के लिये खुले सागरों में माल की बिक्री इस नीति या कुछ समय के लिये प्रचलित किसी अन्य कानून के अध्यधीन दी जायेगी ।

36. पड़ोसी देशों के साथ व्यापार—पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के मामले में महानिदेशक विदेश व्यापार समय-समय पर यथा-अपेक्षित विशेष अनुदेश जारी कर सकता है ।

अध्याय—छः

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

37. स्कीम—निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत माल का आयात लाइसेंस से किया जा सकता है।

38. रियायती शुल्क पर आयात—पूंजीगत माल (पूंजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10% तक के अतिरिक्त पुर्जों सहित) का आयात 15% के सीमा शुल्क की रियायती दर पर किया जा सकता है बशर्ते कि निर्यात आधार आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के चार गुना हो । निर्यात आभार आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।

39. पात्रता—स्कीम के अन्तर्गत विनिर्माता-निर्यातक इस नीति के पैराग्राफ 7(7) में यथा-परिभाषित पूंजीगत माल का आयात करने के लिये पात्र हैं । तथापि सेवा क्षेत्र के मामले में अध्याय-छः के प्रावधान लागू होंगे।

40. पूंजीगत माल के आयात के लिये शर्तें—इस स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत माल का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन होगा । इस स्कीम के अन्तर्गत नये तथा पुरानी दोनों पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है । पुराने पूंजीगत माल के आयात की स्थिति में अध्याय-पांच में दी गई सामान्य शर्तें लागू होंगी। वैयक्तिक मामलों में लाइसेंसिंग प्राधिकारी यथा उपयुक्त शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकता है।

41. निर्यात आभार—स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार को पूरा करने के लिये निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।

(1) निर्यात आभार इस स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल के इस्तेमाल द्वारा विनिर्मित या

उत्पादित माल के निर्यात द्वारा पूरा किया जायेगा।

(2) निर्यात आयातक के नाम से प्रत्यक्ष निर्यात होंगे न कि तीसरे पक्षों के जरिए ।

(3) निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में होगा।

(4) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे, अभिग्रहीत निर्यातों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) निर्यात आभार–आयातक द्वारा किये गये किसी अन्य निर्यात आभार के अतिरिक्त होगा तथा उसके द्वारा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में अर्जित किये गये एक ही या समान प्रकार के उत्पाद(उत्पादों) के निर्यातों के औसत स्तर के अतिरिक्त होगा । तथापि, शर्त यह है है कि यदि निर्यातक को निर्यात उत्पाद के वार्षिक उत्पादन मूल्य के 75% का निर्यात प्राप्त होता है, तो इस स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार को उस निर्यात के अन्तर्गत ही माना जायेगा।

(6) जहां निर्माता-निर्यातक ने इस स्कीम तथा शुल्क छूट स्कीम दोनों के अन्तर्गत एक ही निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिये लाइसेंस लिया हो, वहां शुल्क छूट स्कीम के अन्तर्गत किये गये निर्यात को भी इस स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार के निष्पादन के रूप में समझा जायेगा;

(7) कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात के मामले में निर्यात आभार पांच वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किये जाने वाले आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के चार गुने तक सीमित होगा और विगत औसत को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है; और

(8) लाइसेंसिंग प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर आयातक द्वारा निर्यातों के विगत स्तर को बनाये रखने से संबंधित शर्त में किसी भी स्थिति में छूट दे सकता है तथा निर्यात आभार के पांच वर्षों की अवधि में पूरा किये जाने वाले आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के चार गुना तक सीमित कर सकता है।

42. पूंजीगत माल को लीज पर देना :– कोई ईपीसीजी लाइसेंसधारी पार्टियों के मध्य किसी फर्म संविदा के आधार पर किसी घरेलू लीजिंग कम्पनी से पूंजीगत माल प्राप्त कर सकता है । ऐसे मामलों में घरेलू लीजिंग कम्पनी का नाम ई पी सी जो लाइसेंस पर पृष्ठांकित किया जाएगा ताकि पूंजीगत माल का शुल्क की रियायती दरों पर आयात हो सके और दो पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति की शर्तों पर ई पी सी जी लाइसेंस धारी को उसकी आपूर्ति हो सके । तथापि, निर्यात आभार ई पी सी जो लाइसेंसधारी का होगा । यदि ई पी सी जी लाइसेंसधारी संविदा का उल्लंघन करता है और परिणामस्वरूप लीजिंग कम्पनी पूंजीगत माल को पुनः वापस रख लेती है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ई पी सी जी लाइसेंसधारी से बैंक गारंटी विधिक बंधपत्र मांगा जाएगा ।

43. आवेदन की प्रक्रिया—स्कीम के अंतर्गत प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दिए जाएंगें ।

44. कम्प्यूटर सिस्टम्स का आयात :– साफ्टवेयर के आयात के लिए कम्प्यूटर सिस्टम्स का आयात भी पैरा 37 से 43 द्वारा शासित होंगे ।

45. एलयूटी और/या बैंक गारंटी :– जहां कहीं भी निर्यात आभार पूरा करना आवश्यक हो आयातक को बैंक गारंटी सहित एक विधिक वचनपत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साथ निष्पादित करना होगा । इस संबंध में विस्तृत विवरण प्रक्रिया पुस्तक में दिया गया है ।

46. एस के डी/सी के डी स्थिति वाले संघटकों और माल का आयात :— कोई व्यक्ति ई पी सी जो स्कीम के अंतर्गत एस के डी/सी के डी स्थिति वाले पूंजीगत माल या ऐसे पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है तथा जैसी कि स्थिति हो, पूंजीगत माल इकट्ठा कर सकता है या विनिर्मित कर सकता है। यह सुविधा पुर्जों के विस्थापन के लिए उपलब्ध नहीं होगी । पैराग्राफ 38 के अंतर्गत निर्यात आधार ऐसे आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के संदर्भ में निश्चित किया जाएगा तथा इस अध्याय के अन्य सभी प्रावधान ऐसे आयातों पर लागू होंगे ।

अध्याय-छः क

सेवा क्षेत्र के लिए

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

46 क. स्कीम :—सेवा क्षेत्र के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत उपस्कर का आयात ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जिनके लिए भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त हो। इस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत उपस्कर (पूंजीगत उपस्कर के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10% तक अतिरिक्त पुर्जों सहित) का आयात 15% सीमा शुल्क को रियायती दर पर किया जा सकता है बशर्ते कि निर्यात आभार आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का चार गुना हो । निर्यात आभार आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि में पूरा कर लिया जाएगा।

46. ख पात्रता :—सेवा प्रदान करने वाले निम्नलिखित श्रेणियों के लोग इस स्कीम के अन्तर्गत उपस्कर आयात करने के लिए पात्र हैं :–

(1) वास्तुविद ;

(2) कलाकार ;

(3) सनदी लेखाकार ;

(4) परामर्श दाता ;

(5) नैदानिक केन्द्र ;

(6) डाक्टर ;

(7) अर्थशास्त्री ;

(8) इंजीनियर ;

(9) होटल और रेस्तरां ;

(10) पत्रकार ;

(11) वकील ;

(12) वैज्ञानिक ;

(13) यात्रा अभिकर्ता और टूर आपरेटर

(14) इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य सेवा ;

46 ग. आयात की मदें :—स्कीम के अंतर्गत आयात के लिए अनुमित पूंजीगत उपस्कर की मदें इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना में यथा विनिर्दिष्ट होंगी ।

पूंजीगत उपस्कर की ऐसी मदें जिनका आयात इस स्कीम के अंतर्गत किया जा सकता है, ऐसी सेवाओं से, जिनके लिए भुगतान मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त होता है प्रत्यक्ष संबंध रखेंगी ।

46 घ. आयातों का न्यूनतम मूल्य:— इस स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस मंजूर करने के लिए आवेदन पत्र 10,000 अमरीकी डालर के आयातों के न्यूनतम लागत बीमा मूल्य के लिए होगा ।

46ङ. निर्यात आभार स्कीम के अंतर्गत पूरा किया जाने वाला निर्यात आधार भारत का विदेश में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर ध्यान दिए बिना लाइसेंस धारक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त भुगतान होगा । निर्यात आभार पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों मे लाइसेंस धारक द्वारा अर्जित दुलर्भ मुद्रा के औसत स्तर के अतिरिक्त होगा ।

46च. अन्य प्रावधान:—इस नीति के पैराग्राफ 43 (आवेदन के लिए प्रक्रिया) और 45 ए यू टी और बैंक गारंटी के प्रावधान इस स्कीम पर भी लागू होंगे ।

अध्याय-सात

शुल्क मुक्त स्कीम

47. शुल्क मुक्त स्कीम:— शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाले उत्पाद में प्रत्यक्ष तौर पर इस्तेमाल किए जाने के लिए अपेक्षित शुल्क मुक्त कच्चे माल, मध्यस्थों संघटकों, उपभोज्यो, पुर्जों, सहायक उपकरणों, पैकिंग सामग्रियों और कम्प्यूटर साफ्टवेर (जिसे अब आगे से "इनपुट्स" कहा जाएगा) के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अध्याय में उल्लिखित लाइसेंस की श्रेणियों के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी ।

48. अग्रिम लाइसेंस :—इनपुट्स (निविष्टियां) के शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया जाता है । ऐसे लाइसेंस जारी करने की तारीख को लागू नीति और प्रणाली के अनुसार जारी किए जाएंगें तथा वे निर्धारित समयबद्ध निर्यात आभार को पूरा करने तथा मूल्य संयोजन की शर्त, जो भी निर्धारित की गई हो, के अधीन होंगे । अग्रिम लाइसेंस या तो मूल्य आधारित होंगे या मात्रा आधारित होंगे ।

शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में विनियमित किए जाएंगें । लाइसेंसों में निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और आयात का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में निर्दिष्ट होगा। लाइसेंस जारी करने की तारीख को विनियम दर के अनुसार भारतीय रुपयों में कोष्ठक में निर्दिष्ट किए गए अनुसार लागत बीमा भाड़ा मूल्य लिखा होगा ।

तथापि अग्रिम मध्यस्थ लाइसेंस और विशेष अग्रदाय लाइसेंस के मामले में जहां सप्लाई किए गए माल का भुगतान भारतीय रुपयों मे प्राप्त होता है, तो वहां पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य भारतीय रुपयों में निर्दिष्ट किया जाएगा और आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य इन लाइसेंसों पर मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

49. मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस :—मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंस मे विनिर्दिष्ट किसी भी निवेश का उन निवेशों के लिए उल्लिखित समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अन्दर आयात किया जा सकता है । इसमें संवेदनशील मदों के रूप में विनिर्दिष्ट निवेश शामिल नही है। संवेदनशील मदों का आयात लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मात्रा अथवा मूल्य तक किया जाएगा ।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले निर्यात की मात्रा और पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य विनिर्दिष्ट होगा। लाइसेंसधारी के लिए लाइसेंस में विनिर्दिष्ट निर्यात की मात्रा और पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य कायम रखना अनिवार्य होगा ।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-

(क) आयात और निर्यात की जाने वाली मदों के नाम और विवरण ;

(ख) आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य ;

(ग) निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा;

(घ) संवेदनशील मदों के बारे में, अथवा जहां सक्षम प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे, प्रत्येक संवेदनशील मद की मात्रा एवं लागत बीमा भाड़ा मूल्य को भी लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किया जाएगा :—

50. मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस :- मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस मे निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :

(क) आयात और निर्यात की जाने वाली मदों के नाम और विवरण ;

(ख) आयात की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा मद अथवा यदि मात्रा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है तो मद का मूल्य,

(ग) आयात का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य, और

(घ) निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा।

51. निवेश उत्पाद और मूल्य संयोजन मानदण्ड— निर्यात और आयात के लिये दोनों मूल्य आधारित और मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों के लिये मात्रात्मक मानदण्ड महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा सार्वजनिक सूचना के जरिए प्रकाशित मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड के अनुसार होंगे। तथापि, जिन मदों के संबंध में ऐसे निवेश उत्पाद मानदण्ड प्रकाशित नहीं किये गये हैं। उनके मामले में मात्रात्मक मानदण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

52 महानिदेशक, विदेश व्यापार, विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग समिति की सिफारिश पर मानदण्ड में संशोधन कर सकता है अथवा अतिरिक्त मदों के लिये मानदण्ड निर्धारित कर सकता है।

53. विशेष स्कीमें—महानिदेशक, विदेश व्यापार ग्राह बैंटिग, मूल्य संयोजन के आयात की शर्तों के अनुसार, जो आवश्यक समझी जाए, निर्यातकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये एक श्रेणी अथवा निर्यात उत्पाद समूह के लिये मात्रा अथवा मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के लिये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करा सकते हैं।

54 स्वत घोषित पासबुक स्कीम—निर्यातकों की कुछ श्रेणियों के लिये अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अधीन स्वतः प्रमाणीकरण और स्वत घोषणा की एक स्कीम आरम्भ की गई है।

स्टार व्यापार सदन, व्यापार सदन और निर्यात सदन आपस में इस स्कीम का उपयोग करने के पात्र होंगे। महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा इस बारे में विशिष्टकृत किये जाने वाले अन्य उत्पादों के निर्यातक भी आपस में इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ऐसी पासबुक गुणवत्ता आधारित होगी।

इस स्कीम के अधीन निर्यातक को आयात और निर्यात की जाने वाली मदों का नाम और ब्यौरा तथा ऐसे निर्यात के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाला मूल्य संयोजन बताने वाली पासबुक जारी की जायेगी। निर्यातक को पासबुक के आयात की तरफ आयात की जाने वाली मदों का ब्यौरा और आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य की प्रविष्टि करने की अनुमति होगी। वह प्रमाणित और घोषणा करेगा कि विषय वस्तु सही है ऐसे स्वतः प्रमाणीकरण और स्वतः घोषणा के आधार पर सीमाशुल्क प्राधिकारी निवेशों के आयात की अनुमति देगा। निर्यातक निर्यात किये जाने के बाद, पासबुक में निर्यात पक्ष की ओर निर्यात की गई मदों का नाम और ब्यौरा तथा प्राप्त मूल्य-संयोजन की प्रविष्टि करेगा। वह प्रमाणित और घोषणा करेगा कि विषय वस्तु सही है। स्वत प्रमाणीकरण और स्वत घोषणा के आधार पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी विधिवत् सत्यापन करने के बाद निर्यात आभार को निर्मुक्त करेगा।

पासबुक दो वर्ष की अवधि के लिये वैध होगी और समय-समय पर उसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

55 अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस—मध्यवर्ती उत्पादों के विनिर्माताओं द्वारा सुनिश्चित समयबद्ध आपूर्ति प्रबन्ध के अन्तर्गत शुल्क मुक्त स्कीम के लाइसेंस धारक अन्तत निर्यातक को सप्लाई करने के लिये निवेशों के शुल्क मुक्त आयात के लिये अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस दिये जायेंगे। मध्यवर्ती लाइसेंसधारी शुल्क मुक्त स्कीम के तहत लाइसेंसधारी को विशिष्ट अवधि में आपूर्ति करेगा। अग्रिम लाइसेंसों के लिये लागू मूल्य तथा मात्रिक मानदण्ड मध्यवर्ती अग्रिम लाइसेंसों पर भी लागू होंगे। अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस केवल गुणवत्ता पर आधारित होगा।

56 विशेष अग्रदाय लाइसेंस—विशेष अग्रदाय लाइसेंस निवेशों के आयात के लिये प्रमुख-उप ठेकेदारों को निम्न मामलों में प्रदान किये जाते हैं —

(1) संयुक्त राष्ट्र संगठनों को या संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य बहुराष्ट्रीय अभिकरणों के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई आपूर्ति तथा मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया भुगतान:

(2) निम्नलिखित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय या अभिकरणों/निधियों या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत या उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार सीमित निविदा पद्धति के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अभिकरण/निधि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल का संभरण

(1) अरब आर्थिक विकास के लिये आबूधाबी फण्ड

(2) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

(3) अन्तर्राष्ट्रीय पुन निर्माण और विकास बैंक (आई बी आर डी/आई डी ए)

(4) कृषि विकास अन्तर्राष्ट्रीय निधि (आई एफ ए डी)

(5) ओवरसीज़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड (ओ ई सी एफ) (जापान)

(6) अरब आर्थिक विकास के लिये कुवैती निधि

(7) पैट्रोल निर्यातक देश संघ निधि (ओपेक)

(8) सऊदी विकास निधि (एस एफ डी)

(9) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू.एस.ए.आई.डी.)

(10) विदेश आर्थिक सहयोग निधि के माध्यम से मार्गीकृत येन क्रेडिट (ओ.ई.सी.एफ.)

(11) एक्जिम बैंक आफ जापान

(12) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी)

(13) कैनेडियन इंटर नेशनल डेवलेपमेन्ट एजेन्सी (सी आई डी ए)

(14) ओवरसीज डेवलेपमेन्ट एजेन्सी (ओ डी ए)

(3) निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिटों तथा निर्यात अभिमुख यूनिटों का सप्लाई। (निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों/हीरा, रत्न एवं आभूषण में लगी निर्यात अभिमुख यूनिटों को छोड़कर),

(4) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) और भारतीय गैस प्राधिकरण (जी ए आई एल) के अपनी दोनों समुद्री एवं तटवर्ती अन्वेषण ड्रिलिंग उत्पादन संक्रियाओं के लिये कच्चे माल, संघटकों, मध्यस्थों, उपभोज्यों, पुर्जों, उपस्करो यंत्रों, सहायक उपकरणों, औजारों और अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति।

(5) उर्वरक संयंत्रों के लिये पूंजीगत माल का संभरण यदि संभरण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अधीन किया गया है; और

(6) अधिसूचित किये गये अनुसार विदेशी सरकार या एजेन्सी द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित किसी परियोजना को माल का संभरण।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली या इसी प्रकार की प्रक्रिया के अन्तर्गत परियोजनाओं को माल और सेवायें प्रदान करना, जहां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली या वैसी प्रक्रिया केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत की गई हो।

57. विशेष अग्रदाय लाइसेंस मात्रा पर आधारित होंगे और अग्रिम लाइसेंसों पर लागू मात्रात्मक मानदण्ड विशेष अग्रदाय लाइसेंसों पर भी लागू होंगे।

58. अग्रिम सीमा-शुल्क निकासी परमिट—मात्रा आधारित अग्रिम सीमाशुल्क निकासी परमिट (ए. सी.सी.पी.) कार्य प्रयोजन, मरम्मत, सेवा, पुनः स्थापना सुधार नवीकरण और इन में प्रतिरूप, आरेख, जिग्स, औजार, फिक्सचर्स मोल्डस, डैकल्स कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और योजना जो कि निर्यात आदेश से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित हों और जिनकी आपूर्ति विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क की जाती है। लेकिन इनका पुनः निर्यात, निर्यात उत्पाद के साथ ही निर्यात किया जायेगा। आयातित मोल्डों, प्रतिरूपों आदि को कायम रखने के लिये आवेदन निर्यात आभार पूरा होने के बाद किये जा सकते है और आयात की की तिथि को लगने वाले सीमाशुल्क के भुगतान तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के पूरा करने पर अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य संयोजन 15% से कम नहीं होगा।

59. पात्रता—कोई व्यक्ति जो एक व्यापारी निर्यातक या विनिर्माता निर्यातक है, आयात-निर्यात कोड संख्याधारी है, विशिष्ट निर्यात आदेश/ साज-पत्र धारक है और स्वयं के नाम पर निर्यात लाभ की वसूली की स्थिति में है वह शुल्क मुक्त लाइसेंसों के लिये आवेदन कर सकता है।

60. पैराग्राफ-51 में दिये गये मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों में किये गये उल्लेख के अनुसार मूल्य संयोजन मानदण्ड मूल्य आधारित शुल्क मुक्त लाइसेंसो पर लागू होंगे। मात्रा आधारित लाइसेंस और उत्पाद जो मानक-निवेश उत्पादन मानदण्डों की सूची में नहीं है, उन्हें कम से कम 33% का मूल्य संयोजन प्राप्त करना होगा तथापि इससें कम मूल्य संयोजन पर मात्रा आधारित लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी विचार कर सकते है परन्तु किसी भी मामले में तकनीकी आधार पर मूल्य संयोजन 25% से कम नहीं होना चाहिये।

61. मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा के अन्तर्गत न आने वाले निर्यात—ऐसे निर्यात जिनका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में नहीं होता वे इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित मूल्य संयोजन के अध्यधीन होंगे।

62. निर्यात उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाइसेंस—निर्यातक विशेष निर्यात आदेशों के मद्दे शुल्क मुक्त लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते है। निर्यातक बिना किसी निर्यात आदेश के भी शुल्क मुक्त लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते है लेकिन अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस और विशेष अग्रदाय लाइसेंस के लिये नहीं। उनको निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लाइसेंस प्रदान किये जा सकते हैं:—

(क) नियमित निर्यात निष्पादन वाले निर्यातकों के लिये पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उनके निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 25% से अधिक मूल्य संयोजन नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में न आने वाले निर्यातकों के लिये लाइसेंस का मूल्य तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उनके औसत टर्न-ओवर के 10% से अधिक नहीं होगा; बशर्ते कि उनका औसत टर्न-ओवर पांच करोड़ से कम न हो।

(ग) ऐसे लाइसेंस केवल मात्रा आधारित होंगे, और

(घ) उपर्युक्त सुविधा विशेष निर्यात आदेश/आदेशों के मद्दे प्रदान किये गये शुल्क मुक्त लाइसेंसों के अतिरिक्त है।

63. निर्यात आभार—शुल्क मुक्त लाइसेंस के अन्तर्गत निर्यात आभार पूरा करने की अवधि लाइसेंस के जारी होने की तिथि से शुरू होगी। लगाये गये निर्यात आभार को 12 महीने की अवधि में पूरा करना होगा सिवाय उन मामलों के जहां विशेष अग्रदाय लाइसेंस के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये सप्लाई की गई हो जहां निर्यात आभार को परियोजना के कार्य करने की संविदा द्वारा निश्चित अवधि के अन्तर्गत पूरा करना होगा।

निर्यात आभार पूर्ण करने की अवधि में बढ़ोतरी के आवेदन पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के द्वारा विचार किया जा सकता है।

64. अग्रिम रिलीज आदेश—शुल्क मुक्त लाइसेंसधारी को यह विकल्प है कि वह या तो सीधे लाइसेंस के अधीन अनुमित मदों का आयात करे या विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपयों में नामोद्दिष्ट अग्रिम आदेश के मद्दे देशीय स्रोतों/सरणीबद्ध अभिकरणों से प्राप्त करें। अग्रिम रिलीज आदेश, आवेदन करने पर, उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जिसने शुल्क मुक्त लाइसेंस जारी किया है अथवा इसके लिये प्राधिकृत अन्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दिया जा जा सकता है। केवल मात्रा आधारित लाइसेंसों के मद्दे अग्रिम रिलीज आदेश की मंजूरी दी जायेगी। अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस के मद्दे अग्रिम रिलीज आदेश की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

65. स्रोत एवं निकासी—शुल्क मुक्त लाइसेंस धारक पहले से आयातित तथा सीमाशुल्क गोदाम में रखे माल को प्राप्त अथवा निकाल सकता है। शुल्क मुक्त लाइसेंस-धारक निर्यात संसाधित क्षेत्र यूनिटों अथवा निर्यात अभिमुख यूनिटों में विनिर्मित या संसाधित माल को प्राप्त अथवा निकाल सकते हैं। परवर्ती मामले में शुल्क मुक्त लाइसेंसधारक लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अग्रिम रिलीज आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा और प्राप्त करेगा।

66. लाइसेंस की प्रत्याशा में निर्यात—लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से किया गया निर्यात/संभरण निर्यात आभार अदा करने पर स्वीकार किया जा सकता है। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो लाइसेंसों को लागू नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार जारी होने की तिथि से जारी कर दिया जायेगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा शुल्क मुक्त शिपिंग बिलों से ड्रॉबैक शिपिंग बिलों में परिवर्तन की अनुमति भी दी जा सकती है यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत या परिवर्तित कर दिया गया है।

अग्रिम लाइसेंस को ट्रांफसर करना :—

67. निर्यात आभार पूर्ण होने, निर्यात वसूली पूरी होने और बैंक गारन्टी/वित्तीय बचनबद्धता को विमुक्ति पर मूल्य और गुणवत्ता पर आधारित अग्रिम लाइसेंस (मध्यवर्ती अग्रिम लाइसेंस और विशेष अग्रदाय लाइसेंस को छोड़कर) या उनके मद्दे आयातित सामग्री मुक्त रुप से हस्तान्तरणणीय होगी। यह सुविधा उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जहां केन्द्रीय उत्पाद नियमों के नियमों के नियम-991-ख के तहत मोडवेट/प्राफार्मा ऋण सुविधा या उत्पाद शुल्क राहत का उपयोग कर लिया गया है।

68. हटा दिया गया।

69. निषिद्ध मदें—इस स्कीम के अधीन आयात की निषेधात्मक सूची में दी गई वर्जित मदों का आयात निषिद्ध है।

70. शुल्क वापसी/आई पी आर एस को स्वीकार्यता—मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस पर शुल्क वापसी की अनुमति नहीं होगी।

70-क—मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस के मामले में यदि लाइसेंस में शामिल किसी भी मद का शुल्क मुक्त आधार पर आयात न किया गया हो बल्कि उसे अपने देश से ही खरीदा गया हो, या सामान्य शुल्क का भुगतान करके आयात किया गया हो तो ऐसी मद पर शुल्क वापसी तभी स्वीकार्य होगी जब लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस में से उस मद को काटकर शुल्क मुक्त लाइसेंस में समुचित संशोधन कर दें।

दण्ड:—इस स्कीम के अन्तर्गत किसी लाइसेंसधारक के निर्यात आभार को पूरा करने में सफल होने पर या लाइसेंसिंग शर्त का उल्लंघन करने पर वह विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए आदेशों/नियमों, निर्यात एवं आयात नीति, प्रक्रिया पुस्तक और अन्य लागू नियमों के अनुसार कार्यवाई किये जाने का भागी होगा।

72. सोने और चांदी के आभूषणों तथा वस्तुओं के लिये अग्रिम लाइसेंस की स्कीम—सोने और चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस निम्नलिखित के शुल्क मुक्त आयात के लिए दिया जाता है।

(1) गोल्ड माउन्टिंग्स, साकेट्स, फेम्स और 18 कैरेट तथा कम की फाइन्डिंग्स; और

(2) चांदी माउन्टिंग्स, साकिट्स फ्रेम्स और फाइडिंग्स।

73. यह स्कीम अपरिवर्तनीय साखपत्र स्वीकृति के मुद्दे दस्तावेज और या/सुपुर्दगी आधार पर नकद भुगतान की अदायगी से समर्थित निर्यातों पर सीमित होगी। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित विशिष्ट पत्तनों से ही आयात अनुमेय होगा।

74. निर्यात केवल पूर्व आयात के मुद्दे अनुमित होगा। निर्यात-आभार आयात की प्रथम परेषण की तिथि से आरम्भ होगा और उसे उक्त तिथि से 130 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जाना अपेक्षित होगा।

75. मूल्य-संयोजन की गणना उस मूल्य पर की जा सकती है जिस पर सोना (छीजन सहित) और चांदी तत्व (बिना छीजन के) आयात किया गया है। माउन्टिंग्स, फाइन्डिंग्स आदि के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनका आयात/निर्यात नेट-टू-नेट आधार पर होगा सोने/चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमश 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत होगा।

76. प्रक्रिया-पुस्तिका के पैरा 147 में यथा-निर्दिष्ट अनुसार सोने की छीजन या विनिर्माण में हानि अनुमित की जा सकती है। सोने की माउन्टिंग्स/फाइन्डिंगस आदि पर भार में 3 प्रतिशत सोने की छीजन अनुमित है। यदि निर्यात का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य निर्धारित निर्यात-आभार से अधिक है तो प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 149 में निर्धारित फार्मूले के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के लिए रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

77. मूल्य संयोजन:—पैरा 72 में दी गई स्कीम को छोड़कर इस अध्याय के प्रयोजन के लिए मूल्य प्रयोजन के लिए मूल्य संयोजन इस प्रकार होगा:—

$$\text{वी ए} = \frac{\text{ए}-\text{बी}}{\text{बी}} \times 100, \text{ जहां}$$

वी ए —मूल्य संयोजन है

ए—लाइसेंस में शामिल उत्पाद के निर्यात से वसूल किया गया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है, और

बी—लाइसेंस में शामिल आयातित निवेश का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य है।

अध्याय—आठ

हीरे, रत्न और जेवरात निर्यात संवर्धन स्कीमें

78. रत्न और जेवरात के लिये स्कीम—रत्न और जेवरात निर्यातक इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति लाइसेंस और हीरे/डीटीसी अग्रदाय अनुज्ञापत्र प्राप्त करके अपने निवेशों का आयात कर सकते हैं।

79. प्रतिपूर्ति लाइसेंस—परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध रत्न और जेवरात उत्पादों के निर्यातक, अपने निवेशों के आयात और प्रतिपूर्ति के लिये उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित दर पर और उसमें दी गई मदों के लिये, प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किये जाने के पात्र होंगे। इस प्रकार के लाइसेंस हस्तांतरणीय होंगे। हीरे/डीटीसी अग्रदाय लाइसेंसों के मद्दे निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिये किया गया निर्यात इस लाभ के लिये पात्र नहीं होगा।

80. हीरे और डी.टी.सी. अग्रदाय लाइसेंस—कटे हुए और पालिश किये हुए हीरों के निर्यात के लिये तथा अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिये हीरा और डीटीसी अग्रदाय लाइसेंस अग्रिम रूप में जारी किये जा सकते हैं। ये लाइसेंस अहस्तांतरणीय होते हैं। तथापि, आयातित माल को संसाधित करने के लिये दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है लेकिन निर्यात आभार पूर्ण करने का दायित्व लाइसेंसधारी का ही होगा। ये लाइसेंस प्रतिपूर्ति के 65 प्रतिशत के विलोम अनुपात में निर्धारित निर्यात आभार वहन करेंगे, अर्थात् यदि लाइसेंस 65 अमरीकी डालर के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिये जारी किया जाता है, तो निर्यात आभार का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 100 अमरीकी डालर होगा। छूट प्रदान करते समय लाइसेंसधारी को वास्तविक हकदारी को उक्त परिशिष्ट में दिये गये समान निर्यात उत्पादों के लिये अनुमित प्रतिपूर्ति दरों के संदर्भ में पुनः गणना की जा सकती है। इस प्रकार की पुनः गणना करने से, यदि लाइसेंसधारी की हकदारी 65 अमरीकी डालर से अधिक बनती है (जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में दर्शाया गया है) तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपरिष्कृत हीरों के आयात हेतु, उस मूल्य के बराबर, जो भी 65 अमरीकी डालर से अधिक हो, प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी करेंगे।

81. कोई निर्यातक निम्नलिखित अनुसार लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकता है।

(क) यदि उसने पिछले तीन वर्षों में कम समय में कटे हुए और पालिश किये हुए हीरों का निर्यात किया है, तो स्वयं के नाम में वैध निर्यात संविदा के मद्दे, अथवा

(ख) यदि उसने कम से कम 3 वर्षों तक निर्यात किया है तो पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में सर्वोत्तम वर्ष के निर्यात निष्पादन और साथ ही उसके 25 प्रतिशत के मद्दे।

82. निर्यात आभार—निर्यात आभार की पूर्ति सीमाशुल्क के जरिए पहली खेप की निकासी की तारीख से सात महीनों के अन्दर की जायेगी।

83. डी.टी.सी. अग्रशय लाइसेंस—किसी भी नियमित डी.टी.सी. साइट होल्डर के लिये वार्षिक डी.टी.सी. लाइसेंस अनुमित हो सकता है जो कि उसके द्वारा परवर्ती वर्ष में प्राप्त सभी डी.टी.सी. साइटों (प्रतिपूर्ति लाइसेंस के मद्दे निष्पादित साइटों को छोड़कर) के समेकित मूल्य के डेढ़ गुणा के बराबर होगा। इसमें डेढ़ प्रतिशत तक कमीशन/दलाली अधिभार भी जोड़ा जा सकता है बशर्ते कि निर्यात आभार में तदनुरूप वृद्धि की गई हो। नई साइट होल्डर डीटीसी लन्दन से साइट के आवंटन हो जाने पर मासिक आधार पर लाइसेंस के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। वे लाइसेंस केवल डी.टी सी. लन्दन से आयात के लिये ही वैध होंगे।

निर्यात आभार प्रथम परेषण के आयात की तिथि से 120 दिनों के अन्दर और प्रत्येक साइट के लिये लाइसेंस पर किय गये पृष्ठांकन के अनुसार पूरा कर लिया जायेगा।

84. अपरिष्कृत हीरों के लिये थोक लाइसेंस—अपरिष्कृत हीरों के लिये थोक लाइसेंस, वैध आर.ई.पी. हीरों अग्रदाय लाइसेंसों के धारकों की मांगों को को पूरा करने के लिये, मैसर्स हिन्दुस्तान डायमण्ड कं. लि. बम्बई तथा एम.एम.टी.सी. नई दिल्ली या अन्य निर्यातक को जारी किये जा सकते हैं जिसके निर्यात का वार्षिक औसत कटे तथा परिष्कृत हीरों का पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 करोड़ रुपये से कम न हो और जो इस बार में ऐसी शर्तों को पूरा करते हों जो महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा विनिर्दिष्ट हों।

85. पुनः निर्यात—अपरिष्कृत हीरों का पुनः निर्यात करने वाला कोई निर्यातक ऐसे पुनः निर्यात पर कमीशन सहित विदेशी मुद्रा लागत घटाकर शत-प्रतिशत लागत बीमा-भाड़ा मूल्य की दर से आयात प्रतिपूर्ति का पात्र हो सकेगा। डी.टी.सी. लन्दन और खानों से (खान के चालू रहने की दशा में) आयातों के मामलों में अपरिष्कृत हीरों के मूल्य के क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक पुनः निर्यात अनुमित हो सकता है। किसी अन्य स्रोत से किये गये आयात के लिये पुनः निर्यात आयातित अपरिष्कृत हीरों के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा लेकिन यह सुविधा थोक लाइसेंसधारियों द्वारा किये गये आयातों पर नहीं मिलेगी।

86. सोने/चांदी और प्लाटिनम/जेवरात के लिये स्कीमें—सोने और चांदी के जेवरात के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त आयात लाइसेंसों के माध्यम से सोना, चांदी माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न कीमती और अर्द्ध-कीमती सिंथेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसे अपने अनिवार्य निवेशों का आयात कर सकते है। स्कीम "ग" और "छ" के अन्तर्गत प्लेटिनम आभूषणों के निर्यातक इस बार में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्लाटिनम और उपर्युक्त मदों का आयात कर सकते हैं।

87. सोने/चांदी/प्लेटिनम की अन्तर्वस्तु—निर्यात किये गये आने पर निम्नलिखित मदों को इन स्कीमों के अन्तर्गत सुविधा मिल सकेगी

(क) 8 कैरट या अधिक सोना तत्व वाले सोने के जेवरात तथा वस्तुएं (सिक्कों को छोड़कर) चाहे सादे हों या जड़ हुए; और

(ख) भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले चांदी के जेवरात और वस्तुएं (सिक्कों और किन्हीं इंजीनियरी माल को छोड़कर) और

(ग) भार में 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटिनम (सिक्कों और किन्हीं इंजीनियरों माल को छोड़कर) प्लाटिनम आभूषण और वस्तुएं।

88. स्कीमें—सोने/चांदी के जेवरात और वस्तुओं का निर्यात निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत किया जा सकता है :—

क. विदेशी क्रेता द्वारा संभरित सोने/चांदी के मद्दे सोने/चांदी के जेवरात और वस्तुओं के निर्यात के लिये योजना :

इस योजना के अन्तर्गत विदेशी क्रेता सोने या सोने चांदी के जेवरात और उनमें बनने वाली वस्तुओं के विनिर्माण और अंतिम निर्यात के लिये अग्रिम रूप से निःशुल्क सोना या चांदी का संभरण कर सकता है। वह इसी प्रकार, चांदी के एलाय, फाइंडिंग्स, माटिंग्स आदि और 18 कैरट और कम के सोने का संभरण भी कर सकता है। निर्यात आदेश में निम्नलिखित की व्यवस्था होनी चाहिये।

(1) वैस्टेज की अनुमति के बाद अपेक्षित सोने और चांदी की मात्रा की सीमा तक सोने और चांदी का निःशुल्क संभरण; और

(2) अपरिवर्तनीय साख्यपत्र के द्वारा विनिर्माण और अन्य लागतों का भुगतान अथवा सुपुर्दगी पर नकद भुगतान अथवा विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान संग्रह आधार पर (स्वीकृति मद्दे दस्तावेज) सोने के जेवरात का निर्यात भी किया जा सकता है। निर्यात आदेश केवल एक विदेशी क्रेता से ही संबंधित होना चाहिये। सोना, चांदी, जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात के लिये बनी यह योजना हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच.ए.चई.सी.) या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण द्वारा प्राप्त निर्यात आदेशों के लिये लागू होगी। नामित अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से या अपनी पात्र संस्थाओं के माध्यम से निर्यात कर सकते हैं। निर्यात केवल हवाई भाड़े और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली जयपुर,

बंगलौर और कोचीन स्थित सीमाशुल्क कार्यालयों के जरिए ही अनुमित होगा।

प्रत्येक माह के शुरू में एच.एच. ई.सी. द्वारा घोषित सोने और चांदी के मूल्यों पर सोना तत्व (वेस्टेज समेत) और चांदी तत्व (वेस्टेज रहित) के मूल्य के संदर्भ में मूल्यसंयोजन की गणना की जा सकती है। माउंटिंग्स, फाइंटिंग्स आदि के लिये मूल्य संयोजन नामित अभिकरण द्वारा तय किये गये आयातों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर आधारित होगा। सोना और चांदी जवाहरात/वस्तुओं के लिये न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है। माउंटिंग्स और फाउंडिंग्स आदि को आयात निर्यात निवल के लिये निवल के आधार पर होगा।

ख. अनुमोदित प्रदर्शनियों में बिक्री के लिये सोने और चांदी के जेवरात और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम।

इस स्कीम के अन्तर्गत हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच.एच.ई.सी.)/राज्य व्यापार निगम (एस. टी. सी.) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी. पी.ओ.)/खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम.एम. टी.सी.) और उनकी पात्र सहयोगी संस्थाओं द्वारा किया गया। निर्यात आता है। ये संगठन नामित/ अभिकरणों के रूप में कार्य करते हैं। यदि वाणिज्य मंत्रालय अनुमोदन कर देता है, तो इस स्कीम के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति को भी निर्यात की अनुमति है। प्रदर्शनी लगाने के लिये निर्यात परेषण आधार पर किये जायेंगे और यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा।

(1) विदेश में न बिक्री हुई मदें प्रदर्शनी बंद होने के 45 दिनों के अन्दर आयात कर ली जायेगी; और

(2) विदेश में बिक्री हुई मदों के लिये सोना और चांदी तत्व प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदर्शनी बंद होने के 60 दिनों के अंदर, आयात कर लिये जायेंगे। नामित अभिकरण निर्यात अनुमित होने से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास इस आशय का एक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा। दूसरों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में, भारतीय रिजर्व बैंक या सीमाशुल्क प्राधिकारियों के नियमों के अन्तर्गत तथा अपेक्षित बंदपत्र या बैंक गारंटी आयोजक स्वयं ही प्रस्तुत करेंगे। प्रदर्शनी बंद होने के उपरान्त निर्यातक भारतीय स्टेट बैंक या प्रदर्शनी बंद होने से पहले प्रदर्शनी के स्थान पर उनके एजेंटों की सहायता से या प्रदर्शनी बंद होने के 50 दिनों के भीतर भारत में भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओ की सहायता से प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिये वुकिंग करेगा।

मूल्य संयोजन की गणना, सोना तत्व (वेस्टेज समेत) और चांदी तत्व (वेस्टेज सहित) के उस मूल्य के आधार पर की जायेगी जिस पर प्रतिपूर्ति अनुमित हो सकती है या उस मूल्य पर जिस पर निर्यात बीजक बनाया गया था, इन में जो भी उच्चतर हो, की जायेगी। निर्यातक, निर्यात बीजक बनाते समय एच.एच.ई.सी. द्वारा अधिसूचित सोना/चांदी के मासिक मानदण्ड मूल्य का प्रयोग कर सकते है। सोना/चांदी जवाहरात/ वस्तुओं के लिये न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 15% और 25% है। है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रिलीज आदेश और रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

ग. सोना और चांदी जेवरात और वस्तुओं की निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम

यह स्कीम सोना/चांदी जेवरात और वस्तुओं के निर्यात के मदें भारतीय स्टेट बैंक की पननामित/शाखाओं अथवा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण के जरिए सोना/चांदी की खरीदारी के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक/अभिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट मूल्य पर सोना/चांदी की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करती है। यह स्कीम उन निर्यातों तक ही सीमित होगी जिनके समर्थन में अपरिवर्तनीय साखपत्र डिलीवरी आधार पर नकद भुगतान या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान किया गया है। सोने जवाहरात के निर्यात की अनुमति संग्रह आधार स्वीकृति मदें दस्तावेज पर भी दी जा सकती है। निर्यातक को अग्रिम रूप में भारतीय स्टेट बैंक से सोना/चांदी प्राप्त करने का विकल्प होता है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रिलीज आदेश और रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं।

मूल्य संयोजन को गणना/सोना तत्व (वेस्टेज सहित) और चांदी तत्व (वेस्टेज) रहित–के संदर्भ में उस मूल्य पर की जाएगी जिस भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोने और चांदी को बुक किया जाए। सोना और चांदी जवाहरात/वस्तुओं पर के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 15% और 25% होगा।

निर्यात और सोने के आभूषणों और वस्तुओं की उपर्युक्त नीति आवश्यक परिवर्तनों सहित प्लाटिनम आभूषण और वस्तुओं के निर्यात पर भी लागू होगी सिवाए इसके कि केवल एम.एम.टी.सी. निर्यातकों को प्लास्टिनम का आयात और सेवा प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिए एम एम टी सी 0.9999 शुद्धता का प्लाटिनम आयात करेगा।

घ. सोने और चांदी जवाहरात और वस्तुओं के लिए अग्रिम लाइसेंस की स्कीम

अध्याय सात के पैराग्राफ-72 में निहित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के प्रावधान सोने और चांदी के जवाहरात और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात पर लागू होंगे।

ङ. निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई.पी.जैड. और निर्यात अभिमुख यूनिट (ई.ओ.यू.) परिसरों से सोने/

चांदी और प्लाटिनम के जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम

निर्यात अभिमुख यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिटों की स्कीम के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होती है और निर्यात संसाधन वाले क्षेत्रों में स्थापित की गई यूनिटें ई.पी.जेड. स्कीम के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होती है । निम्नलिखित को छोड़कर

(1) रिजेक्टस समेत किसी की भी बिक्री की अनुमति घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी.टी.ए.) में नहीं मिलेगी; और

(2) यदि कोई यूनिट कार्य करना बंद कर देती है, तो सोना और दूसरी कीमती धातु एलाय, रत्न और अन्य सामग्री जो जवाहरात के विनिर्माण के लिए उपलब्ध होगी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी एजेंसी को उस एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर सौंप दिया जायेगा।

ये यूनिट स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुओं से विनिर्मित कच्चे माल, अलाय कैरट, स्वर्ण रंगीन स्वर्ण, कीमती धातु जिनमें चांदी, प्लाटिनम और प्लाडियिम, फाइन्डिंग्स, माउन्टिंग्स, साकेट और फ्रेम भी शामिल है, का आयात कर सकती है। ये यूनिटें हीरे, रंगीन और पत्थरों अर्ध मूल्यवान पत्थरों सिन्थेटिक पत्थरों मोतियों आदि का भी आयात कर सकती है । उसके अतिरिक्त इन यूनिटों को भारतीय स्टेट बैंक या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी के जरिये 0.995 परिशुद्धता वाला स्वर्ण भी उपलब्ध कराया जा सकता है। 0.995 परिशुद्धता वाला स्वर्ण की आपूर्ति के लिये निर्यात संसाधन क्षेत्र के लिये विकास आयुक्त अथवा निर्यात-अभिमुख यूनिट परिसर के प्रायोजित प्राधिकारी के जरिये आवेदन कर सकती है। इन यूनिटों को निर्यात अभिमुख यूनिट स्कीम और निर्यात संसाधन क्षेत्र स्कीम पर लागू प्रक्रिया के अनुसार पूंजीगत माल, प्रोटोटाईप्स, तकनीकी नमूनों, उपभोज्यों, अतिरिक्त पुर्जों और पैकेजिंग सामग्री के आयात की अनुमति दी जा सकती है । तथापि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर 0.999 शुद्धता वाले स्वर्ण के आयात की अनुमति नहीं होगी।

मूल्य संयोजन को उस मूल्य पर संगणित किया जाय जिस मूल्य पर स्वर्ण कन्टेंट (जिसमें वेस्टेज भी शामिल हैं), चाहे वह 0 995 परिशुद्धता अथवा कोई अन्य शुद्धता वाला स्वर्ण हो, का आयात किया गया हो। इसी प्रकार की प्रक्रिया आयातित चांदी (बिना वेस्टेज के) पर भी लागू होगी । सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों जिनमें वस्तुएं भी शामिल हैं, के निर्यात के लिये न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 10% और 15% होगा । चांदी के के सादे/जड़ित आभूषणों और वस्तुओं के लिये न्यूनतम मूल्य संयोजन 25 प्रतिशत होगा । एक निर्यातक को तराशे और पालिश किये गये हीरों, बहुमूल्य और अर्ध मूल्यवान पत्थरों, मोतियों और सिन्थेटिक पत्थरों जिनका उपयोग स्टेडिस के रूप में किया गया हो, के मूल्य पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य संयोजन प्राप्त करने की भी आवश्यकता है । माउन्टिंग्स, फाइन्डिंग्स, आदि के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का भी मूल्य संयोजन के लिये हिसाब में लिया जाये और उनका आयात और निर्यात निबल के लिये निबल के आधार पर किया जायगा।

कम तराशे और पालिश किये गये हीरों और बहुमूल्य अर्ध मूल्यवान पत्थरों का निर्यात करने वाली यूनिटों के मामले में प्राप्त किये जाने वाले आवश्यक न्यूनतम मूल्य संयोजन को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से ऐसे निर्यातकों के लिये उपलब्ध इसी अवधि की प्रतिपूर्ति दरों के आधार पर संगणित किया जायेगा । स्वर्ण और चांदी के आभूषणों और वस्तुओं से अलग, अन्य कीमती धातुओं से बने आभूषणों और वस्तुओं का विनिर्माण और निर्यात पूर्वोक्त निर्यात अभिमुख यूनिट परिसरों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों द्वारा किया जा सकता है । प्लेटिनम और पेडियम आदि के संबंध में मूल्य संयोजन और अन्य आवश्यकताएं महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जायगी।

अनुमत किये जाने वाले आभूषणों के नमूनों को उपयुक्त पहचान के बाद पुनः निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है।

स्वर्ण की स्क्रैप/डस्ट/स्वीपिंग्स निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थित यूनिटों से भारत सरकार टकसाल को भेजने की अनुमति दी जा सकती है और स्टैण्डर्ड स्वर्ण की छड़ों के रूप में उस क्षेत्र को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापिस भेजी जा सकती है।

सम्बन्धित निर्यात संसाधन क्षेत्र निर्यात अभिमुख यूनिट परिसर के विकास आयुक्तों द्वारा इस अध्याय के पैरा 85 के अनुसार अपरिष्कृत हीरों के पुनः निर्यात की अनुमति आयातित अपरिष्कृत हीरों के मूल्य के 5 प्रतिशत तक दी जाएगी।

निर्यात अभिमुख यूनिटें/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें सरकार द्वारा अनुमोदित प्रदर्शनियों में भाग ले सकती है । देश में लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में बिक्री की अनुमति नहीं होगी । आभूषणों के इन क्षेत्रों/परिसरों से ले जाने और वापस लाने सम्बन्धी तुलाई की प्रक्रिया सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आंशिक रूप में संयोजित आभूषणों का निर्यात भी निर्धारित न्यूनतम मूल्य की संयोजन की अधिप्राप्ति के अध्यधीन अनुमत होगी।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि. समय-समय पर संशोधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के अंतर्गत स्थापित स्वीकृत स्वर्ण आभूषण

विनिर्माण करने वाली निर्यात यूनिटों को स्वर्ण अनाप कैरेट स्वर्ण फाइंडिंग्स समेत जिनमें 0.999 परिशुद्धता वाला स्वर्ण शामिल नहीं है, स्वर्ण, स्वर्ण मध्यस्थों और संघटकों की भी आपूर्ति करेगा।

एम.एम.टी.सी./भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत स्थापित चांदी के आभूषण विनिर्माता निर्यातकर्ता यूनिटों को 0.999 परिशुद्धता अथवा 0.995 परिशुद्धता की चांदी की आपूर्ति कर सकती हैं।

स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात और प्रतिपूर्ति की उपर्युक्त नीति आवश्यक परिवर्तनों सहित प्लैटिनम आभूषणों एवं वस्तुओं पर भी लागू होगी सिवाए इस बात के कि एम एम टी सी निर्यात कों के लिए प्लैटिनम का आयात और सर्विस प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिए एम एम टी सी 0.9999 परिशुद्धता का प्लैटिनम आयात करेगा।

घ. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित यूनिटों द्वारा प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत 18 कैरेट से ऊपर के स्वर्ण का सीधे आयात करने हेतु योजना।

सादे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मद्दे जहां निर्यात आयात निर्मुक्त विदेशी मुद्रा में पूर्णतः अधिप्राप्त की जा चुकी हो, लाइसेंसिंग प्राधिकारी सीधे आयात के लिए निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 87 प्रतिशत की दर से अहस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता है।

(1) 0.995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण, और (2) 0.920 परिशुद्धता, वाली फाइंडिंग्स/माउंटिंग्स, जो लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत तक होगी जो लाइसेंस के समूचे मूल्य के अंतर्गत होगी और (3) शेष मूल्य के लिए रफ डायमण्ड, रफ कलर्ड जैम स्टोन्सस और रौयल कलचर्ड पलेस अनड्रिल्ड/अनसेट

जड़ित स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए जहां निर्यात आय विदेशी मुद्रा में पूर्णतः अधिप्राप्त हो चुकी हो, संबंधित प्राधिकारी निम्नलिखित के सीधे आयात के लिए निर्यातों के जहाज पर्यन्त मूल्य के 80 प्रतिशत की दर से अहस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता है:

(1) 0.995 परिशुद्धता वाला स्वर्ण, जिसकी कीमत निर्यातित स्वर्ण जड़ित आभूषणों में उपयोग में लाये गये शुद्ध स्वर्ण (0.999 परिशुद्धता), की मात्रा, जैसा कि सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत की गई हो, को हिसाब में लेकर निर्यात की तारीख को शुद्ध स्वर्ण (0.999 परिशुद्धता) के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य द्वारा गुणा करके, भारतीय स्टेट बैंक की पदनामित शाखाओं द्वारा प्रमाणित किया गया हो, स्टडिंग्स के अवशिष्ट प्रतिपूर्ति मूल्य का 20 प्रतिशत जमा करके निर्धारित की जाएगी।

(2) लाइसेंस के मूल्य के 10 प्रतिशत तक तथा लाइसेंस के समूचे मूल्य के अन्तर्गत 0.920 परिशुद्धता की स्वर्ण फाइंडिंग्स/माउंटिंग्स, और

(3) अपरिष्कृत हीरे, अपरिष्कृत रंगीन रत्न पत्थर और शेष मूल्य के लिए अपेक्षित बिना सेट किये हुए रौयल अथवा कलचर्ड पोती उपयुक्त प्रावधानों के होते हुए भी प्लेन स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के बाद तथा निर्मुक्त विदेशी मुद्रा में बिक्री आय की अधिप्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 87 प्रतिशत मूल्य के बराबर अहस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लाइसेंस जारी करने के लिए निर्यातक एक आवेदन करेगा।

(1) सीमाशुल्क द्वारा साक्ष्यांकित बीजक;

(2) कस्टम का अधिप्रमाणीकृत पोत परिवहन बिल; और

(3) निर्यातों के अनुमानित जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बारे में एक घोषणा।

निर्मुक्त विदेशी मुद्रा में बिक्री आय की सम्पूर्ण अधिप्राप्ति के बाद निर्यातक शेष अहस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस को जारी करने का आवेदन करेगा यदि कोई हो, जो अधिप्राप्ति सम्बन्धी बैंक प्रमाण पत्र के साथ देना होगा यदि देय हो, तो अतिरिक्त हकदारी के लिए भी लाइसेंस जारी किया जाएगा अन्यथा पहले से जारी किये गए लाइसेंस का मूल्य सम्बन्धित निर्यातों के मद्दे समाजित किया जाएगा यदि समायोजन अपूर्ण हो तो शेष मूल्य की उसकी भविष्य की हकदारी में से समायोजित किया जाएगा।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस इसके जारी किये जाने की तारीख से 8 महीनों की अवधि के लिये वैध होंगे।

छ. स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस के अन्तर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित यूनिटों द्वारा निर्यात उत्पादन के लिए निर्यात पूर्व आधार पर 18 कैरेट से ऊपर के स्वर्ण के आयात की योजना

पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान तीन करोड़ रुपय और इससे अधिक के सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों के औसत निर्यात निष्पादन करने वाला निर्यातक अपने अपने स्वर्ण के नाम में वैध निर्यात ठेके के मद्दे स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस का पात्र होगा। यह लाइसेंस उसके सर्वोत्तम तीन वर्षों में जमा उस पर 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिए जारी किया जा सकता है। उसकी सूची पात्रता के अन्तर्गत निर्यातक सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए अलग से स्वर्ण अग्रदाय

लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकता है। लाइसेंस में निम्नलिखित शर्तें विहित होंगी :

(1) नीचे निर्दिष्ट तरीके से निर्यात आभार ;

(2) लाइसेंस मूल्य की शर्तों में होगा और वह 0.995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण के निर्यात के लिए वैध होगा

(3) लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा ;

(4) लाइसेंस के मुद्दे स्वर्ण का आयात किये जाने के निर्यात किये जायेंगे ,

(5) लाइसेंस इसके जारी होने की तारीख से छः माह के लिए वैध होगा।

सादे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए जारी किए गए स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस के लिए 87 प्रतिशत के विपरीत अनुपात में निर्यात आभार होगा अर्थात् यदि स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस 87 अमरीकी डालर के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है तो निर्यात आभार 100 अमरीकी डालर होगा। स्वर्ण जड़ित आभूषणों निर्यात आभार पर 80 प्रतिशत के विपरीत अनुपात में निर्धारित किया। अर्थात् यदि स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस 80 अमेरिकी डालर के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है तो निर्यात आभार 100 अमेरीका डालर होगा निर्यात आभार स्वर्ण की प्रत्येक प्रेषण की निकासी की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे तथा निर्यातक इन निर्यातों पर प्रतिपूर्ति के लाभ का दावा किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत आभार की उसके द्वारा तोड़ी गई सीमा तक नहीं करेंगे।

89. अन्य प्रावधान :—निर्यातक को ऊपर 88 (च) और 88 (छ) में दी गई योजनाओं को छोड़कर निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक एजेन्सी कमीशन का भुगतान करने की अनुमति है। जहां कहीं एजेन्सी कमीशन का भुगतान किया जाए वहां वह एजेन्सी कमीशन की प्रतिशतता द्वारा न्यूनतम मूल्य संयोजन में तदनुरूप वृद्धि की जाएगी।

90. पैरा 88(क) से (ङ) तक उल्लिखित योजनाओं के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रक्रिया पुस्तक में निहित अनुसार स्वर्ण बैंस्टेज अथवा विनिर्माण घाटे की अनुमति होगी।

91. ऐसे मामले में जहां निर्यातक न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोधन प्राप्त करे, वहां सादे, स्वर्ण/चांदी के आभूषणों के निर्यात पर पैरा 88 (क) से (ग) तक में उल्लिखित योजना के अन्तर्गत रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं ऐसे लाइसेंस का मूल्य न्यूनतम मूल्य संयोजन की अतिरिक्त अधिप्राप्ति के के सन्दर्भ में निर्धारित किया जाएगा। जड़ित स्वर्ण चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के निर्यातक , रत्न प्रति पूर्ति लाइसेंस के पात्र होंगे जिन बैरटेज सहित सोने पर मूल्य संयोजन के लिए गणना करने के बाद, निर्यात की गई मदों में उपयोग में लाई गई स्टडिंगस के मूल्य को ध्यान में रखकर दिया जाएगा लाइसेंसिंग के प्रयोजन के लिए स्टाडिंग्स को चार वर्गों में बांटा जाएगा नामशः ;

(क) हीरें

(ख) बहुमूल्य पत्थर,

(ग) अर्द्ध मूल्यवान और सिन्थेटिक पत्थर और न्यूविक जिरकोनिया और

(घ) मोती

प्रतिपूर्ति का पैमाना प्रक्रिया पुस्तक में दिया गया है। ये लाइसेंस बिना आरिष्कृत हीरों बहुमूल्य पत्थरों अर्द्ध मूल्यवान पत्थरों सिन्थेटिक पत्थरों और मोतियों के आयात के लिए वैध होंगे। इसके अतिरिक्त लाइसेंस, लाइसेंस के मूल्यों के 1 प्रतिशत तक आभूषणों के बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा।

92. बीजक :—सभी स्कीमों के अन्तर्गत आयात और निर्यात के बीजक अमरीकी डालर में होंगे।

अध्याय— नौ

निर्यात अभिमुख यूनिटें और निर्यात संसाधन क्षेत्रों क्षेत्रों की यूनिटें।

93. पात्रता अपने सारे उत्पादन को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई ओ. यू.) या निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई.पी जेड) स्कीम के अन्तर्गत (घरेलू टैरिफ क्षेत्रों को छोड़ कर जैसा कि नीति के अन्तर्गत अनुमेय हो) स्थापित की जा सकता है ऐसी यूनिटें साफटवेयर कृषि एक्वाकल्चर पशुपालन फूलों का खेता बागवानी मत्स्यापालन मुर्गीपालन और रेशम उत्पादन के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हो सकती है सेवा कार्य कलापों में लगी यूनिटों पर भी गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

94. माल का आयात निर्यात अभिमुख यूनिट निर्यात संसाधन यूनिट सभी प्रकार का माल पूंजीगत माल सहित बिना शुल्क के आयात कर सकती हैं जो इसके विनिर्माण के के लिए आवश्यक हो बशर्ते कि वे आयातों की निषेधात्मक सूची में वर्जित मदें न हों।

95. पुराना पूंजीगत माल :—पुराना पूंजीगत माल का आयात भी अध्याय पांच में में दिए गए प्रबंधन के अनुसार किया जा सकता है।

96. पूंजीगत माल का पट्टा करना :— पार्टियों के बीच में हुए पक्की संविदा के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें घरेलू पट्टे वाली कम्पनी से पूंजीगत माल उठा सकती है ऐसे मामले में में घरेलू पट्टे वाली कम्पनी शुल्क मुक्त पंजीगत माल आयात करने की पात्र होगी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को इसकी आपूर्ति ऐसी शर्तों पर करेगी जो दोनों पार्टियों में आपसी सहमति निर्धारित की जाए तथापि जब तक कि कि यूनिट द्वारा आभार पूरा नहीं किया जाता तब तक पूंजीगत माल निर्यात अभिमुख यूनिट निर्यात संसाधन क्षेत्रों की यूनिटों की पूंजी परिसम्पत्ति के एक भाग के रूप में बना रहेगा और उन्हें किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

97. मूल्य संयोजन और निर्यात आभार :— यूनिट कम से कम 20 % का मूल्य वर्धन प्राप्त करेगी किन्तु परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट उद्योगों में लगी हुई यूनिटें उसमें निर्दिष्ट मूल्य वर्धन मानदण्डों को पूरा करेगी। अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र में केवल विनिर्दिष्ट निर्यात के लिए विनिर्माण की मदें मूल्य संयोजन और निर्यात आभार के निष्पादन के लिए हिसाब में ली जाएंगी।

98. विधिक वचन बद्धता : यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक बन्धपत्र/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी और अनुमोदन/आशय-पत्र में निर्धारित आभारों को पूरा न करने पर विफलता के मामले में वह उस बन्धपत्र/विधिक वचनबद्धता या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अधीन दण्ड को भागी होगी।

99. न्यूनतम निर्यात मूल्य : नीति के अन्तर्गत, यदि किसी माल का निर्यात घरेलू टैरिफ क्षेत्र से न्यूनतम निर्यात मूल्य के अध्याधीन हो तो उस माल का निर्यात, निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट द्वारा उसी न्यूनतम निर्यात मूल्य के अध्यधीन ही किया जाएगा।

100. स्वतः अनुमोदन : परियोजना आवेदन पत्रों पर जो उद्योग मंत्रालय के प्रेस नोट सं. 13(1991 सिरिज) के पैरा-3में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा 15 दिन के अन्दर-अन्दर स्वतः अनुमोदन किया जाता है । निर्यात अभिमुख यूनिटों के मामले में ऐसा अनुमोदन औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस.आई.ए.) द्वारा दिया जाएगा।

101. अन्य मामले : अन्य मामलों में अनुमोदन इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए बोर्डों अथवा औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा जैसा भी मामला हो, किया जा सकता है।

102. डी.टी.ए. बिक्री : निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों का सकल उत्पादन निम्नलिखित को छोड़कर निर्यात किया जाएगा :—

(क) 5 % तक रिजेक्ट्स अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित प्रतिशत तक रिजेक्ट्स को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचा जा सकता है बशर्ते कि उपयुक्त करों का भुगतान कर दिया गया हो, और

(ख) डी टी ए में उत्पादन का 25 % मूल्य शर्तों के रूप में बेचा जा सकता है। डी टी ए की बिक्री न्यूनतम मूल्य संयोजन और निर्यात आभार को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन ही होगी। किसी भी डी टी ए की बिक्री, आभूषणों/हीरों, बहुमूल्य और अर्द्धमूल्य पत्थरों/रत्नों, मोटरकारों एल्कोहोलिक शराबों, सिल्वर बुलियन और अन्य ऐसी मदें जिनके बारे में महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्धारित किया गया हो, अनुमेय नहीं होगी । लेकिन कृषि, एक्वा-कल्चर, पशुपालन, फूलों की खेती, बागवानी, मत्स्यपालन और रेशम उत्पादन में निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन जोन की यूनिट के सम्बन्ध में यूनिट मूल्य के अनुसार अपने उत्पादन के 50 % तक को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य संयोजन और निर्यात आभार को पूरा करती हो।

103. निर्यात आभार : निर्यात आभार पूरा करने में निम्नलिखित आपूर्तियों को हिसाब में लिया जाएगा :—

(क) विश्व टेंडर शर्तों के अधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र में की गई आपूर्ति;

(ख) विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे घरेलू क्षेत्र में की गई आपूर्ति;

(ग) अग्रिम लाइसेंसों तथा आयात लाइसेंसों के मद्दे आपूर्ति;

(घ) विकास आयुक्त की अनुमति से अन्य निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों के लिए आपूर्ति।

104. निर्यात सदन व्यापार सदन स्टार व्यापार सदन के जरिये निर्यात : कोई निर्यात अभिमुख यूनिट निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट अपने विनिर्मित माल का निर्यात इस नीति के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी निर्यात सदन व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन अथवा अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संवर्धन क्षेत्र यूनिटों के जरिए कर सकती है। यह अनुमति केवल

निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन अथवा अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिटों द्वारा माल के विपणन तक ही सीमित है। माल का विनिर्माण निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र का यूनिटों में किया जाएगा। मूल्य वर्धन तथा निर्यात आभार और साथ ही आयात एवं निर्यात संबंधी कोई अन्य आभार निर्यात उन्मुख यूनिट संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा पूरे किए जाते रहेंगे।

105 विकास आयुक्त निम्नलिखित की भी अनुमति दे सकता है :—

(क) निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों द्वारा उत्पादित माल के समुचित मात्रा में, नमूनों की आपूर्ति या बिक्री जो लगाए जाने वाले शुल्क का भुगतान करने पर प्रदर्शनी या प्रचार आदेशों के लिए हो। ऐसे माल को लौटाने का समुचित आश्वासन देने पर ऐसे नमूनों को यूनिटों से हटाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) डी. टी. ए. में बिक्री किए गए परन्तु त्रुटिपूर्ण पाए गए माल की मरम्मत विस्थापन हेतु वापिस लाना। ऐसा माल यूनिट से हटाया जा सकता है बशर्ते कि माल की पहचान हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी संतुष्ट हों।

(ग) मरम्मत/परीक्षण अथवा व्यासममापन हेतु डी. टी. ए. के माल का स्थानान्तरण बशर्ते कि निर्यात अभिमुख यूनिट के मामले में इसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा दी जाए।

106. डी. टी. ए. से आपूर्ति के लाभ.—घरेलू टैरिफ क्षेत्र से निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को आपूर्ति 'अभिग्रहीत निर्यात' समझी जाएगी और इस नीति के पैरा-122 के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त निम्नलिखित लाभों की पात्र होगी :—

(क) केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी,

(ख) पूंजीगत माल, संघटकों तथा कच्चे माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट, और

(ग) सभरक पर निर्यात आभार, यदि कोई हो, का निष्पादन।

107 शर्तें.—पैराग्राफ 106 के अन्तर्गत बताए गए लाभ उपलब्ध होंगे बशर्ते कि आपूर्ति किया गया माल देश में निर्मित किया गया हो।

108. निर्यात संसाधन क्षेत्र निर्यात अभिमुख यूनिटों के लिये लाभ.—रियायती किराया —निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थापित यूनिटें तीन वर्षों के लिए आबंटित औद्योगिक प्लाट तथा मानक डिजाइन फैक्टरी (एस. डी. एफ.) भवन/शैड के पट्टे के लिए प्रथम निम्नलिखित दरों पर रियायती किराए के लिए पात्र होंगी :—

प्लाटों के लिए :—यदि पहले अथवा दूसरे वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ हो गया हो तो यह रियायत पहले वर्ष के लिए 75%, दूसरे वर्ष के लिए 50% तथा तीसरे वर्ष के लिए 25% होगी। यदि उत्पादन दूसरे वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ नहीं हुआ हो तो तीसरे वर्ष के लिए रियायत नहीं दी जाएगी।

मानक डिजाइन फैक्टरी भवन /शैड के लिए :—यदि उत्पादन पहले वर्ष में प्रारम्भ हो गया हो, तो पहले वर्ष के लिए रियायत 50% तथा दूसरे वर्ष के लिए 40% होगी। यदि उत्पादन पहले वर्ष में प्रारम्भ हो गया हो तो तीसरे वर्ष के लिए 25% की रियायत मिलेगी। यह रियायत उपलब्ध नहीं होगी यदि पहले ही वर्ष के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ हुआ न हो।

कर छूट :—निर्यात अभिमुख यूनिटों और निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को कार्यप्रारम्भ करने के प्रथम 8 वर्षों में 5 वर्षों के ब्लाक के दौरान निगमित कर के भुगतान में छूट होगी।

निर्यात अभिमुख यूनिटों और निर्यात संवर्धन जोन यूनिटों के निर्यात के जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य को इसकी पैरेन्ट कम्पनी के निर्यात के जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य से डी टी ए में निर्यात सदन, व्यापार सदन अथवा स्टार व्यापार सदन का दर्जा देने के लिए उन्नयन हेतु जोड़ा जा सकता है।

शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी :—निर्यात अभिमुख यूनिटों और निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों के मामले में शत-प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी अनुमेय है।

109 अन्त. यूनिट स्थानांतरण.—विकास आयुक्त एक निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट से दूसरी निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट, एक निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट से एक निर्यात अभिमुख यूनिट, निर्यात अभिमुख यूनिट से एक निर्यात संसाधन यूनिट या निर्यात अभिमुख यूनिट से दूसरी निर्यात अभिमुख यूनिट को विनिर्मित माल के स्थानान्तरण की अनुमति दे सकता है।

110. निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों द्वारा आयातित माल को विकास आयुक्त की अनुमति से अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट को उधार पर दिया जा सकता है अथवा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

111 उप संविदा करना.-निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन यूनिटों को अपने उत्पादन के भाग को घरेलू टैरिफ क्षेत्र की यूनिटों को फुटकर काम के लिए उप-संविदा करने की अनुमति प्रत्येक मामले के आधार पर दी जा सकती है। इस मामले में प्राप्त अनुरोध पर संबद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा कतिपय कारकों के आधार पर विचार किया जा सकता है जैसे कि बाण्ड भरने का औचित्य निवेश एवं उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण तथा संबद्ध यूनिटों द्वारा वचन/बंधपत्र प्रस्तुत करना।

112. आयातित माल की बिक्री यदि कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट वैध कारणों से आयातित माल का उपयोग करने में असमर्थ रहती है, तो वह विकास आयुक्त की अनुमति से पुनः निर्यात कर सकती है, बशर्ते कि मूल्यांकन आदि के संदर्भ में सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने अनुमति दे दी हो। ये शुल्कों का अदायगी पर विकासआयुक्त की अनुमति से घरेलू टैरिफ क्षेत्र के किसी वास्तविक उपयोक्ता को भी ऐसे माल का स्थानान्तरण किया जा सकता है।

113. आयातित मशीनरी/पूंजीगत माल जो पुराना हो गया हो, उसके घटे हुए मूल्य पर सीमाशुल्क का भुगतान करने के अध्यधीन निपटाया जा सकता है।

114 रद्दी माल का निपटान : इसके लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अध्यधीन विकास आयुक्त उत्पादन प्रक्रिया, लागू शुल्कों और करों का भुगतान करने पर से उत्पन्न रद्दी/अशिष्ट उत्पाद/अवशेष की बिक्री अथवा उनका निपटान किसी अन्य ढंग से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में करने की अनुमति दे सकता है। परिशिष्ट—दो में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा इस बारे में जारी की गई सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए ऐसी रद्दी/अपशिष्ट उत्पाद/अवशेष का प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

115. निजी बंधित माल गोदाम : निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निर्यात अभिमुख यूनिटों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों के लिए शुल्क कच्चे माल, संघटक आदि के स्टाक एवं बिक्री के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों के भीतर निजी माल-गोदाम स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है :—

(क) निजी बंधित माल-गोदाम निर्यात संसाधन क्षेत्र के अन्दर स्थित होंगे;

(ख) ऐसे निजी बंधित माल गोदाम के लिए मालों की अनुमति विशिष्ट लाइसेंसों के मदें दी जाएगी, ऐसी मदों के आयात के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी जो उपभोक्ता यूनिटों द्वारा अपेक्षित न हों; और

(ग) निजी माल गोदाम द्वारा आयातित मदों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

116. बंधपत्र की लागू अवधि . निर्यात अभिमुख स्कीम के अंतर्गत यूनिटों के लिए बंधपत्र की लागू अवधि 10 वर्ष होगी। तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तन करने वाले उत्पादों के मामले में यह अवधि अनुमोदन बोर्ड (बी. ओ. ए.) द्वारा घटाकर 5 वर्ष की जा सकती है। बंधपत्र की लागू अवधि पूरी होने पर यह यूनिट की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह इसे जारी रखे या स्कीम में कोई विकल्प चुने। तथापि बंधपत्र में इस प्रकार की मुक्ति विकल्प देते समय लागू औद्योगिक नीति के अध्यधीन दी जाएगी।

117. बंधपत्र से विमुक्ति :—निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को निर्यात आभार, मूल्य वर्धन या अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति में असमर्थ होने पर अनुमोदन बोर्ड की संतुष्टि पर बाण्ड रहित किया जा सकता है। इस प्रकार बंधपत्र से वंचित करने में ऐसे दण्ड दिए जाएंगे जिन्हें निम्नलिखित करों के आधार पर लगाया जा सकता है :—

(क) घटे हुए मूल्य पर लेकिन आयात के समय प्रचलित दरों पर पूंजीगत माल पर सीमाशुल्क;

(ख) आयात के समय मूल्य पर तथा निकासी के समय चालू दरों पर अप्रयुक्त कच्चे माल और संघटकों पर सीमाशुल्क।

118 परिवर्तन.—मौजूदा बी.टी.ए. यूनिटें किसी निर्यात अभिमुख यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं लेकिन पहले से स्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अंतर्गत शुल्कों और करों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

119. मूल्य संयोजन —इस अध्याय के लिए "मूल्य संयोजन" प्रतिगणना के रूप में व्यक्त किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :—

$$\text{बी.ए.} = \frac{\text{ए}-\text{बी}}{\text{ए}} \times 100, \text{ जहां}$$

बी.ए. मूल्य संयोजन है

ए निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा वसूल किया गया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है, और

बी. एक ऐसा मूल्य है जो सभी आयातित निवेशों के लागत बीमा भाड़ा मूल्यों, सभी आयातित पूंजीगत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और जो प्रथम 5 वर्षों की अवधि दौरान कमीशन, रायल्टी, फीस, डिविडण्ड, ब्याज के रूप में बाह्य कर्ज अथवा अन्य ऐसे प्रभार के रूप में विदेशी मुद्रा में किए गए समान ऐसे भुगतानों का योग है। "निवेश" का अर्थ है कच्चा माल, मध्यवर्ती संघटक, उपभोज्य पूर्जे और पैकिंग सामग्री।

टिप्पणी 1. यदि कोई भी निवेश किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट से प्राप्त की जाती है तो ऐसे निवेशों का मूल्य बी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

टिप्पणी 2. यदि कोई भी पूंजीगत माल जो निःशुल्क प्रभार पर आयात किया जाता है और घरेलू वित्तीय कम्पनी से पट्टे पर दिया जाता है तो उस पूंजीगत माल की लागत बीमा भाड़ा मूल्य बी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

टिप्पणी 3. उन परियोजनाओं के मामले में जहां भूमि, भवन, प्लांट और मशीनरी का निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक हो वहां पूंजीगत माल का मूल्य भाग वर्षों की अवधि से अधिक तक चुकाया जाएगा अर्थात् ऐसे मामलों में आयातित पूंजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य को केवल 5/7 वां हिस्सा बी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

अध्याय दस

अभिग्रहीत निर्यात

120. परिभाषा :—"अभिग्रहीत निर्यात" का अर्थ उस लेन देन से है जिसमें संभरित किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता है और संभरक माल द्वारा माल के लिए भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त किन्तु संभरण से देश के लिए विदेशी मुद्रा की आय अथवा बचत होती है।

121 संभरण की श्रेणियां.—इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल का संभरण "अभिग्रहीत निर्यात" के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित है और भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त हुआ है :

(क) शुल्क मुक्त स्कीम के तहत जारी "शुल्क मुक्त लाइसेंसों" के मद्दे माल का संभरण।

(ख) विदेशी समुद्री जहाजों और विदेशी हवाई सेवाओं को भारत में माल का संभरण।

(ग) निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई.पी.जेड.) या निर्यात अभिमुख यूनिटों (ई.ओ.यू.) में स्थित यूनिटों को माल का संभरण।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) आयल इंडिया लि. (ओ. आई. एल.) और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.) को उनके अपतटीय और तटीय अनुसंधान, ड्रीलिंग और उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए पूंजीगत माल, संघटकों, पुर्जों कच्चे माल, उपभोज्यों, उपकरणों, उपसाधित्रों औजारों और अतिरिक्त पुर्जों का संभरण।

(ङ) निम्नलिखित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों निधियों या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत या उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार सीमित निविदा पद्धति के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अभिकरण निधि द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल और सेवाओं का संभरण :—

(1) अरब आर्थिक विकास के लिए आबूधाबी फण्ड।

(2) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी./आई.डी.ए.)।

(4) कृषि विकास अन्तर्राष्ट्रीय निधि (आई.एफ.ए.डी.)।

(5) क्रेडिटांसडालटफर वीडेराफबाऊ के.एफ.डब्लू।

(6) अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैती निधि।

(7) पेट्रो निर्यातक देश संघ निधि (ओपेक)।

(8) सऊदी विकास निधि (एस.एफ.डी.)।

(9) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू.एस.ए.आई.डी.)।

(10) विदेश आर्थिक सहयोग निधि के माध्यम से मार्गीकृत येन क्रेडिट (ओ.ई.सी.एफ.)।

(11) जापान का निर्यात आयात बैंक।

(12) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.)।

(13) कनाडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी।

(14) ओवरसीज विकास एजेंसी।

(च) उर्वरक संयंत्रों को भारतीय मुख्य ठेकेदारों द्वारा पूंजीगत माल का संभरण, यदि संभरण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अधीन किया गया हो।

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अंतर्गत परियोजनाओं को माल और सेवाओं का संभरण अथवा ऐसी प्रक्रियाएं जहां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बोली अथवा इसी प्रकार की प्रक्रियाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत की गई हों।

(ज) विदेशी सरकार अथवा अभिकरण द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किसी परियोजना को माल की आपूर्ति जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

122. अभिग्रहीत निर्यात के लिये लाभ.—अभिग्रहीत निर्यात के रूप में पात्रता प्रदान करने वाले माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में अभिग्रहीत निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :—

(क) अध्याय सात के अधीन शुल्क मुक्त स्कीम।

(ख) शुल्क वापसी स्कीम।

(ग) टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी।

अध्याय—ग्यारह

निर्यात

123. मुक्त निर्यात :—सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबन्ध के होंगे लेकिन वह वहीं तक सीमित रहेगा जहां तक कि वे निर्यात की निषेधात्मक सूची या इस नीति के प्रावधानों द्वारा या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित होते हों।

तथापि महानिदेशक, विदेश व्यापार सार्वजनिक सूचना के द्वारा उन शर्तों का उल्लेख कर सकता है जिनके अनुसार वह माल जो निर्यातों की निषेधात्मक सूची में नहीं आता है, बिना लाइसेंस के निर्यात किया जा सकता है। ऐसी शर्तों में न्यूनतम निर्यात मूल्य, उल्लिखित प्राधिकारियों के साथ

पंजीकरण मूल्य संयोजन, मात्रात्मक सीलिंग और अन्य कानूनों, नियमों और विनियमों की अनुपालन का उल्लेख हो सकता है ।

124 पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर.सी.एम.सी.) —कोई भी व्यक्ति जो (1) निर्यात लाइसेंस के लिए अथवा (2) इस नीति के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ या (3) छूट के लिए आवेदन करता है उसे निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.) जिसका वह सदस्य है, से पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

125. हटा दिया गया है।

126. संविदाओं को अनामांकित करना :—सभी निर्यात संविदाएं मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में अनामांकित की जा सकेंगी । उन संविदाओं के मामले में जिनका भुगतान एशियन क्लीयरिंग यूनियन (ए.सी.यू.) के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो उसे आयातक अथवा निर्यातक देश के अथवा मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में अनामांकित किया जा सकता है । उचित मामलों में केन्द्र सरकार इसमें दिये गये प्रावधानों में छूट प्रदान कर सकती है ।

127 हटा दिया गया है।

128. पुनः निर्यात :—इस नीति के अधीन मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा के भुगतान के आधार पर आयातित माल को उसी अथवा कुछ बदली हुई स्थिति में बिना लाइसेंस के पुनः निर्यात किया जा सकेगा । यदि ऐसे पुनः निर्यात के लिए भुगतान भी मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया गया हो बशर्ते कि (क) मद निषेधात्मक सूची में न हो (ख) न्यूनतम 5% का मूल्य संयोजन हो और (ग) कोई कर छूट प्राप्त न की गई हो।

129. निजी असबाब का निर्यात —बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वास्तविक निजी असबाब को या तो यात्रियों के साथ ही या यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति है । निर्यात की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित मदों के लिये खाद्य मदों को छोड़कर एक लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

130. जहाज भण्डागार —निषेधात्मक सूची में आने वाली खाद्य मदों को छोड़कर सभी मदों को भी परिवहन दोनों के कर्मीदल तथा यात्री जहाज भण्डार के तौर पर बिना लाइसेंस के ले जा सकते है । निर्यात की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित मदों के लिये प्रतिबन्धित मदों को छोड़ कर भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मदों के लिये लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है ।

131 उपहारों का निर्यात :—3,000 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी माल का निर्यात उपहार स्वरूप नहीं किया जा सकता । केवल 3,000 रुपये तक मूल्य की खाद्य सामग्री को छोड़कर निर्यात निषेधात्मक सूची में मदों को उपहार के तौर पर बिना लाइसेंस के निर्यात नहीं किया जा सकता ।

132 अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात :—प्लांट, उपस्कर मशीनरी, आटोमोबाइल के देशीय या आयातित वारण्टी अतिरिक्त पुर्जों अथवा अन्य मदों का निर्यात मुख्य उपस्कर के साथ ही साथ या बाद में ऐसे माल के निर्यातों के कुल जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 2% तक किया जा सकता है । जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% से अधिक मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात लाइसेंस के मद्दे अनुमत होगा।

133. पारगमन सुविधा :—भारत के समीपवर्ती देशों को, भारत से या भारत में होकर, माल भेजने की अनुमति है बशर्ते कि यह भारत और उस देश में हुई सन्धि के अनुसार हो ।

134. हटा दिया गया है ।

अध्याय—बारह

निर्यात, सदन व्यापार सदन और स्टार व्यापार सदन

135. परिभाषा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानदण्ड के अन्तर्गत व्यापारी और विनिर्माता निर्यातकों और व्यापारिक कम्पनियों इसमें विदेशी ईक्विटी रखने वाली सहित निर्यात अभिमुख यूनिटों (ई.ओ.यू.) और निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई.पी.जैड) में स्थित यूनिटों को निर्यात सदन व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता दी गई है । सभी निर्यात सदन व्यापार सदन और स्टार व्यापार सदन उनको स्वीकृत समय के लिये उस स्थिति को बनाये रखेंगे ।

136. नवीनीकरण के लिये मानदण्ड तथापि, जब निर्यात सदन, व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन पूर्वोक्त समायावधि की समाप्ति पर नये सिरे से निर्यात सदन, व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन, जैसा भी मामला हो के रूप में मान्यता के लिये आवेदन करता है तो ऐसी मान्यता आगे निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत दी जायेगी ।

137. मान्यता के लिये मानदण्ड निर्यात सदन व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता के लिये । 1 अप्रैल, 1993 से गत तीन लाईसेंसिंग वर्षों में वास्तविक निर्यातों का औसत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य गत वर्ष में वास्तविक निर्यातों का जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य जो भी पूरा करता हो, निम्नानुसार मानदण्ड होगा :—

श्रेणी	गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान वास्तविक निर्यातों के जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का औसत	गत लाइसेंसिंग वर्ष में वास्तविक निर्यातों का जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य
निर्यात सदन	10 करोड़	15 करोड़
व्यापार सदन	50 करोड़	75 करोड़
स्टार व्यापार सदन	250 करोड़	300 करोड़

138. इस मानदण्ड के उद्देश्य के लिए नीति के अध्याय–8 में दिये गये अत्पादों के वास्तविक निर्यात की गणना निर्यातों के वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पाचवें भाग के रूप में की जायेगी ।

139. अतिरिक्त लाभ.—लघु उद्योगों और हस्तशिल्प क्षेत्रों द्वारा विनियमित उत्पादों के वास्तविक निर्यातों को द्विगुना अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा । इसमें खेल का सामान हाथ से बुनी दरियां और रेशम उत्पाद भी शामिल है ।

140. निर्यातक की सहायक कम्पनी, चाहे वह घरेलू टेरिफ एरिया की हो या निर्यात संवर्धन क्षेत्र में स्थित हो या निर्यात अभिमुख इकाई के रूप में कार्य कर रही हो, के द्वारा किये गये निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की गणना पात्रता के उद्देश्य के लिए मुख्य कम्पनी के निर्यात निष्पादन के रूप में की जाएगी ।

141. वैधता अवधि .—निर्यात सदन/व्यापार सदन स्टार/ व्यापार सदन प्रमाणपत्र, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, उस लाईसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे जिसके दौरान मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया है ।

142. लाभ .—इस संबंध में अधिसूचित की जाने वाली एक स्कीम के अनुसार निर्यात सदन/व्यापार सदन / स्टार व्यापार सदन ऐसे लाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

अध्याय–तेरह

निर्यात संवर्धन परिषदें

143(क) निर्यात नवर्धन परिषदें :- इस समय 19 निर्यात परिषदें है जिनका मूल उद्देश्य देश के निर्यात का संवर्धन एवं विकास करना है । प्रत्येक परिषद किसी एक विशिष्ट उत्पादों के समूह, परियोजनाओं तथा सेवाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है । निर्यात संवर्धन परिषदें नीचे दी गई है :-

(1) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता ।

(2) ओवरसीज कन्सट्रक्शन कौंसिल आफ इंडिया, बम्बई ।

(3) ईलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्यूटर साफटवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ।

(4) प्लास्टिक एवं लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।

(5) मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।

(6) रसायन, एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता ।

(7) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई

(8) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास ।

(9) खेल कूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(10) काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन ।

(11) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता ।

(12) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(13) सिन्थेटिक एवं रेशम वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।

(14) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई

(15) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(16) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली

(17) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(18) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, टेक्सप्रोसिल बम्बई ।

(19) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास

(ख) इस अध्याय के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित अभिकरणों को निर्यात संवर्धन परिषदों के रूप में समझा जाएगा :—

(1) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाईजेशन (एफआई ई ओ)

(2) मसाला बोर्ड

(3) तम्बाकू बोर्ड

(4) कृषि एवं ससाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा)

(5) रबड़ बोर्ड

(6) कॉफी बोर्ड

(7) चाय बोर्ड

(8) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए)

144. लाभ न कमाने वाले संगठन .—निर्यात संवर्धन परिषदें कम्पनी अधिनियम अथवा समितियां पंजीकरण अधिनियम जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत लाभ न कमाने वाले संगठन हैं । इन्हें केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है ।

145. भूमिका :- निर्यात संवर्धन परिषदों की मुख्य भूमिका उच्च स्तर के माल के विश्वसनीय सप्लाईकर्ता और सेवाएं देने के लिए भारत के प्रतिविम्ब को प्रस्तुत करना है । विशेषत: निर्यात संवर्धन परिषदें । निर्यातकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं विशिष्टियों के संवर्धन तथा मानीटरिंग के प्रेक्षणों का कार्य करेंगी । उन्हें माल और सेवाओं के लिए

अंतर्राष्ट्रीय मार्किटों में अवसरों और रूझों पर नजर रखनी होगी और निर्यातों के विस्तार तथा विविधता लाने के उद्देश्य से ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपने सदस्यों की सहायता करेंगी।

146. कर्तव्य.—निर्यात संवर्धन परिषदों के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है :—

(क) अपने सदस्यों की उनके निर्यातों में विस्तार तथा वृद्धि करने में सहायता करना तथा वाणिज्यिक लाभकारी सूचनाएं उपलब्ध कराना।

(ख) अपने सदस्यों को प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, गुणवत्ता तथा डिजाईन सुधार, मानक तथा विशिष्टियों, उत्पाद-विकास नवीन प्रक्रिया और अन्य ऐसे मामलों में व्यावसायिक परामर्श देना।

(ग) विदेशी बाजार का अध्ययन करने के लिए विदेशों में अपने सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डलों के दौरों को आयोजित करना।

(घ) भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा खरीद-फरोक्त की गोष्ठियों में भाग लेने के प्रबन्ध करना।

(ङ) केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर निर्यातक समुदाय एवं सरकार के बीच पारस्परिकता को बढ़ाना।

(च) देश के निर्यातों एवं आयातों, अपने सदस्यों के निर्यातों एवं आयातों के साथ-साथ अन्य सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आकड़ों की व्यवस्था करना तथा सांख्यिकीय आधार का निर्माण करना।

147. सदस्यता.—कोई भी निर्यातक/आयातक निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है और निर्यात संवर्धन परिषद के नियमों एवं विनियमों के अनुसार एक महीने के अंदर ऐसे आवेदन पर विचार एवं उसका निबटान किया जाएगा। सदस्यता प्राप्त होने पर आवेदक को एकदम एक पंजीकरण सहसदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसी एम सी) दिया जाएगा।

148. व्यावसायिक संस्थाएं.—निर्यातों में वृद्धि करने के लिए अपने उत्तरदायित्व को निभाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण है कि निर्यात संवर्धन परिषदें व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में कार्य करें। इस उद्देश्य के लिए ऐसें कार्यकारी अधिकारियों को जिन्हें व्यावसायिक ज्ञान एवं उद्योग, वाणिज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्किटिंग में अनुभव हो, निर्यात संवर्धन परिषदों में लाया जाना चाहिए।

149. स्वायत्ता निर्यात.—संवर्धन परिषदें स्वायत्तशासी होंगी। और अपने कामों को स्वयं विनियमित करेंगी। उन्हें बिक्री दलों अथवा प्रतिनिधियों को मेलों/प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिए विदेशों में भेजने हेतु सरकार की मंजूरी लेना अपेक्षित नहीं होगा। सरकार केवल निर्यात संवर्धन परिषदों की वार्षिक योजनाओं एवं बजट को ही स्वीकृति देगी तथा उनके कार्य निष्पादन का प्रबोधन एवं मूल्यांकन करेगी। वाणिज्य/वस्त्र मंत्रालय/इलैक्ट्रानिकी विभाग वर्ष में दो बार प्रथमतः वार्षिक योजना एव बजट की स्वीकृति के लिए और दूसरी बार वर्ष के बीच में समीक्षा करने के लिए संबंधित परिषद की प्रबन्ध समिति के साथ परस्पर कार्यवाही करेंगे।

150. समर्थन के लिए शर्तें.—निर्यात संवर्धन परिषदों को सरकार द्वारा दिया गया समर्थन, धनराशि के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार का निम्न पर निर्भर करेगा।

(क) उनको सौंपे गए कार्यों का प्रभावी तरीके से निष्पादन।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता का लोकतांत्रिकरण।

(ग) नियमित अन्तरालों पर लोकतांत्रिक रूप से निर्यात संवर्धन परिषद के पदाधिकारियों का चुनाव करना, और

(घ) निर्यात संवर्धन परिषद के लेखों की समय पर लेखा परीक्षा कराना।

अध्याय—चौदह

गुणवत्ता

151. गुणवत्ता के प्रति जागरूकता अभियान.—भारत सरकार की नीति अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए विनिर्माताओं और निर्यातकों को प्रोत्साहित करने की है। भारत सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने और कुल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और व्यापार संस्थानों के लिए सुविधा और समर्थन में बढ़ोत्तरी करेगी।

152. राज्य स्तरीय कार्यक्रम.—केन्द्र सरकार अपने अपने राज्य में विशेषकर छोटे पैमाने और हस्तशिल्प क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान करेगी।

153. पुरस्कार और लाभ.—केन्द्र सरकार आई एस ओ 9000 (सीरिज) अथवा बी. आई० एस. 14000 (सीरिज) अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोई अन्य समकक्ष गुणवत्ता प्रमाणपत्र कर चुके विनिर्माताओं को मान्यता प्रदान करने और उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करने के लिए एक योजना प्रारम्भ करेगी इस सम्बध में अधिसूचित की जाने वाली योजना में उल्लेख किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए ऐसे विनिर्माता पात्र होंगे।

154. परीक्षण गृह.—केन्द्र सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और स्तर उचा करने में सहायता करेगी ताकि ऐसे परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए प्रमाणन को देश और विदेश में मान्यता मिल सकें।

अध्याय—पंद्रह

आयात की निषेधात्मक सूची

भाग—1

155. प्रतिबंधित मदें

क्रम सं.	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
1	2	3
1.	निम्नलिखित सहित किसी पशु मूल का टैलो, फैट और/या रेंडरल, अनरेंडरड अथवा/अन्यथा ऑयल :— (1) लार्ड स्टीरोन, ओलिया स्टीरीन, टैलो स्टीरीन, लार्ड ऑयल, ओलियो ऑयल तथा टैली ऑयल जो किसी भी प्रकार से एमल्सीइफॉड या मिक्सड या तैयार न किया गया हो। (2) नीट-फूट ऑयल तथा बोन अथवा वेस्ट से बना फैट। (3) पोल्ट्री, फैटस, रेन्डरड अथवा सोल्वेंट एक्सटरैक्टिड। (4) मछली के फैट और तेल/मैरिन ओरिजन चाहे रिफाइण्ड हो अथवा नहीं, कॉड लीवर ऑयल को छोड़कर स्क्वाईड लिवर ऑयल या उसका मिश्रण तथा आइकोसपेंटे नोइक एसिड एवं डी-कोसाहिक्सीनोइक एसिड वाला फिश लिपिड ऑयल। (5) मरगारिन, इमिटेशन लार्ड तथा पशु मूल के खाद्य फैट्स से तैयार किया गया।	आयात	अनुमेय नहीं है।
2.	पशु रैनेट	—वही—
3.	बिना निर्मित हाथी दांत	—वही—

भाग—दो

156. प्रतिबंधित मदें

क. उपभोज्य माल

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1	2	3
	सभी उपभोज्य माल, तथापि विनिर्दिष्ट, औद्योगिक, कृषि संबंधी, खनिज संबंधी अथवा पशु मूल, चाहे एस. के. डी./सी. के. डी. हालत में हो अथवा सैट एकल हेतु तत्पर हो अथवा तैयार रूप में हो। शंका के समाधान हेतु एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि उपभोज्य माल में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा :— 1. उपभोज्य इलैक्ट्रानिक माल, उपकरण और सिस्टम जो किसी भी रूप में वर्णित हो। 2. उपभोज्य दूर संचार उपस्कर। 3. एस. के. डी./सी. के. डी. अथवा निर्मित हालत में घड़ियां तथा गति (मैकेनिस्म), घड़ी के केस, घड़ी के डॉयल।	लाइसेंस के मद्दे अथवा इस आशय के लिए जारी सार्वजनिक सूचना के अनुरूप को छोड़कर आयात अनुमेय नहीं है।

1	2	3
	4. सूती, ऊनी, रेशमी, मानवनिर्मित तथा सूती टैरी टॉवल, फैबरिक सहित बर्लैंडिड फैबरिक्स	
	5. अल्कोहल मदिरा के सांद्रेण	
	6. मदिरा (टॉनिक अथवा मेडिकेटिड)	
	7. केसर	
	8. लौंग, दाल-चीनी तथा तेजपत्ता	लाइसेंस के मदें आयात अनुमेय होना बशर्ते कि आयात के मूल्य के दोगुने मूल्य का निर्यात आभार होगा। निर्यात आभार के लिए अर्हक मा ल यथाविनिर्दिष्ट होगा ।
	9. खेल-कूद सामग्री उपकरण	आयात लाइसेंस के मदें अथवा इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार अनुमित होगा ।
	10. कैमरा	आयात लाइसेंस के मदें या इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार अनुमेय होगा फोटोग्राफी स्टूडियों तथा अधिकृत कैमरामैन, विदेशी प्रसारण या टेलीविजन संगठनों के अधिकृत संवाददाताओं, विदेशी समाचार एजेंसियों अथवा विदेशी समाचार-पत्रों को विशिष्ट शर्तों के अधीन आयात अनुमेय किया जा सकेगा ।
	11. उपभोज्य माल का उपहार	धर्मार्थ, धार्मिक अथवा शैक्षिक संस्थानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्टकृत अथवा/अन्यथा अनुमित व्यक्तियों को विशिष्ट शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जा सकती है।

तथापि, निम्नलिखित मदें मुक्त रूप से आयात करने योग्य होंगी यद्यपि उनको उपभोक्ता माल माना जा सकता है :—

1. सभी प्रकार के गर्भ-निरोधक
2. सभी प्रकार के लकड़ी के लट्ठे
3. गारमेन्ट्स, मेड-अप्स, निटवियर, प्लास्टिक चमड़े के सामान के लिए सभी प्रकार के ट्रिमिंग्स एवं इम्बेलिशमेन्टस, फास्टनर्स, बटन आदि ।
4. किटों, सहायक उपकरणों, यंत्रों, अतिरिक्त पुर्जों और संघटकों सहित अमेटियर रेडियो संचार उपस्कर
5. आर्ट और क्रोम कागज गत्ता
6. हींग
7. श्रवण-दृश्य समाचार या श्रवण-दृश्य विचार सामग्री जिसमें समाचार के क्लिपिंग भी शामिल हैं ।
8. सभी प्रकार के बस और ट्रक के टायर
9. बच्चों की फिल्में (विडियो फिल्मों सहित) जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "बच्चों की फिल्म" है के रूप में सत्यापित हों ।
10. कम्प्यूटर साफ्टवेयर
11. अधिसूचित किए गए अनुसार आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं बनाने के लिए अपेक्षित अशोधित औषधियां, संगयशब (जेड), मोतियों और प्रकलों के आयात की अनुमति केवल चूर्ण रूप में तथा गैर-आभूषण वाले रूप में ही होगी ।
12. डिपिंग ऑयल फोर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेप्स ।
13. ड्राइंग पेपर ।
14. खण्ड–छ में उल्लिखित को छोड़कर औषध एवं भेषज

1	2	3
	15. बादाम और खजूर सहित सूखे मेवे	
	16. फलों और सब्जियों को ताजा रखने के लिए खाद्य मोम	
	17. शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं और समाचार पत्र ।	
	18. प्रतिकृत मशीन	
	19. पाजिटिव सिनेमेटोग्राफिक कलर की फिल्मों (अनभिदर्शित) के फिनिस्ड रॉल	
	20. पाउडर के रूप में मत्स्य भोजन	
	21. फ्लोट ग्लास	
	22 ग्रेप गार्ड पेपर	
	23. होमियोपैथिक दवाएं और औषधियां	
	24. ब्रेल टाइपराइटरों सहित अंधों द्वारा अपेक्षित यंत्र एव उपस्कर	
	25. जमदानी साड़ियां	
	26. शिक्षण सहायक उपकरण जैसे भाषा अभिलेख, कैसेट और विडियो	
	27. फोटो कापियर	
	28. 120 और 620 आकार के रॉलों को छोड़कर अन्य फोटोग्राफिक फिल्में (श्याम-श्वेत)	
	29. फोटोग्राफिक फिल्म (रंगीन)	
	30. झींगा, झींगी और कुक्कुट खाद्य पदार्थ	
	31. दालें, लेकिन विषैली दालों जैसे ब्लैक फ्लूर या विसिया सतिवा के आयात पर प्रतिबंध है ।	
	32. कच्चा काजू	
	33. सेंधा नमक	
	34. रुद्राक्ष के दाने	
	35 अध्यापन के सहायक उपकरण जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—	
	(1) माइक्रो फिल्म, माइक्रो-फीचेज और पाठक सह-मुद्रक	
	(2) शैक्षिक प्रकृति के फिल्म स्ट्रिप्स/स्लाइड्स, आडियो कैसेट, विडियो टेप्स और विडियो डिस्क	
	36. व्हीट ग्लूटेन	

ख. मूल्यवान अर्ध-मूल्यवान और पत्थर

1	2	3
1.	क्यूबिक जिरकोनिया	आयात, लाइसेंस के मद्दे निर्यात के लिए या इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार अनुमित है।

1	2	3
2.	पत्थर	
	(क) अपरिष्कृत हीरे	—वही—
	(ख) परिष्कृत तथा बिना काम किए गए सिंथेटिक पत्थर (बिना काम किए गए सिंथेटिक रूबी को छोड़कर)	
	(ग) पन्ना रूबी और नीलम, अर्द्ध-मूल्यवान और मूल्यवान पत्थर और मोती (वास्तविक या सुवर्धित)	
3	ग्रेनाइड, पोरफिरी, बेसाल्ड, बालूका पत्थर और स्मारकीय या इमारती अन्य पत्थर चाहे मोटे तौर पर ब्लाकों या स्लैबों मे काटकर या अन्यथा, तराशे हुए हों या न हों या केवल कटे हुए हों।	—वही—
4.	2.5 या अधिक आभासी विशिष्ट गुरुत्व का संगमरमर ट्रेवरटाइन, एकासाइन अन्य कल्केरस स्मारकीय या इमारती पत्थर चाहे मोटे तौर पर ब्लाकों या स्लैबों में काटकर या अन्यथा तराशे हुए हों या न हों या केवल कटे हुए हों।	—वही—
5.	सुलमानी (आनिक्स)	—वही—

ग. बचाव, सुरक्षा और संबंधित मदें

क्रम सं	मद का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
1	2	3
1.	सुरक्षा मुद्रण के लिए करेंसी पेपर स्टाम्प पेपर और अन्य विशेष प्रकार के पेपर	लाइसेंस के मदें या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना अनुसार, को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है।
2.	सभी बोर/साइजों के खाली/चलाए हुए कारतूस	—वही—
3.	आग्नेशास्त्र	भारत सरकार के युवा मामलों और खेल विभाग की संस्तुति पर विख्यात शूट से राइफल क्लबों द्वारा लाइसेंस के मदें उनके स्वयं उपयोग के लिए, को छोड़कर आयात की अनुमति है।
4.	गोला-बारूद	लाइसेंस के मदें आयात की अनुमति निम्नलिखित को है :— (1) भारत सरकार के युवा मामलों और खेल विभाग की संस्तुति पर विख्यात निशानेबाज रायफल/क्लबों को उन स्वयं उपयोग के लिए। (2) विशिष्ट प्रकार के गोला-बारूद के लिए लाइसेंसधारी आर्म्स डीलरों को ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि उन्हें निर्दिष्ट किया जाए।
5.	विस्फोटक	भारत सरकार के विस्फोटक नियंत्रक की संस्तुति पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आयात की अनुमति दी जाए।
6.	क्लोरो फलरो हाईड्रोकार्बन्स (फिऑन गैसिज)	लाईसेंस के मदें या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है।

(1)	(2)	(3)
7.	(1) सी एफ$_3$ सी एल-(सीएफ सी–11) –ट्राईक्लोरो फ्लुरो मीथेन ।	बिना लाईसेंस के आयात अनुमित है बशर्ते कि आयात किसी ऐसे देश से किया जाए जो कि "ओजोन परत को समाप्त करने वाले तत्वों सम्बन्धी मान्ट्रियल प्रोटोकोल" की एक पार्टी हों, महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा समय-समय पर उन देशों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा जो कि माण्ट्रियल प्रोटोकोल की पार्टियों हों । तथापि, ऐसे देशों से आयात का निषेध है जो कि माण्ट्रियल प्रोटोकोल की पार्टियां नहीं है ।
	(2) सीएफ$_2$ सी एल$_2$—(सी एफ सी—12)—डाईक्लोरो डिफ्लूरो मीथेन ।	
	(3) सी$_2$ एफ$_3$ सीएल—$_3$ (सी एफ सी—113)—1,1,2 — ट्राईक्लोरो ट्रिफ्लूरो मीथेन ।	
	(4) सी$_2$ एफ$_4$ सीए$_2$ – (सी एफ सी—114)—1,2 डाईक्लोरो टिट्राफ्लूरो ईथेन ।	
	(5) सी$_2$ एफ$_5$ सीएल—(सीएफसी—115)—क्लोरो पेन्टाफ्लूरो इथेन ।	
	(6) सीएफ2बीआर सी एल —(हलोन–1211)—ब्रोमोक्लोरो डिफ्लूरो मीथेन ।	
	(7) सी एफ$_3$ बीआर (हलोन–1301)—ब्रोमो ट्रीफ्लूरो मीथेन ।	
	(8) सी$_2$ एफ$_4$ बीआर$_2$— (हलोन—2402)–डि-ब्रोमो टेट्राफ्लूरो इथेन	

घ. बीज, पौधे और पशु

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1	2	3
1.	पशु, पक्षी और रेंगने वाले जन्तु	इन्टरनेशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पेसीज ऑफ वाईल्सड फोना और फ्लोरा (सी. आई. टी. ई. एस.) पर सम्मेलन के प्रावधानों की शर्त के अधीन राज्य सरकार के मुख्य वन्य जीव वार्डन की संस्तुति पर चिड़ियाघरों और प्राणी विज्ञान उद्यानों, मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक/अनुसंधान संस्थाओं/ सर्कस कम्पनियों/व्यक्ति विशेषों को लाईसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
2.	स्टालिओन्स और ब्रूडमेअर्स	राज्य सरकार के पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाओं के निदेशक की संस्तुति पर लाईसेस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
3.	पशुधन (अश्वाय को छोड़कर) क्योरलाइन स्टाक्स, बड्र्स एग्स, फोजन सीमेन/एम्ब्रियो पेरेन्ट स्टाक (पोल्ट्री) और कमर्शीयल चिक्स	भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की संस्तुति पर लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।

1	2	3
4.	पौधे, फल और बीज	(क) बुआई के लिए गेहूं के बीजों, धान, मोटे अनाजों, दालों, तिलहनों और चारे का आयात बिना लाइसेंस के अनुमित है बशर्ते कि वे बीज विकास की नई नीति 1988 के उपबन्धों को पूरा करते हों और पौधे, फल और बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1989 के अन्तर्गत आयात के लिए परमिट अनुसार हो । (ख) सब्जियों, फूलों, फलों और पौधों के बीजों, फूलों के टबर्स और बल्बस फूलों और फलों को बोने या लगाने के लिए कटिंग, सेपलिंग, वडवुड आदि के आयात की अनुमति लाइसेंस के बिना है यदि वह पौधे, फल और बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1989 के तहत आयात के लिए प्रदत्त परमिट के अनुसार हैं । (ग) उपभोग या अन्य प्रयोजन के लिए बीजों, फलों और पौधों के बीजों का आयात लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अनुमित है ।

ङ इन्सेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स

क्रम सं.	मदों का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1.	कोई भी पेस्टिसाइड, इन्सेटिक्साइड, वीडिसाइड, हरबिसाइड, रोड निटिसाइड और मिटिसाइड जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है अथवा जो कीटनाशी अधिनियम, 1969 और उसके फोरमूलेशन के अन्तर्गत आयात के लिए निषेध कर दिया गया है ।	आयात की अनुमति नहीं है ।
2.	डी. डी. टी. टेक्निकल 75 डब्ल्यू डी. पी.	लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है ।

च. इलेक्ट्रॉनिक मदें

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1.	निम्नलिखित केथोड रे ट्यूब्स :— 20″ और 21″ के आकार की रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूब उनके उपसाधित्र और रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूब वाले उपसाधित्र	लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है।
2.	आवाज करने वाले (म्यूजीकल/स्ट्राइकिंग/मेलोडी) इन्टीग्रेटिड सर्किट्स को छोड़कर दीवार घड़ियों और अलार्म घड़ियों के लिए इन्टीग्रेटिंग सरकिट्स, डिवाइसिस और चिप्स	—वही—
3.	पोपुलेटिड, लोडिड या स्टपड प्रिन्टेड सरकिट बोर्डस्	—वही—
4.	0.8 मिमी. और अधिक मोटे सिंगल साइडिड प्रिन्टेड सरकिट बोर्डस्	—वही—

1	2	3
5.	प्लेटिड थ्रू होल (पी टी एच) सहित या रहित डबल साइडिड प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड्स	—वही—
6.	35 मि मी और 16 मि. मी. म्प्रोक्टड टैप्स को छोड़कर सभी प्रकार के आॅडियो मेग्नेटिक टैप्स।	—वही—
7.	हब्स और रील्स, रोल्स, पैनकेक्स, जम्बो रोल्स में सभी प्रकार के वीडियो मेग्नेटिक टैप्स।	—वही—
8.	रुपये 1.50 लाख तक के लागत—बीमा-भाड़ा मूल्य के कम्प्यूटर सिस्टम जिनमें व्यक्तिगत कम्प्यूटर भी शामिल है या रुपये 7500/- से कम लागत—बीमा-भाड़ा मूल्य वाला प्रत्येक की बोर्ड या मानीटर। इस प्रयोजन के लिए कम्प्यूटर सिस्टम सिंगल सी. पी. यू. वाला होगा जिसमें एक कीबोर्ड और मानीटर तथा इनबिल्ट पेरीफेरल्स होगा किन्तु पेरीफेरल्स पर कुछ नहीं जुड़ा होगा।	—वही—

छ. औषध और भेषज

क्रम सं.	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
1.	सभी प्रकार की पेन्सिलीन	लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है।
2.	6 ए. पी. ए.	—वही—
3.	टेट्रासाइक्लिन/ओक्सीटेट्रासाइक्लिन और उनके लवण	—वही—
4.	जेन्टामाइसिन सल्फेट	—वही—
5.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	—वही—
6.	रिफेम्पिसिन	—वही—
7.	रिफेम्पिसिन के मध्यवर्ती नामत: (1) 3 फारमाइल रिफा एस. वी. (2) रिफा एस/रिफा एस सोडियम, और (3) 1—एमिनो—4 मेथिल पिपरेजाइन	—वही—
8.	विटामिन बी—1, विटामिन बी—2 और उनके लवण	—वही—
9.	विटामिन बी—12	—वही—

ज. रसायन और सम्बद्ध मदें

क्रम सं	मद का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1.	अलाइल आइसोथियोसियानेट	लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है।
2.	केपेसिटर फ्लूड्स—पी. सी. बी. टाइप	—वही—

क्ष लघु क्षेत्र से सम्बन्धित मदें

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1	कापर आक्सिक्लोराइड	लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है।
2.	डिमिथाइल सल्फेट	—वही—
3	डी एन पी टी (डिनाइट्रोसी पेन्टामेथिलीन ट्रेट्रामाइन)	—वही—
4.	सुगन्धित सत—सभी किस्में (जो मदिरा के लिए हैं उनके सहित)	—वही—
5	नियासिन/निकोटिनिक एसिड/नियामिनेमाइड निकोटिनेमाइड/एसिडामाइड	—वही—
6	सुगन्धित द्रव्यों के मिश्रण/रेजिनायड्स के मिश्रण	—वही—
7.	प्थैलेट प्लास्टिसाइजर	—वही—
8.	सुगन्धित योगिक/सिन्थेटिक सुगन्धि तेल	—वही—
9.	सीमा तथा रूल कटर्स	—वही—
10	माउंटिंग टेबल	—वही—
11	सभी मापों के कागज काटने वाले चाकू	—वही—
12	कागज काटने की मशीनें जिनमें यंत्रों सहित मशीनें जैसे कि आटोमेटिक प्रोग्राम कटिंग अथवा थ्री नाइफ टिम्बर्स शामिल नहीं हैं।	लाइसेंस के मद्दे या इस सबंध मे जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है।
13.	वायर स्टिचिंग मशीन सिंगल हैडिड	—वही—
14.	ड्राइंग के तथा गणितीय यन्त्र	—वही—
15.	घरेलू वाटर मीटर	—वही—
16.	डम्पी लेवल्स/इंजीनियरो के लेवल्स/भवन निर्माताओं के लेवल्स (आटो-मेटिक नहीं) की सभी किस्में और प्रिज्मेटिक लेवल्स, समतल सर्किलो सहित अथवा रहित।	—वही—

ञ विविध मदें

क्रम स.	मदों का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
1.	वायुयान और हेलिकोप्टर	आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के आधार पर है इसके अतिरिक्त अनुमति नहीं है।
2.	पोत, ट्रावलर, बोट और अन्य जल परिवहन यान	—वही—
3.	वाणिज्यिक और यात्री आटोमोबाइल वाहन जिसमे दुपहिया और तिपहिया और निजी किस्मों के वाहन शामिल हैं।	—वही—

1	2	3
4.	तरल स्वर्ण सहित किसी भी रूप में स्वर्ण	आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के आधार पर है इसके अतिरिक्त अनुमति नहीं है।
5	नारियल जटा (रेशा धागा कपड़ा)	—वही—
6.	अखबारी कागज	—वही—
7.	कच्ची कपास और कपास यार्न	—वही—
8.	कच्चा रेशम	—वही—
9.	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर/टो	—वही—
10.	प्राकृतिक रबड़	—वही—
11.	1500 किलोवाट के डीजल जेनरेटिंग सेट (नो-ब्रेक सिस्टम वाले डी जी सेटों को छोड़कर)	—वही—
12.	3.5 के वी ए तक के इलेक्ट्रिक पोर्टेबल जनरेटर	—वही—
13	रेडियो ऐक्टिव सामग्री	परमाणु ऊर्जा विभाग की सिफारिश पर आयात किए जाने की अनुमति है।
14.	रेयर अर्थ आक्साइड जिसमें स्टाइल सेण्ड शामिल है	—वही—
15.	सिनेमेटोग्राफ फीचर फिल्म और विडियो फिल्म	आयात की अनुमति : (क) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय दूरदर्शन संस्थान तथा भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, द्वारा। (ख) ऐसी शर्तों के अधीन अन्यों द्वारा जो इस संबंध में विनिष्टिकृत किए जाएं, द्वारा दी जायेगी।
16.	क्रूड पाम स्टीरिन	लाइसेंस के मद्दे आयात किए जाने के लिए या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अनुमति है।
17.	फीड ग्रेड की मक्का (अर्थात् मक्का जो मानव के उपभोग के लिए अयोग्य किन्तु कुक्कुट या पशु के खाने के योग्य हो)	नेफेड के साथ आयात संविदा/साझपत्र के पंजीकरण की शर्त के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक उपयोग की शर्त के बिना आयात के लिए अनुमित होगा।
18.	नेप्था	बिना लाइसेंस के आयात इस शर्त के अधीन होगा कि आयातक नेप्था के रिटर्न स्ट्रीम को केवल कच्चे तेल शोधन कारखाने को बेचेगा। तथापि, आयातक रिटर्न स्ट्रीम को स्वयं के उपभोग के लिए प्रयोग कर सकता है लेकिन यदि कोई अवशेष रहता है तो उसे केवल कच्चे तेल शोधन कारखाने को बेचेगा।
19.	किसी भी रूप में चांदी	लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध मे जारी सार्वजनिक सूचना के अलावा आयात के लिए अनुमित नहीं है।
20.	मुख्य रूप से सोने के बने स्पिनरेटस	लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात अनुमित है।

क्रम सं.	मद का विवरण	ट. विशेष वर्ग	प्रतिबंध का स्वरूप
1.	होटलों, रेस्तराओं, यात्रा एजेंटों और पर्यटन आपरेटरों के लिए विशेष मदें।		आयात की अनुमति महानिदेशक पर्यटन, भारत सरकार की सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार होगी।
2.	खेल और मनोरंजन निकायों के लिए अपेक्षित विशेष मदें		अनिवार्य आयात अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है। आयात के लिए पात्र मदें और ऐसे आयातों के लिए शर्तें विनिष्टिकृत होंगी।

भाग–तीन

157. सारणीबद्ध मदें

क्रम संख्या	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
1.	पेट्रोलियम उत्पाद नामश:	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड
	(क) एविएशन टरबाइन ईंधन;	
	(ख) कच्चा तेल;	
	(ग) केरोसीन,	
	(घ) लिक्विफायड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)	
	(ङ) मोटर स्प्रिट	
	(च) बिटूमैन (एसफाल्ट) पेकिंग	
	(छ) फ्रनेंस आयल; और	
	(ज) हाई स्पीड डीजल	
2.	डी-एमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) को छोड़कर सभी प्रकार के नाइट्रोजन्स फास्फेटिक, पोटाशिक और कम्पलेक्स फेर्मिकल फर्टिलाइजर।	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड
3.	तेल (गोले का तेल, मूगफली का तेल, कुसुम्भ तेल, ताड़ तेल, (अन्य प्रकार के जिसमें पालमोलिन तथा अन्य खण्ड) रेपसीड तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, विनौले का तेल)	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड।
4	बीज (गोला मूगफली, ताड़, रेपसीड, कुसुम्भ, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास)	—तदैव—
5.	अन्य सभी तेल अथवा बीज अन्य जिससें तेल निकाला जा सकता है। (चाहे खाने वाला या बिना खाने वाला) वनस्पति वसा सहित जो इस नीति मे ऊपर अथवा अन्यत्र न दिया गया हो (परन्तु तुग तेल/चाइना लकड़ी का तेल तथा प्राकृतिक अनिवार्य तेल को छोड़कर)	—तदैव—
6.	पाम स्टीरिन, क्रूड पाम स्टीरिन पाम करनल आयल; और सभी प्रकार के ईलो एमाइम्स को छोड़कर।	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
7.	अनाज, फीड ग्रेड मक्का को छोड़कर (अर्थात् मक्का जो मानव के उपयोग के लिए अयोग्य किन्तु कुक्कुट या पशु के खाने के योग्य हो)।	भारतीय खाद्य निगम

अध्याय–सोलह

निर्यात की निषेधात्मक सूची

भाग-1

158. निषिद्ध मदें

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
1	2	3
1.	सभी प्रकार के जंगली जीव जिसमे उनके भाग और उत्पाद भी शामिल है।	
2.	विदेशी पक्षी	

1	2	3
3.	संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के परिशिष्ट-1 में शामिल वाइल्ड फ्लोरा की सभी मदें और वाइल्ड आरचिड्स।	
4	गोमांस	
5.	मानव अस्थिपंजर	
6.	मछली के तेल को छोड़कर किसी पशु मूल की टैलो, वसा और/अथवा तेल	
7.	लट्ठे, टिम्बर, स्टम्प्स, जड़ों, छालों, चिप्स, पाउडर, फ्लेक्स, डस्ट, पल्प और चारकोल के रूप में लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद।	
8.	संयुक्त राष्ट्र के रसायनिक शस्त्र सम्मेलन की अनुसूची-1 में शामिल रसायन जैसा कि महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में यथाविनिर्दिष्ट है।	
9.	चन्दन की लकड़ी से बनाये गये पूर्णतया तैयार हस्तशिल्प और मशीन से तैयार किये गये चन्दन के उत्पादों को छोड़कर किसी भी रूप में चन्दन की लकड़ी।	
10.	कच्चा, संसाधित अथवा असंसाधित के साथ-साथ किसी भी रूप में रेड सेंडर्स वुड और इससे बने उत्पाद।	

भाग-दो

159. लाइसेंसिंग के अध्यधीन निर्यात

क्रम संख्या	मदों का विवरण
1.	3 इंच से कम आकार के बीच-डी मेर
2.	मवेशी
3.	ऊंट
4.	(1) सुपर फास्फेट सहित सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक।
	(2) उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के भाग क (ख) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर माइक्रोन्यूट्रियन्ट तथा एन पी के वाले उनके मिश्रण शामिल हैं।
5.	पवित्र कुरान के उद्धरणों अथवा आयातों के छापे वाले ड्रैस मेटीरियल्स/बिना सिलाए पोशाक फैब्रिक्स/वस्त्र की मदें।
6.	तेल रहित मूंगफली की खली जिसमें 1 प्रतिशत से ज्यादा तेल हो और मूंगफली एक्सपेलर खली।
7.	300 ग्राम से कम भार का ताजी और जमी हुई सिल्वर पाम्फ्रेट।
8.	मेमनो के लोम चर्म को छोड़कर पालतू पशुओं के लोम चर्म।
9.	गेहूं और चावल के भूसे सहित चारा।
10.	निम्नलिखित खालें और चर्म :—
	(1) एनिमल ग्लू जिलेटिन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त खालों और चर्म का कटिंग और फ्लेशिंग।
	(2) मेमनों के लोम चर्म को छोड़कर सभी प्रकार की कच्ची खालें और चर्म।
	(3) ई.आई.टैन्ड और वेट नीली खालें और पपड़ीदार चर्म और चमड़े सहित अर्ध संसाधित खालें और चर्म का सभी श्रेणियां।
	(4) क्लोदिंग लेदर-फर-स्वेड/हेयर, हेयर आन स्वेड/शियरलिंग स्वेड लेदर्स।
	(5) फर लेदर्स
	(6) औद्योगिक लेदर्स, नामशः
	(1) साइकिल सैडल लेदर्स
	(2) हाइड्रालिक/पैकिंग/बेल्टिंग/हार्नेस/वाशर/लेदर्स
	(3) पिकलिंग बैन्ड लेदर्स
	(4) स्ट्रेप/काम्बिंग लेदर्स।

1	2
	(7) लाइनिंग लेदर्स, नामश:
	(1) गाय और बैल की खालों और बछड़े के चर्म से
	(2) बकरी, बकरी के बच्चे, मेमने और भेड़ की खालों के लाइनिंग स्वेद।
	(8) लगेज लेदर्स-केस हाइड या साइड/सूट केस/हैण्ड बेग/लगेज/कैश बेग लैदर
	(9) विविध चमड़े, नामश:
	(1) बुक बाईडिंग लेदर्स
	(2) स्किवर लेदर्स
	(3) ट्रान्सिस्टर केस/कैमरा केस लैदर
	(10) श अपर लेदर्स, नामश:
	(1) युन्वर लेदर
	(2) कटाई स्लीपर/सैण्डल लैदर
	(II) सोल लैदर-क्रोम टेन्ड सोल लैदर
	(11) घोड़े काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणिपुरी प्रजातियां
	(12) निम्नलिखित धातुएं और उनके कम्पाउण्ड :—
	(1) बेरिलियम और इसके कम्पाउण्ड
	(2) लिथियम और इसके कम्पाउण्ड
	(3) नेपचूनियम और इसके कम्पाउण्ड
	(4) प्लूटोनियम और इसके कम्पाउन्ड
	(5) थ्योरियम और इसके कम्पाउण्ड
	(6) यूरेनियम और इसके कम्पाउन्ड
	(7) जिरकोनियम और इसके कम्पाउन्ड
	(8) ड्युटेरियम कम्पाउन्ड
	(9) हाफनियम
	(10) नियोबियम
	(11) उपर्युक्त क्रम सं. (9) से लेकर (10) में उल्लिखित रद्दी और स्क्रेप सहित धातुओं की बनी वस्तुएं।
	(12) प्रतिक्रिया प्रवर्तक, प्रतिक्रिया त्वरित तथा सक्रिय तत्व के रूप मे निकिल युक्त उत्प्रेरक तैयार माल या निकिल के यौगिक।
	(13) प्रतिक्रिया अभिकारक, प्रतिक्रिया त्वरित तथा उत्प्रेरक तैयार माल, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हो, सक्रिय तत्व के रूप में मूल्यवान धातु के यौगिकों से युक्त।
13	निम्नलिखित खनिज, अयस्क और सान्द्रण अर्थात् :—
	(1) (क) बेनिफिशिएटिड क्रोम अयस्क फाइन्स/कान्सनट्रेटिड और
	(ख) जो भाग 3 में उल्लिखित है, को छोड़कर क्रोम अयस्क
	(2) यूरेनियम अयस्क और सान्द्रण
	(3) 46 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज वाली लम्पी/ब्लेंडिड मेंगनीज अयस्क
14.	मिल्क, बेबी मिल्क और स्टरलाइज्ड तरल दूध
15.	गसेया और जीवित कीट स्टिकलाक, शूडलाक से युक्त कोई लाख

1	2
16	मसूर, चना, मेम तथा उनसे बने आटे सहित सभी प्रकार की दालें
17.	किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा शुल्क मुक्ति स्कीम के अन्तर्गत आयातित दालों से बनी हुई से भिन्न संसाधित दालें।
18.	धान (छिलके सहित चावल)
19.	कच्ची और उबली हुई चावल की भूसी
20.	बीज और पादप सामग्री, नामश अरण्डी के बीज, बिनौले के बीज, काजू के बीज और पौधे, मिश्र की वनमेथी (बर्सीम)—ट्रिफोलियम एलाक्सटम बीज, चारे की फसल के बीज, हरी खाद के बीज, निम्नलिखित को छोड़कर— ढैंचा, गुआर बीज (सम्पूर्ण), पटसन बीज, अलसी नीबू घास के बीज और जड़, लूसर्न (अल्फाफा) मेडिकागो सटिवा, सरसों के बीज, मेस्ता बीज, नक्स वामिका बीज/छाल/पत्ते/जड़ें और उनके चूर्ण, प्याज के बीज सजावटी पौधों (जंगली किस्म) के बीज, धान के बीज (जंगली किस्म), पीपर कटिंग या पीपर की जड़ की कटिंग, फारस की वनमेथी (स्ताफटेस ट्रिफोलियम-रेसुपीनेटम) बीज, तोरिया का बीज, लाल सैन्डर्स बीज (तेरोकारपस सेन्टालिनस) रबड़ के बीज, रूसा घास के बीज और टफटस, सभी वन्य प्रजातियों के बीज, सभी तेल बीजों और दालों के बीज, सोयाबीन के बीज, चन्दन के बीज (सन्टालम एलबम), केशर के बीज या कार्म्स (केशर के लिए पौध लगाने की सामग्री) गेहूं के बीज (जंगली किस्म)।
21.	सभी प्रजातियों के पालिश किये हुए समुद्री शैल और इनसे निर्मित्त हस्तशिल्प को छोड़कर समुद्री शैल, इनमें निम्नलिखित प्रजातियों के समुद्री शैल भी शामिल नहीं है जिनके किसी भी रूप में निर्यात की अनुमति नहीं है : (1) ट्रॉकस निलोटिकोस (2) टूरबो स्पेसीज (3) लम्बिस स्पेसीज (4) विडेक्ना गिगास (5) एक्कस पाइरस
[22	सभी प्रकार की समुद्री घासें जिसमें जी-इडलिस शामिल हैं लेकिन संसाधित रूप वाली तमिलनाडु तट मूल की भूरी समुद्री घासें और अगरोफाइटस शामिल नहीं है।
23.	रेशम के कीड़े, रेशम कीट के बीज और रेशम कीट के कोकून
24.	वनस्पति तेल, नामश नारियल तेल, बिनौला तेल, कार्न आयल, मूंगफली का तेल, कर्दी का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल, रामतिल का तेल, पाम की गिरी का तेल, तोरिया के बीज का तेल, चावल की भूसी का तेल, सलाद का तेल, सूर्यमुखी का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल।
25.	(1) विन्टेज मोटरकार, और उनके भाग तथा संघटक जो 1-1-1950 से पहले के विनिर्मित हैं। (2) विन्टेज मोटर साइकिल, उनके भाग तथा संघटक जो 1-1-1940 के पहले से विनिर्मित्त हैं।
26.	विस्कोस स्टेपल फाइबर (नियमित), अधिक कार्य निष्पादन वाले विस्कोस स्टेपल फाइबर को छोड़कर।
27.	सम्पूर्ण मानव रक्त प्लाज्मा और मानव रक्त के लिए गए सभी उत्पाद जिसमें मानव प्लेसेंटा और मानव प्लेसेंटल रक्त से विनिर्मित्त गामा ग्लोबुलिन और मानव सीरम आल्बुमिन शामिल नहीं हैं।
28.	रद्दी कागज
29.	संयुक्त राष्ट्र के रसायनिक शास्त्र सम्मेलन की अनुसूची-2 और 3 में शामिल रसायन जैसा कि महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में यथाविनिर्दिष्ट है।
160.	हटा दिया गया।

भाग–तीन

161. मरणीकृत एजेंसियों के माध्यम से अनुमेय निर्यात

कालम 3 में उद्धृत मरणीकृत एजेंसियां नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में दिए गए मदों का निर्यात किसी भी देश को कर सकती है :—

क्रम सं.	मद का विवरण	मरणीकृत एजेंसी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	पेट्रोलियम उत्पाद, नामशः —	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.
	(1) एविएशन टर्बाइन फ्यूल	
	(2) बिटूमैन (एस्फाल्ट) पेविंग ग्रेड	
	(3) क्यूड ऑयल	
	(4) फरनेस ऑयल	
	(5) हाई स्पीड डीजल	
	(6) मिट्टी का तेल	
	(7) लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)	
	(8) मोटर स्पिरिट	
	(9) नाफथा	
	(10) कच्चा पेट्रोलियम कोक	
2.	गोंद कारया	भारतीय जनजाति सहकारी विपणन, लि. (ट्राइफेड) नई दिल्ली।
3.	माइका वेस्ट (फैक्टरी कटिंग सहित) तथा स्क्रेप जो माइका संसाधित करते समय प्राप्त किया जाता है तथा संसाधित अभ्रक की विशिष्टता से कम साइज और रंग माना जाता है।	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एम एम टी सी), नई दिल्ली भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि., बिहार।
4.	खनिज अयस्क एवं कन्सेन्ट्रेटस, नामशः —	
	(1) थोरियम कोरस तथा उसके कंसेंट्रेट तथा उसके कंपाउंड्स	भारतीय रेयर अर्थस लि. बम्बई।
	(2) रेयर अर्थ और (यिट्रियम सहित) कांसेंट्रेट्स तथा उसके कंपाउन्डस।	भारतीय रेयर अर्थस लि., बम्बई।
	(3) एसेसरी इनग्रेडियेंट्स के रूप में निम्नलिखित सबस्टेंस वाले अन्य खनिजों को मिलाकर :–	भारतीय रेयर अर्थस लि., बम्बई तथा केरल खनिज एवं धातु लि., कोलम।
	(क) कॉलमबाइट	
	(ख) मोनाजाइट	
	(ग) समेरस्काइट	
	(घ) यूरेनीफेरियस अलानाइट	
	(1) रेडियम अयस्क तथा कन्सेंट्रेट्स	
	(2) थोरियम अयस्क तथा कन्सेंट्रेट्स	
	(3) यूरेनियम अयस्क तथा कन्सेंट्रेट्स	
	(4) कॉपर अथवा स्वर्ण की एक्सटेंक्शन के बाद अयस्क से बचे हुए यूरेनियम बियरिंग टेलिंग्स	
	(5) जिरकॉन अयस्क तथा कन्सेंट्रेट्स	
	(6) टिटेनियम अयस्क तथा कंसेंट्रेट्स (इलमेनाइट, रयूटाइल लोसीक्सीन आदि)	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(4) भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड तथा केरल खनिज एवं धातु लि० द्वारा उत्पादित ग्रेनुलर सिलिमेनाइट।		भारतीय रेयर अर्थस लि., बम्बई तथा केरल खनिज एवं धातु लि., कोलम्।	
	(5) लौह अयस्क		खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., नई दिल्ली	
	किन्तु निम्न प्रकार के लौह अयस्कों का निर्यात सरणीबद्ध नहीं किया गया है :—			
	(क) गोवा मूल के लौह अयस्क जब चीन, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान को निर्यात किए जाएं।			
	(ख) रेडी मूल के लौह अयस्क सभी बाजारों को।			
	(6) (क) सी आरटी ओ उसहित क्रोम अयस्क लगभग जो 38 प्रतिशत से अधिक न हों।		—वही—	
	(ख) सी आरट ओ उसहित लो सिलिका फ्राइएबल/फाइन अयस्क जो 52 प्रतिशत से अधिक न हों।		—वही—	
	(7) सभी कोटियों के बॉक्साइट, इलसिना बॉक्साइट तथा सी ग्रेड बाक्सोइट ए12 ओ अलुमिना अर्टेटड सहित, जो पश्चिमी तट मूल के 51 प्रतिशत से कम हों।		—वही—	
	(8) निम्नलिखित को छोड़कर मैंगनीज अयस्क : 46 प्रतिशत मैंगनीज से अधिक लम्बी क्लैडिड मैंगनीज अयस्क।			
5.	कलोंजी		(1) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन लिमिटेड नेफेड, नई दिल्ली। (2) ट्राइफेड	
6.	प्याज		भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन लि. (नेफेड), नई दिल्ली।	
7.	दूध का पाउडर (स्कीम्ड अथवा पूर्ण मलाई युक्त) पूर्ण अथवा माल्य दुग्ध फूड।		राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द	
8.	शुद्ध दूध, घी		—वही—	
9.	मक्खन		—वही—	

162. हटा दिया गया है।

परिशिष्ट—एक

रत्न और आभूषणों के लिए आयात प्रतिपूर्ति

सामान्य टिप्पणी : (1) तराशे हुए और पालिश किए हुए बहुमूल्य/अर्द्ध बहुमूल्य रत्नों/पालिश किए हुए और संसाधित मोतियों के डोरी या धागे में डाले हुए नेकलेस नीचे की संबंधित प्रविष्टियों में शामिल होंगे और तदनुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि धातु जड़नारों अर्थात् क्लिप्स, क्लास्प्स, पिन्स, हुक्स आदि का मूल्य नगण्य हो और वह मूल्य इसमें शामिल न किया गया हो।

(2) रत्न और आभूषण मदों का निर्यात रुपये में भुगतान क्षेत्र को निर्यात करने से केवल रुपए में भुगतान क्षेत्र से ही आयात के लिए वैध आयात क्षतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता होगी।

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का आयात प्रतिपूर्ति का प्रतिशत	अनुमेय सामग्री	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पालिश किए हुए, संसाधित मोती (असली या परिष्कृत)	65.00	01 असली मोती बिना सैट किए हुए/ बिना छेद किए हुए	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (260 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य तक प्रति कैरेट की मूल्य वसूली के साथ)	65.00	01 बिना सैट और बिना तराशे हीरे	
			02 रत्न और आभूषण उद्योग मे प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.2	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (260 अमेरिकी डालर से अधिक और 350 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली सहित)	70.00	01 बिना सैट किए हुए और बिना तराशे हीरे	
			02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.3	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (350 अमेरिकी डालर से अधिक और 400 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त नि शुल्क मूल्य तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली सहित)	75.00	01 बिना सेट किए हुए और बिना तराशे हुए	
			02 रत्न और आभूषण उद्योग प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.4	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (400 अमेरिकी डालर से अधिक तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली सहित)	82.5	01 बिना सैट किए हुए और बिना तराशे हुए हीरे	
			02 रत्न और आभूषण उद्योग मे प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.5	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (575 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य से अधिक की वसूली प्रति कैरेट सहित)	90.00	01 बिना सैट किए हुए और बिना तराशे हुए हीरे	
			02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
3.1	तराशे हुए और पालिश किए हुए एमराल्ड रूबीज/सेफायर्स जो प्रति कैरेट 350 अमेरिकी डालर और जहाज पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य 600 अमेरिकी डालर हो ।	80.00	01 बिना सैट किए हुए बिना तराशे एमराल्ड	
			02 बिना सैट और बिना तराशे रूबीज	
			03 बिना तराशे और बिना सैट किए सेफायर्स	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			04 बहुमूल्य रत्न बिना सैट किए हुए जिनमें भग्न/टूटे हुए/चीरे हुए नुक्स वाले रूप में शामिल हैं ।	
3.2(1)	प्रति कैरेट जहाज पर्यन्त निःशुल्क 350 अमरिकी डालर से कम के कम सं. 3.1 के अंतर्गत न आने वाले भग्न टूटे हुए, फांक किए हुए, नुक्स वाले खुरदरे, अर्ध बहुमूल्य स्टोन में से तराशे हुए और पालिश किए हुए/अर्ध बहुमूल्य स्टोन सहित तराशे हुए और पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य स्टोन ।	60.00	01 बिना सैट किए हुए 02 भग्न टूटे हुए, फांक किए हुए नुक्स वाले खुरदरे अर्ध बहुमूल्य रत्न ।	
(2)	तराशे हुए और पालिश किए हुए मूंगे ।	65.00	01 किसी भी आकार या माप में न कटा हुआ अनिर्मित मूंगा या मूंगे की इस्टिक	
(3)	तराशे हुए और पालिश किए हुए बहुमूल्य स्टोन (जहां प्रति कैरेट जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 600 अमेरिकी डालर तथा इससे अधिक हो)	90.00	01 बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए एमराल्ड 02 बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए रूबीज 02 बिना तराशे हुए और बिना सैट किए हुए सेफायर्स 04 भग्न/टूटे हुए, फांक किए हुए, नुक्स वाले बिना सेट किए हुए बहुमूल्य स्टोन	
3.3	तराशे हुए और पालिश किए ओनिक्स	50.00	01 फांक किए हुए ओनिक्स	
4.	जेवरात जिनमें प्लैटिनियम और हीरे बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य रत्न असली या कलचर्ड मोती कृत्रिम/नकली रत्नों जड़ित हों/माला में जड़ित हों बशर्ते कि कृत्रिम/नकली पत्थरों का मूल्य धातु के मूल्य को छोड़कर जेवरात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।	65.00	01 बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए हीरे 02 बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न 03 बिना सेट किए हुए बिना छिद्र किए हुए असली या कलचर्ड मोती । 04 भग्न/टूटे/चीरे हुए, नुक्स वाले, खुरदरे अर्ध बहुमूल्य स्टोन 05 आभूषणों के बक्से (1.00 प्रतिशत)	(1) हीरों, बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य रत्नों और मोतियों के साथ-साथ यदि जेवरातों में कृत्रिम या नकली रत्न जुड़े हों/पिरोए गए हों और जितना मूल्य धातु के मूल्य को निकाल कर जेवरात के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो तो ये इस निर्यात उत्पाद में शामिल नहीं होंगे । (2) कालम में 2 मे यथा-वर्णित बहुमूल्य धातु के जेवरात क्रम सं. 4 के अंतर्गत आयेंगे बशर्ते कि बहुमूल्य धातु अर्थात्— पैलेडियम का मूल्य उनमें उपयोग की गई धातु के कुल मूल्य के 70 प्रतिशत

	5
	से कम न हो या जड़ित जेवरात जिनमें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में फैलेडियम से भिन्न धातु हो और जिनमें हीरे, मोती, बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़े हों/पिरोये गए हों, या आयात प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए क्रम सं. 4 के अंतर्गत जायेंगे बशर्ते कि जुड़े जाने/पिरोए जाने का मूल्य कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 90 प्रतिशत तक या इससे अधिक हो।
	(3) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का निश्चय करने के लिए आभूषणों में जड़ित अवयवों के अर्थात कटे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के मूल्य तथा या बहुमूल्य तथा अर्ध-बहुमूल्य रत्नों तथा/या परिष्कृत मोती, निर्यातक की घोषणा के अनुसार और सीमाशुल्क द्वारा जांच करने एवं निर्धारित मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।
	(4) बिना तराशे हुए और बिना सैट किए हुए हीरों, बहुमूल्य स्टोन या अर्ध-बहुमूल्य स्टोन बिना तराशे हुए या बिना सैट किए हुए असली या परिष्कृत मोती, बिना जुड़े हुए/बिना छेद किए हुए की प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब निर्यात किए गए उत्पाद में हीरों, बहुमूल्य या अर्ध-बहुमूल्य रत्नों और मोतियों की मात्रा क्रमशः (निर्यातक द्वारा यथा घोषित और सीमा शुल्क द्वारा बीजक में विधिवत सांक्ष्यांकित जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के समानुपात में हो। उपर्युक्त जड़ित सामग्री की परस्पर अदला-बदली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1	2	3	4	5
5.	तराशे या पालिश किए हुए सिन्थेटिक रत्न	50.00	01 खुदरा सिन्थेटिक रत्न 02 क्यूबिक जिरकोनियम	(1) प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सीमाशुल्क का सांख्यांकित बीजक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
6.1	कृत्रिम जेवरात/वेशभूषा के लिए जेवरात जो सिन्थेटिक/नकली रत्न/प्लास्टिक के मनके लकड़ी के मनके, कांच के मनके, नकली मोती, कांच के चटन आदि से जुड़े हुए हों या पिरोये हुए हों।	30.00	01 काच के मनके, झूठे मोती और कांच के चैटन्स/स्टाक लाट में काच के चेन्टस 02 खुरदरे सिन्थेटिक रत्न 03 कृत्रिम जेवरात के लिए अपेक्षित धातु, जुड़नार, फाईडिंग संघटक और उस साधित 04 क्यूबिक जिरकोनिया 05 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	(1) इस प्रविष्टि में केवल वे ही जेवरात आएंगे जो क्रम सं. 4 में उल्लिखित बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर दूसरी किसी धातु में बने हों, दूसरे शब्दों में इस क्रम सं. 4 के अंतर्गत वे जेवरात आयेंगे जो एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल आदि जैसे आधार धातु से बने है, और जिनमें कृत्रिम/नकली रत्न प्लास्टिक के मनके, लकड़ी के मनके आदि जुड़े हुए हों या पिरोये हुए हों। अर्थ बहुमूल्य रत्नों से जुड़े हुए/पिरोए गए आधार पर धातु के कृत्रिम आभूषण भी इसी संख्या के अंतर्गत आएंगे। (2) प्रतिपूर्ति का दावा करते समय सीमाशुल्क द्वारा सांख्यांकित बीजक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। (3) कफलिंक, (पीतल के कफलिंक सहित) कृत्रिम नकली रत्न जड़े हुए कफलिंक, सजाए हुए कफलिंक और सोना चढ़ाए गए कफलिंक भी इस क्रम संख्या के अंतर्गत आएंगे।
6.2	कृत्रिम जेवरात/वेश भूषा के लिए सादे जेवरात (क्रम सं. 6.1 के अंतर्गत उल्लिखित जेवरात को छोड़कर)	10.00	01 कृत्रिम आभूषणो के लिए अपेक्षित धातु की फिटिंग. फाइडिंग संघटक और अनुषंगी 02 आभूषणो के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	(1) एल्यूमीनियम और 'गिलट' जैसे आधार धातुओं से बने झुमके, बालियाँ, अंगूठियां, कमर पट्टियाँ, नकलेस, घुघरू आदि भी इस कोड के अंतर्गत आयेंगे क्रम सं. 6.1 में शामिल कफलिंक से भिन्न पीतल के कफलिंक भी इस क्रम सं. के अंतर्गत आयेंगे।

1	2	3	4	5
				(2) प्रतिपूर्ति का दावा करते समय सीमाशुल्क द्वारा साक्ष्यांकित बीजक प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
6.3	चांदी के जरदोजी और चांदी की जरदोजी के जेवरात	10.00	01 धातु की फिटिंग्स 02 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	
6.4	पैलेडियम से बने जेवरात जो सिन्थेटिक/नकली कांच पत्थरों, चैटन मनके, नकली मोती से जुड़े हों या हीरों, कीमती रत्नों, अर्ध बहुमूल्य, रत्नों, असली, कल्चर्ड मोती के साथ हों या उसके बिना हों	30.00	01 कांच के मोती, नकली मोती और कांच के चैटन/स्टाक लाट में कांच के चैटन्स 02 खुरदरे नकली रत्न 03 क्यूबिक जिरकोनिया 04 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	(1) प्रतिपूर्ति का हिसाब लगाते समय पैलेडियम का मूल्य जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य से घटा दिया जाएगा। (2) इस मद में वस्तुएं भी आएंगी जिनमें बहुमूल्य रत्नों, अर्धबहुमूल्य रत्नों, सच्चे/कल्चर्ड मोतियों के साथ या उनके बिना कृत्रिम नकली रत्न चटन मनके नकली मोती जुड़े हुए हों।

परिशिष्ट —दो

कुछ मदों के संबंध में अपेक्षित न्यूनतम मूल्य समायोजन

1. इलैक्ट्रानिक्स
 (क) कम्प्यूटर साफ्टवेयर 60%
 (ख) खाली वीडियो कैसेट, कन्ज्यूमर इलैक्ट्रानिक्स तथा दूर-संचार उपकरणों सहित इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर
2. वस्त्र 15%
 (क) सिले सिलाए वस्त्र 40%
 (ख) मेड-अप्स 30%
 (ग) काटन यार्न और काटन पोलिस्टर यार्न (रग-स्पिनल यार्न) 30%
 (घ) काटन यार्न और काटन पोलिस्टर यार्न (ओपन एण्ड स्पिनिंग) 30%
 (ङ) पिस गुड्स 30%
 (च) डेनिम फैब्रिक्स 30%
 (छ) टेरी टोवल्स 30%
 (ज) सिल्क फैब्रिक्स 30%
3. चमड़ा उत्पाद
 (क) लेदर फुटवियर 30%
 (ख) लैदर शू अपर्स 30%
 (ग) लेदर गारमैन्ट्स, गुड्स 30%
 (घ) स्पोर्टस शूज-स्पोर्टस फुटवियर 30%

रत्न और आभूषण

(क) साधारण सोने के आभूषण	10%
(ख) जड़ित सोने के आभूषण	15%
(ग) चांदी के आभूषण	25%

अन्य

(क) लेटेक्स ग्लोव्स	40%
(ख) ग्रेनाइट	50%
(ग) परीक्षण और माप करने के औजार, औद्योगिक/कन्ट्रोल वाल्स फोटो कापियर और चिकित्सालय और वैज्ञानिक उपकरण	20%
(घ) दीवार घड़ियां/टाइम पीस/हाथ की घड़िया	30%
(ङ) सिगरेट	35%
(च) सिगरेट लाइटर	40%
(छ) रुशो मसेन ब्रिस्टल्स	30%
(ज) टिश्यू कल्चर पौधे	60%

परिशिष्ट—तीन

(पैरा 25 देखें)

उन क्षेत्रों की सूची जिनमें पुराने पूंजीगत माल का आयात बिना लाइसेंस के किया जा सकता है

(1) आटोमोटिव संघटक

(2) सिरेमिक्स

(3) रंगाई की सामग्री

(4) इलेक्ट्रिक लैम्प

(5) इलैक्ट्रिक संघटक

(6) खाद्य संसाधन

(7) गढ़े हुए दस्ती औजार

(8) सिले सिलाए वस्त्र/होजरी/मेड-अप्स (सभी प्रकार के फाइबर के)

(9) शीशा और शीशे के बर्तन वैक्यूम फ्लास्क भी शामिल हैं।

(10) चमड़ा संसाधन/चमड़ा परिष्करण/चमड़े के सामान का विनिर्माण/चमड़े के परिधानों का निर्माण

(11) चमड़े, रबड़ और किरमिच के जूते

(12) तेल क्षेत्र की सेवाएं

(13) एच डी पी ई/पी पी टेप वोवन फैब्रिक और सैक इण्डस्ट्री को छोड़कर पैकेजिंग और पैकेजिंग सामग्री

(14) मुद्रण और संबंधित प्रक्रम

(15) रिफैक्टरीज

(16) रबड़ का सामान (टायरों के लिए मोल्ड सहित)

(17) समुद्री खाद्य

(18) खेलकूद का सामान

(19) वस्त्र संसाधन सहित वस्त्र

(20) लेखन यंत्र

(21) कोई भी अन्य क्षेत्र जो सार्वजनिक सूचना द्वारा विशिष्टकृत किया जाए।

निर्यात एवं आयात नीति 1992-97

सूची

विवरण	नीति में संबंधित पैरा संख्या	प्रक्रिया पुस्तक में सम्बन्धित पैरा संख्या
(1)	(2)	(3)
पूंजीगत माल (ग)	22	23
पुराना पूंजीगत माल	25	41
पूंजीगत माल के अलावा पुराना माल	29	27
पुन निर्यात आधार पर आयात	29	84
विदेश में मरम्मत और पुनः आयात	31	
प्रयुक्त निर्माण मशीनरी का आयात	33	
निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम (ई.पी.सी.जी.) के तहत आयात	37	100
पुरानी	40	100
कम्प्यूटर प्रणाली	44	100
एस.के.डी एवं सी.के.डी हालत में संघटक और माल	46	100
सेवा क्षेत्र	40ए	100-क
परिषदें		
भूमिका, कर्तव्य आदि	143	219
पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर.सी. म.सी.)	124	219
(घ)		
अग्रिम निर्यात		
लाभ	122	198
आपूर्ति की श्रेणियां	121	200
शुल्क मुक्त स्कीम		
अग्रिम लाइसेंस		
मूल्य आधारित	49	110
मात्रा पर आधारित	50	111
मध्यवर्ती लाइसेंस	55	112
उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत	62	115-क
सोने, चांदी के आभूषण और वस्तुएं	72	108
अग्रिम सीमाशुल्क निकासी परमिट	58	115
अग्रिम रिलीज आर्डर	64	116
स्वतः पोषित पास बुक स्कीम	54	114
विशेष अग्रदाय लाइसेंस	56	108
शुल्क वापसी	71	
निवेश-उत्पादन मानदण्ड	51	हैंडबुक का वाल्यूम 2
लाइसेंसों/सामान का हस्तान्तरण	67	127
(ङ)		
निर्यात अभिमुख यूनिट (ई.ओ.यू.) और निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई.पी.जैड) स्कीम		
स्वत. अनुमोदन	100	162
ई.पी.जैड/ई.ओ.यू. यूनिटों के लिए लाभ	108	165
डी.टी.ए. द्वारा आपूर्ति के लाभ	106	188
यूनिटों पर बन्धपत्र लागू होना/बन्ध पत्र से विमुक्ति	116	177

(1)	(2)	(3)
डी टी ए यूनिटों का ई.ओ.यू. में परिवर्तन	118	159
रद्दी माल का निपटान	114	190
डी टी ए यूनिटों की बिक्री	102	181
निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदनों के माध्यम से निर्यात	104	187
अन्तः यूनिट हस्तान्तरण	109	
माल का आयात	94	165
पूंजीगत माल का पट्टा करना	96	173
निजी संधित माल गोदाम	115	191
पुराना पूंजीगत माल	95	169
निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदन		
नवीकरण के लिए मानदण्ड	136	211
मान्यता के लिए मानदण्ड	137	211
निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदन प्रमाणपत्र की वैधता अवधि	141	
निर्यात	55	
संविदाओं का मूल्यकरण	126	231
मुक्त निर्यात	123	204
उपहार	131	209
अतिरिक्त पूर्जे	132	129
निजी असबाब	129	—
जहाजी भण्डागार	130	209
पुनः निर्यात	128	227
पारगमन सुविधा	133	—
निर्यात मदें		
निषेध मदें	158	
गोमांस		
रसायन		
विदेशी पक्षी		
मानव अस्थिपंजर		
फिनिस्ड हैण्डीक्राफ्टस सहित चन्दन की लकड़ी		
टैलो, वसा और तेल		
वन्य जीव—सभी किस्म के उनके अंग और उत्पाद सहित		
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद		
लाइसेंस के अधीन निर्यात	159	205
बीच-डी-मेर		
मवेशी		
ऊंट		
रसायन		
रासायनिक उर्वरक		
गधे		
फर		
चारा		
खालें और चर्म		
घोड़े		
धातुएं और उनके कम्पाउन्ड		
खनिज, अयस्क और सांद्रण		
दूध		
सभी तरह की दालें		
धान (छिलके सहित चावल)		

(1)		(2)	(3)
राईस ब्रांन			
बीज और पौध सामग्री			
रेशम के कीड़े			
कपड़े की मदें			
वनस्पति तेल			
विन्टेज मोटर कार			
विस्कोस स्टेपल फाइबर			
सम्पूर्ण मानव रक्त प्लाज्मा			
बेकार कागज			
सरणीकृत, एजेन्सियो के माध्यम से अनुमेय निर्यात		160	206
पैट्रोलियम उत्पाद			
मक्खन			
गोंद कराया			
अभ्रक की रद्दी			
खनिज अयस्क एवं सांद्रण			
रामतिल के बीज			
प्याज			
दूध का पाउडर			
शुद्ध दूध घी			
सामान्य प्रावधान—आयात और निर्यात	(छ)		
सरणीकरण		17	—
गुणवत्ता की शिकायतें		21क	—
परिभाषाएं		7	5
आयात नामे डालना		—	231
नीति/प्रक्रिया से छूट		21	—
आई ई सी कोड सं		18	7
नीति स्पष्टीकरण		20	—
निषेधात्मक सूची		10	13
उद्देश्य		6	3
संशोधन के अधिकार			
नीति		3	—
प्रक्रिया		16	1
लाइसेंस के लिए शर्तें		13	16
अन्तवर्ती व्यवस्था		4	2
वैधता अवधि			
आयात लाइसेंस		14	19
निर्यात लाइसेस		14	20
उपहार		34	56
रत्न व आभूषण और हीरा निर्यात संवर्धन स्कीमें			
हीरे और हीरा व्यापार निगम अग्रदाय लाइसेंस		80	133
सोने, चांदी और प्लेटिनम के आभूषण		86	152
रत्न और आभूषणों के लिए आयात प्रतिपूर्ति		79	148
आयात	(झ)		
पूंजीगत माल, कच्चा माल, संघटकों, उपभोज्यों इत्यादि का मुक्त आयात		22	23
लेबल		22	96
आदिप्ररूप/नमूने		22	98

(1)	(2)	(3)
मदें, जो उपभोज्य माल नहीं मानी जाए	156	
पुस्तकें/जर्नल/समाचार पत्रिकाएं		32
बच्चों की फिल्में		
कम्प्यूटर साफ्टवेयर		
गर्भ निरोधक		
अपरिष्कृत औषधियां		
औषधि और औषधभेषजीय (भाग छः में वर्णित को छोड़कर)		
मेवे—बादाम और छुहारों सहित		
फेसिमाइल मशीन		
चलचित्रण रंगीन फिल्मों के परिष्कृत रोल		
(अनभिदर्शित) पोजीटिव		
पमोट-ग्लास		
होम्योपैथी की दवाइयां/औषधियां		
सीखने की सहाय सामग्री		
चिकित्सा उपकरण		
फोटोकापियर		
दालें		
कच्चा काजू		
रुद्राक्ष माला		
अध्यापन सहाय सामग्री		
लकड़ी के लट्ठे		
टायर (बस और ट्रक)		
आयात की निषेधात्मक सूची		
निषेध मदें	155	
पशु रोनेट		
अविनिर्मित हाथी दांत		
टैलो, वसा और तेल		
प्रतिबन्धित मदें	156	
वायुयान और हेलीकाप्टर		94
गोलाबारूद		39
पशु पक्षी और सरीसृप		82
आटोमोबाइल वाहन-व्यापारिक और यात्रियों के लिए कैमरा		34
चलचित्रदर्शी रंगीन फिल्मों के रोल		81
लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता		28
नारियल (फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स)		
रंगीन टी.वी. की पिक्चर ट्यूब्स		
उपभोज्य माल (उपभोक्ता ड्यूरेबल्स सहित)		26
उपभोज्य इलैक्ट्रोनिकी माल		
उपभोज्य दूर सचार उपस्कर		
औषधि और औषधिभेषजीय		
इलैक्ट्रानिक मदें		
फैब्रिक—सूती, ऊनी, रेशमी और सम्मिश्रित		91
अग्निशस्त्र		
सुगन्धित पत्र (सभी किस्म के)		
उपहार में उपभोक्ता माल		56

(1)	(2)	(3)
सोना		
होटल की विशिष्ट मदें		
कीटनाशक, महामारीनाशी		44
प्राकृतिक रबर		
नैफथा		
अखबारी कागज		93
पैनिसिलीन—सभी किस्म की		
पौधे, फल और बीज		
पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर		
मूल्यवान अर्ध मूल्यवान पत्थर		
प्रिंटिड सर्किट बोर्डस		
कच्चा कपास और कपास का तागा		
कच्चा रेशम		
रिफैम्पीसिन		73
पोत और ट्रावलर		
चांदी		
खेलकूद का सामान/उपस्कर		
सांड घोड़े/प्रजनक घोड़ी		
यात्रा एजेन्टस/पर्यटन आपरेटर्स–विशेष मदें		45
शराब		
सारणीबद्ध मदें	157	
अनाज		
उर्वरक		
तेल (खाद्य)		
पामस्टीरिन		
पैट्रोलियम उत्पाद		
बीज (गोला, मूंगफली, तोड़िया के बीज, कुसुम्भ, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास)		
(थ)		
सुपवत्ता	151	226
(थ)		
समुद्रपार के देशों को बिक्री	35	
विशेष आयात लाइसेंस		
निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार. सदन	142	
गुणवत्ता	153	226
प्रतिबंधित मदें	—	91
(न)		
पड़ोसी देशों के साथ व्यापार	36	

विशेष टिप्पणी : इस सूची में दी गई आयात और निर्यात की मदें केवल वर्णात्मक हैं। पूर्ण सूची के लिए कृपया आयात और निर्यात की निषेधात्मक सूचियों को देखें।

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 1(RE)/92-97

New Delhi, the 31st March, 1993

S.O. 222(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby notifies the Export and Import Policy, 1992-97 (Revised Edition : March, 1993) as contained in Annexure to this Notification. This Revised Edition of the Policy, shall come into force from 1st April, 1993.

[File No. IPC/45(339)/92-97]

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Annexure to Ministry of Commerce Notification No. 1(RE)/92-97 dated 31-03-1993

EXPORT AND IMPORT POLICY

1 April, 1992—31 March, 1997

(Incorporating Amendments made upto 31st March, 1993)

Ministry of Commerce
Government of India

FOREWORD TO THE REVISED EDITION

The Export and Import Policy announced on the 31st March, 1992 is effective for a period of five years from 1st April, 1992 to 31st March, 1997 and will co-terminate with the Eighth Plan period. Since the announcement of this Policy, the Imports and Exports (Control) Act, 1947, has been replaced by the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and the Chief Controller of Imports and Exports has been re-designated as Director General of Foreign Trade. The provisions of the new Act and the new designation reflect in more clear terms the objectives and the thrust of the current Policy towards promotion and development of Foreign Trade instead of controls and regulations.

2. At the time of the announcement of the Policy, it was also expressed that the basic philosophy of the Policy is to regulate, wherever necessary, exports and imports through the tariff mechanism by abolishing the licensing restrictions and discretionary controls. This has been achieved substantially during the course of the year. The pace of liberalisation has been stepped up and further efforts in this direction are envisaged during the coming years.

3. Certain changes have been made in the Policy effective from 1st April, 1993 for giving further fillip to the export efforts and for facilitating better and smooth administration of various schemes; making them more attractive and transparent by eliminating ambiguity and procedural constraints. Some of the changes trade in the Policy are :

(i) The principal objectives of the current Export and Import Policy have been redefined with a view to enhance export capabilities of the agriculture and service sectors also by promoting productivity, modernisation and competitiveness thereof;

(ii) The definition of 'Capital Goods' has been enlarged so as to bring within its ambit various sectors like agriculture, mining and services. This will increase the scope of Imports of Capital goods at concessional rate of Customs duty and help in achieving export targets in these sectors.

(iii) A new scheme for grant of Export Promotion Capital Goods licences for the services sector is being launched, which will enable the professionals like architects, doctors, diagnostic centres, economists, journalists, lawyers etc., to import specified equipments required for rendering services, at a concessional rate of 15 per cent Customs duty. In their case, fulfilment of export obligation is related to the payment received in freely convertible currency for the services rendered in India and/or abroad.

(iv) Henceforth, there shall be only a single window under the EPCG Scheme-that of 15% Customs Duty. The alternate window of 25% of the Customs Duty has been done away with. Further, there shall be no incremental export obligation under the EPCG Scheme if the overall export obligation of an exporter is 75% or more.

(v) The Negative List of Exports has been substantially pruned by deleting 72 items and another 72 sub-items i.e. a total of 144 entries therefrom and the remaining ones regrouped into only three parts. Items permitted for export without licence but subject to certain conditions have been listed in a Public Notice. The export related procedures have been simplified.

(vi) The amount of Bank guarantee required to be furnished under the EPCG and Duty Exemption Schemes has been reduced and the related procedure further simplified. For the benefit of manufacturer exporters in the small scale sector, further relief has been extended by permitting 50% of the normal Bank Guarantee to be covered by LUT.

(vii) The criterion for recognition as Export Houses, Trading Houses of Star Trading Houses as well as the quantum of incentives admissible is now related to the FOB value of exports instead of Net Foreign Exchange earnings.

(viii) In respect of EOU/EPZ Units in agriculture and allied sectors, DTA sales have been permitted upto 50% of their value of production subject to fulfilment of minimum value addition and export obligation. Further, the formula of value addition for EOU/EPZ Units has been rationalised by counting only the physical imports and not the indigenously sourced inputs, and allowing, in capital-intensive projects, amortisation of capital goods over a longer period.

(ix) Refractories, Rubber goods (including moulds for tyre) and glass and glasswares including vacuum flask have been included in the list of sectors eligible for import of second-hand capital goods without a licence.

(x) To avoid inconvenience to the manufacturers of Ayurvedic and Unani medicines, a list of the crude drugs required therefor has been specified.

(xi) To promote sports in the country, National/State level organisations, associations and eminent Sportspersons have been allowed to import specified categories of sports goods without a licence.

(xii) Certain loose ends in the implementation of the Duty Exemption Scheme have been suitably taken care of to prevent possible misuse and to facilitate easy monitoring of fulfilment of export obligations.

(xiii) A Complaints Cell has been set up in the Headquarters of DGFT to expeditiously attend to complaints from foreign buyers regarding quality etc. of goods exported and to take action under the Act, wherever necessary.

4. Over the past years, many important activities of the Organisation have been computerised in a phased manner. Continuing our efforts in this direction, it is proposed to bring the issue of Import-Export Licences within the fold of computerisation and it is expected to achieve the same in the major regional offices of the Organisation during the next licensing year.

5. The revised editions of the Export and Import Policy, Handbook of Procedures and the Standard Input Output norms (under Duty Exemption Scheme) have been published incorporating all the changes that have been made upto the 31st March, 1993. These revised editions shall replace the origi-

nal editions with effect from 1st April 1993. This will help the trade and industry in referring to all the amendments made during the past one year in the respective revised editions. For facilitating easy reference, a detailed index attempting to match the paragraphs in the Policy with the relevant paragraphs of the Handbook of Procedures has also been annexed.

6. I will be failing in my duty if I do not thank all the officers and staff working in the entire Organisation and in the Ministry of Commerce who have contributed in updating and revising this Policy. I would also like to thank the Computer Centre of the National Informatics Centre in the Ministry of Commerce and the Government of India Printing Press for their commendable services.

C. K. MODI,
Director General of Foreign Trade

New Delhi,
the 31st March 1993.

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. Notification.—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (No. 18 of 1947), the Central Government had notified on 31st March, 1992 the Export and Import Policy for the period 1992-97 (hereinafter referred to as the Policy). This Act has since been repealed and replaced by the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) (hereinafter referred to as the Act). This policy was deemed to have been notified under section 5 of the Act.

2. Application and duration.—This Policy came into force with effect from 1st April, 1992 and shall remain in force for a period of five years, that is, upto 31st March, 1997.

3. Amendment.—The Central Government reserves the right in public interest to make any amendments to this Policy. An amendment shall be made by means of a Notification published in the Official Gazette.

4. Transitional arrangements.—Any Notification made or Public Notice issued or anything done under the previous Export-Import policies, and in force immediately before the commencement of this Policy shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Policy, continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or done under this Policy. Licences issued before the commencement of this Policy shall continue to be valid for import/export of the items permitted therein.

5. In case an export or import that is permitted freely under this Policy is subsequently subjected to any restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated, provided that the shipment of the export or import is made within 60 days of imposition of such restriction against a firm order backed by an irrevocable letter of credit established before the date of imposition of such restriction.

CHAPTER II

OBJECTIVES

6. The principal objectives of this Policy are as under :

(a) To establish the framework for globalisation of India's foreign trade ;

(b) To promote the productivity, modernisation and competitiveness of Indian industry, agriculture and services, and thereby to enhance their export capabilities ;

(c) To encourage the attainment of high and internationally accepted standards of quality and thereby enhance the image of India's products abroad ;

(d) To augment India's exports by facilitating access to raw materials, intermediates, components, consumables and capital goods from the international market ;

(e) To promote efficient and internationally competitive import substitution and self-reliance under a deregulated framework for foreign trade ;

(f) To eliminate or minimise quantitative, licensing and other discretionary controls in the framework of India's foreign trade ;

(g) To foster the country's Research and Development (R&D) and technological capabilities ; and

(h) To simplify and streamline the procedures governing exports and imports.

CHAPTER III

DEFINITIONS

7. For the purpose of this Policy, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the meanings attached to them :—

(1) "Accessory" or "Attachment" means a part, subassembly or assembly that contributes to the efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.

(2) "Act" mans the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992).

(3) "Actual User" means an actual user who may be either industrial or non-industrial.

(4) "Actual User (Industrial)" means a person who utilises the imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.

(5) "Actual User (Non-Industrial)" means a person who utilises the imported goods for his own use in :—

(i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession ; or

(ii) any laboratory, Scientific or Research and Development (R&D) institution, university or other educational institution or hospital ; or

(iii) any service industry.

(6) "Applicant" means :—

(i) Proprietor ; or

(ii) a partner of a firm ; or

(a) the Chief Executive of a Company or a Corporation or any other legal person ; or

(b) a full time Director of a Company or a Corporation ; or

(c) any employee duly authorised by the Board of Directors of any such Company or Corporation or any other legal person including a Co-operative Society.

(7) "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological upgradation or expansion. Capital goods also include packaging machinery and equipment, refractories, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, and equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry and sericulture, as well as for use in the services sector.

(8) "Canalisation" of exports and imports means exports and imports only through the agencies designated by the Central Government.

(9) "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made thereunder or under this Policy.

(10) "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment

(11) "Consumables" means any item which participates in or is required for a manufacturing process, but does not form a part of the end-product. Items which are substantially or totally consumed during a manufacturing process will be deemed to be consumables.

(12) "Consumer Goods" means any consumption goods which can directly satisfy human needs without further processing and include consumer durables and accessories, components, parts and spares of such consumer durables.

(13) "Counter Trade" means any arrangement under which exports/imports from India are balanced either by direct imports/exports from the importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. The balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.

(14) "Drawback" in relation to any goods manufactured in India and exported means the rebate of duty chargeable on any imported materials or excisable materials used in the manufacture of such goods in India.

(15) "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under the Central Excise and Salt Act 1944 (1 of 1944).

(16) "Exporter" means a person who exports or intends to export and holds an Importer-Exporter code number.

(17) "Export House/Trading House/Star Trading House" means an exporter holding an Export House/Training House/Star Trading House certificate issued by the Director General of Foreign Trade.

(18) "Export Obligation" means the obligation to export the product or products covered by the licence or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by the licensing or competent authority.

(19) "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an Importer-Exporter code number.

(20) "International Price Reimbursment Scheme" means any scheme providing for reimbursement of an amount equivalent to the difference between domestic and international prices, as determined by the Central Government from time to time, in respect of a specific input used in the export product.

(21) "Licence" means a licence granted under the Act.

(22) "Licensing Authority" means the authority competent grant a licence.

(23) "Licensing year" means the period beginning on the 1st April of a year and ending on the 31st March of the following year.

(24) "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes, such as, refrigeration, repacking, polishing, labelling and segregation. Manufacture, for the purpose of this Policy, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry floriculture, horticulture, pisciculture, poultry and sericulture.

(25) "Manufacturer Exporter" means a person who manufactures goods and exports or intends to export such goods.

(26) "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.

(27) "Notification" means a notification published in the Official Gazette.

(28) "Order" means Order made by the Central Government under the Act.

(29) "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component or an accessory.

(30) "Person" includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person.

(31) "Policy" means the Export and Import Policy 1992-97 as amended from time to time.

(32) "Prescribed" means prescribed under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 or the Rules or Orders made thereunder or under this Policy.

(33) "Public Notice" means a notice published under the Policy for the information of the public.

(34) "Raw material" means :

(i) basic materials which are needed for the manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or unmanufactured state; and

(ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state.

(35) "Registration-cum-Membership Certificate" means the certificate of registration and membership granted by any Export Promotion Council or by any other concerned authority listed in Chapter XIII.

(36) "Rules" means Rules made by the Central Government under section 19 of the Act.

(37) "Spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is, ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.

(38) "Specified" means specified by or under the provision of this Policy.

CHAPTER IV

GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS AND IMPORTS

8. Exports & Imports free unless regulated.—Exports and imports may be done freely, except to the extent they are regulated by the provisions of this Policy or any other law for the time being in force.

9. Form of Regulation.—The Central Government may, in public interest, regulate the import or export of goods by means of a Negative List of Imports or a Negative List of Exports, as the case may be.

10 Negative Lists.—The Negative Lists may consist of goods, the import or export of which is prohibited, restricted through licensing or otherwise, or canalised. The Negative

List of Imports and the Negative List of Exports shall be as contained in this Policy.

11. Prohibited goods.—Prohibited goods shall not be imported or exported.

12. Licensing.—Any goods, the export or import of which is restricted through licensing, may be exported or imported only in accordance with a licence issued in this behalf.

13. Terms and Conditions.—A licence shall contain such terms and conditions as may be specified by the licensing authority and may include :

(a) The quantity description and value of the goods;

(b) Actual User condition, if any;

(c) Export obligation, if any;

(d) The value addition to be achieved, if any;

(e) The minimum export price, if any; and

(f) The country of origin or destination of the goods.

14. Period of Validity.—Every licence shall be valid for the period of validity specified in the licence and if no period is specified it shall be valid until the 31st March of the licensing year.

15. Licence not a right.—No person may claim a licence as of right and the licensing authority shall have the power to refuse a licence.

16. Procedure.—The Director General of Foreign Trade may, in any case or class of cases, specify the procedure to be followed by an exporter or importer or by any licensing, competent or other authority for the purpose of implementing the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and this Policy. Such procedures shall be included in the Handbook of Procedures and published by means of a Public Notice. Such procedures may, in like manner, be amended from time to time.

17. Canalisation.—Any goods, the import or export of which is canalised, may be imported or exported by the canalising agency specified in the Negative Lists. However, the Director General of Foreign Trade may grant a licence to any other person to import or export any canalised goods.

18. IEC Code No.—An Importer-Exporter Code (IEC) number shall be granted, on application, by the competent authority in accordance with the procedure specified in this behalf by the Director General of Foreign Trade. No export or import shall be made by any person not granted an Importer-Exporter Code (IEC) number unless specifically exempted under any other provision of this Policy.

19. Compliance with laws.—Every exporter or importer shall comply with the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder, the provisions of this Policy and the terms and conditions of any licence granted to him, as well as provisions of any other Law for the time being in force.

20. Interpretation of Policy.—If any question or doubt arises in respect of the interpretation of any provision contained in this Policy, the said question or doubt shall be referred to the Director General of Foreign Trade and his decision shall be final.

21. Exemption from Policy/Procedure.—Any request for relaxation of the provisions of this Policy or of any procedure, on the ground that there is genuine hardship to the applicant or that a strict application of the Policy or the procedure is likely to affect trade adversely, may be made to the Director General of Foreign Trade for such relief as may be necessary. The Director General of Foreign Trade may pass such orders or grant such relaxation or relief as he may deem fit. The Director General of Foreign Trade may, in public interest, exempt any person or class or category of persons from any provision of this Policy or any procedure and may, while granting such exemption, impose such conditions as he may deem fit.

21A. Monitoring of Complaints from foreign buyers.—If it comes to the notice of the Director General of Foreign Trade or he has reasons to believe that an export or import has been made in a manner gravely prejudicial (i) to the trade relations of India with any foreign country; or (ii) to the interest of other persons engaged in exports or exports; or (iii) has brought disrepute to the credit or the goods of the country, the Direcotr General of Foreign Trade may take penal action against the concerned exporter or importer in accordance with the provisions of the Act.

CHAPTER V

IMPORTS

22. Free Importability.—Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods may be imported without any restriction except to the extent such imports are regulated by the Negative List of Imports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.

23. Actual User Condition.—Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restriction, may be imported by any person whether he is an Actual User or not. However, if such imports require a licence, the Actual User alone may import such goods unless the Actual User condition is specifically dispenced with by the licensing authority.

In the case of consumer durables, their components, parts, spares and accessories, except those specifically listed in the Negative List of Imports, may be imported without a licence subject to Actual User condition.

24. Second hand goods.—Notwithstanding anything contained in paragraphs 22 and 23, second hand capital goods and any other second hand goods shall not be imported unless permitted by this Policy or in accordance with a licence issued in this behalf.

25. Import of second hand capital goods without licence.—Second hand capital goods may be imported without a licence in the sectors specified in Appendix III to this Policy.

26. Import of second hand capital goods with licence.—Any other second hand capital goods may be imported in accordance with a licence issued in this behalf.

27. Application.—An application for the import of second hand capital goods may be made to the licensing authority and shall contain the following :

(a) Complete specifications of the second hand plant, machinery, equipment and accessories and price (proforma invoice), together with photographs, if available, and break-up of the price of the capital goods, cost of dismantling, freight and insurance;

(b) Performance guarantee furnished by the supplier;

(c) Reasons and grounds in support of such import, including the advantages that would accrue in capital cost, production, prices of the products proposed to be manufactured and exports; and

(d) A certificate in the prescribed form from a professional independent Chartered Engineer or any Institution of Engineers in the country from which the second hand capital goods are intended to be imported certifying the age and residual life of the said capital goods.

28. Conditions for import of scond hand machinery.—The second hand capital goods covered by paragraphs 25 and 26 above, shall not be more than seven years old and shall have a minimum residual life of five years. In appropriate cases, the condition of seven years may be relaxed.

Imports of second hand capital goods shall be subject to Actual User condition in all cases.

29. Other second hand goods.— All second hand goods, other than capital goods may be imported in accordance with a Public Notice or a licence issued in this behalf..

30. Import on re-export basis.—The following capital goods, including second-hand capital goods, may be imported on re-export basis without a licence on execution of bond/bank guarantee to the satisfaction of the Customs authorities.

(a) Capital goods for repairs or reconditioning;

(b) Jigs, fixtures, dies (including contour roller dies), moulds (including moulds for die casting), patterns, press tools and lasts; and

(c) Construction machinery and other equipment.

31. Repairs abroad and re-import without Licence.— Imported capital goods or parts thereof may be sent abroad for repairs and re-imported without a licence but subject to the satisfaction of the Customs authorities that re-imported goods are the same as the goods that were exported. Export of aircraft, its engines and spares for overhauling or repairs and their re-import may be made without a licence under this provision.

32. Under licence.—Indigenous capital goods having imported components may be sent abroad for repairs after obtaining a licence from the Director General of Foreign Trade for such export on re-import basis.

Indigenous capital goods or parts or components thereof may be sent abroad for testing, quality improvement or upgradation of technology after obtaining a licence from the Director General of Foreign Trade for such export on re-import basis.

33. Import of used machinery and equipment.— After completion of the projects abroad, project contractors may import, without a licence, used construction equipment, machinery, related spares, tools and accessories on the basis of production of evidence of purchase for and use in the overseas project. Used office equipment and vehicles may also be imported after completion of the projects abroad, without a licence, but subject to the condition that they have been used for at least one year.

34. Import of Gifts.—Import of gifts shall be permitted according to the Baggage Rules, 1976. In any other case, a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required for import of gifts by such institutions and establishments as may be specified in this behalf. A Customs Clearance Permit (CCP) may be issued, on application, by the licensing authority after considering the merits of the case. Such imports will, however, be subject to the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

35. Sale on high seas.—Sale of goods on high seas for importation into India may be made subject to this Policy or any other law for the time being in force.

36. Trade with neighbouring countries.—In the case of trade with neighbouring countries, the Director General of Foreign Trade may issue from time to time such instructions as may be required.

CHAPTER VI

EXPORT PROMOTION

CAPITAL GOODS SCHEME

37. Scheme.—Capital goods may be imported with a licence under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme.

38. Import on concessional duty.—Capital goods (including spares upto 10 per cent of the CIF value of the capital goods) may be imported at a concessional rate of custom duty of 15 per cent subject to an export obligation of four times the CIF value of the imports. The export obligation shall be fulfilled within a period of five years from the date of issue of the import licence.

39. Eligibility.— Under the Scheme, a manufacturer exporter is eligible to import capital goods as defined in paragraph 7 (7) of this Policy. However, in the case of the services sector, the provisions of Chapter VI-A shall apply.

40. Conditions for import of capital goods.—Import of capital goods under the scheme shall be subject to actual user condition.. Both new and second hand capital goods may be imported under the scheme. In the case of import of second hand capital goods, the general conditions contained in Chapter V shall apply. The licensing authority may also specify, in individual cases, such terms and conditions as considered appropriate.

41. Export obligation.—The following conditions shall apply to the fulfilment of the export obligation under the scheme:

(i) The export obligation shall be fulfilled by the export of goods manufactured or produced by the use of the capital goods imported under the scheme;

(ii) The exports shall be direct exports in the name of the importer and not through third parties;

(iii) Exports shall be in freely convertible currencies;

(iv) Exports shall be physical exports; deemed exports shall not be taken into consideration;

(v) The export obligation shall be in addition to any other export obligation undertaken by the importer and shall be over and above the average level of exports of the same or similar product(s) achieved by him in the preceding three licensing years provided, however, that if the exporter achieves an export of 75 per cent of the annual value of the production of the export product, the export obligation under this scheme would be subsumed under that export;

(vi) Where the manufacturer exporter has obtained licences for the manufacture of the same export product both under this Scheme and the Duty Exemption Scheme, the exports made under Duty Exemption Scheme shall also be counted towards the discharge of export obligation under this scheme;

(vii) In the case of export of computer, the export obligation shall be limited to four times the CIF value of imports to be fulfilled within a period of five years and the past average need not be maintained; and

(viii) The licensing authority may, on merits relax in any case the condition relating to the maintenance of the past level of exports by the importer and may limit the export obligation to four times the CIF value of the imports to be fulfilled within a period of five years.

42. Leasing of Capital Goods.—An EPCG licence holder may, on the basis of firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic leasing company. In such a case, the name of the domestic leasing company will be endorsed on the EPCG licence to enable it to import the capital goods at the concessional rate of duty and supply the same to the EPCG licence holder on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the two parties. The export obligation, however, shall remain on the EPCG licence holder. In case the EPCG licence holder commits a breach of contract and, as a result, the leasing company repossesses the capital goods, the Bank Guarantee/LUT shall be enforced against the EPCG licence holder by the licensing authority.

43. Procedure for application—An application for grant of a licence under the scheme may be made to the licensing authority in accordance with the procedure specified in this behalf.

44.. Import of Computer system.—Import computer systems for the export of software shall also be governed by paragraphs 37 to 43 above.

45. LUT and/or Bank Guarantee.—The importer shall be required to execute with the licensing authority a Legal Undertaking supported by bank guarantee wherever necessary for the fulfilment of the export obligation. The details in this regard are specified in the Handbook of Procedures.

46. Import of Components and goods in SKD/CKD condition.— A person may apply for a licence under EPCG scheme to import the capital goods in SKD/CKD condition or components of such capital gods and may assemable or manufacture, as the case may be, the capital goods. This facility shall not be available for replacement of parts. The export obligation under paragraph 38 shall be fixed with reference to the CIF value of such imports and all other provisions of this Chapter shall apply to such imports.

CHAPTER VI-A

EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME FOR SERVICES SECTOR

46A. Scheme.—Under the Export Promotion Capital Goods Scheme for Services Sector, capital equipment may be imported for rendering of services for which the payments are received in a freely convertible currency. Under the scheme, capital equipment (including spares up to 10 per cent of the CIF value of the capital equipment) may be imported at a concessional rate of custom duty of 15 per cent subject to an export obligation of four times the CIF value of the imports. The export obligation shall be fulfilled within a period of five years from the date of issue of the import licence

46B. Eligibility.—The following categories of service providers are eligible to import capital equipment under the scheme.

(i) Architects;

(ii) Artists;

(iii) Chartered Accountants;

(iv) Consultants;

(v) Diagnostic Centres;

(vi) Doctors;

(vii) Economists;

(viii) Engineers;

(ix) Hotels and Restaurants;

(x) Journalists;

(xi) Lawyers;

(xii) Scientists;

(xiii) Travel Agents and Tour Operators;

(xiv) Any other service as may be specified by a Public Notice issued in this behalf.

46C. Items of Import.—The items of capital equipment that may be permitted to be imported under the scheme will be as specified in a Public Notice issued in this behalf.

The items of capital equipment that may be imported under the scheme shall have a direct nexus with the services rendered for which payments is received in freely convertible currency.

46D. Minimum value of imports.—An application for grant of a licence under the scheme shall be for a minimum CIF value of imports of US $ 10,000.

46E. Export Obligation.—The export obligation to be fulfilled under the scheme shall be the payments received in a freely convertible currency for the services rendered by the licence holder, regardless of whether the services are rendered in India or abroad. The export obligation shall be over and above the average level of hard currency earnings of the licence holder, if any, in the preceding three licensing years.

46F. Other Provisions.—The Provisions of Paragraph 43 (Procedure for Application) and 45 (LUT and bank guarantee) of this Policy shall apply to this scheme also.

CHAPTER VII

DUTY EXEMPTION SCHEME

47. Duty exemption scheme.—Under the Duty Exemption Scheme, import of raw materials intermediates, components, consumables, parts, accessories, packing materials and computer software (hereinafter referred to as "inputs") required for direct use in the product to be exported may be permitted duty free by the competent authority under the categories of licences mentioned in this chapter.

48. Advance Licence.—An advance licence is granted for the duty free import of inputs. Such licence shall be issued in accordance with the policy and procedure in force on the date of issue of the licence and shall be subject to the fulfilment of a time-bound export obligation and value addition as may be specified. Advance Licences may be either value based or quantity based

Licences issued under the Duty Exemption Scheme shall be regulated in freely convertible currency. The FOB value of exports and CIF value of imports in the licences shall be specified in freely convertible currency. The CIF value shall also be specified in bracket in Indian Rupees at the exchange rate on the date of issue of the licence.

However, in the case of Advance Intermediate Licence and Special Imprest Licence where the payment for the goods supplied is to be received in Indian Rupees, the FOB value shall be specified in Indian Rupees and the CIF value of imports shall be specified in freely convertible currency on these licences.

49. Value based Advance Licence.—Under a value based Advance Licence, any of the inputs specified in the licence may be imported within the total CIF value indicated for those inputs, except inputs specified as sensitive items. The sensitive items may be imported only to the extent of the quantity or value specified in the licence.

Under a value based Advance Licence, both the quantity and FOB value of the exports to be achieved shall be specified. It shall be obligatory on the part of the licence holder to achieve both the quantity and FOB value of the exports specified in the licence.

A value based Advance Licence shall specify :

(a) the names and description of items to be imported and exported;

(b) the Cif value of imports;

(c) the FOB value and quantity of exports,

(d) For sensitive items, or where the competent authority considers it necessary to do so, quantity or CIF value or both of each sensitive item shall also be specified in the licence.

50. Quantity based Advance Licence.—A quantity based Advance Licence shall specify :

(a) the names and description of items to be imported and exported;

(b) the quantity of each item to be imported or if the quantity cannot be indicated, the value of the item;

(c) the CIF value of imports; and

(d) the FOB value and quantity of exports.

51 Input-Output and value addition norms.—The standard input-output norms for the imports and exports for the grant of both value based and quantity based advance licen- ard value addition norms for value based licences shall be accordance with the norms published by the Director General of Foreign Trade by means of a Public Notice. However, in respect of quantity based Advance Licence, for which such standard input-output norms have not been published, the quantitative norms will be as specified by the competent authority.

52 The Director General of Foreign Trade may, on the recommendation of the Special Advance Licensing Committee modify the norms or prescribe norms for additional items.

53 Special Schemes.—The Director General of Foreign Trade may published by means of a Public Notice special schemes for quantity or value based advance licences for a class or a group of export products in order to provide greater flexibility to the exporters in terms of broadbanding, value addition or imports, with such conditions as may be considered necessary.

54. Self declared Pass Book Scheme.—A scheme of self-certification and self-declaration under the Advance Licence Scheme will be available for some categories of exporters.

Star Trading Houses, Trading Houses and Export Houses will be eligible to avail themselves of the scheme. Exporters of other products, as may be specified in this behalf by the Director General of Foreign Trade, may also avail themselves of the scheme. Such Pass Books shall be quantity based.

Under the scheme, an exporter will be issued a Pass Book indicating the names and description of the items to be imported and exported by him and the value addition to be achieved through such exports. The exporter will be permitted to enter on the import side of the Pass Book the names and description of the items to be imported by him and the CIF value of the imports. He shall certify and declare the contents to be true. On the basis of such self-certification and self-declaration, the Customs authorities shall permit the import of inputs. After the export is made, the exporter shall, on the export side of the Pass Book, enter the names and description of the items exported and the value addition achieved. He shall certify and declare the contents to be true. On the basis of the self-certification and self-declaration the licensing authority may, after due verification, discharge his export obligation.

The Pass Book shall be valid for a period of two years and may be renewed from time to time.

55. Advance Intermediate Licence.—An Advance Intermediate Licence is granted for the duty free import of inputs by the intermediate manufacturer for supply to the ultimate exporter holding a licence under the Duty Exemption Scheme. The Intermediate Licence holder shall make supplies to a licence holder under the Duty Exemption Scheme within a specified period. The quantitative norms applicable to Advance Licences shall also apply to Advance Intermediate Licences. An Advance Intermediate Licence shall be quantity based only.

56. Special Imprest Licence.—A Special Imprest Licence is granted for the duty free import of inputs to main/sub-contractors for the manufacture and supply of products in the following cases :—

(i) Supplies made to United Nations Organisations or under the aid programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in foreign exchanges;

(ii) Supplies made to projects financed by the following multilateral or bilateral agencies/Funds or any other agency/Fund as may be notified by the Central Government, under international competitive bidding or under limited tender system in accordance with the procedures of those agencies/Funds ;

1. Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development.
2. Asian Development Bank (ADB).
3. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD/IDA)
4. International Fund for Agricultural Development (IFAD)
5. Kreditansdalt fur Wiederaufbau (KFW)
6. Kuwaiti Fund for Arab Economic Development
7. Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Fund
8. Saudi Fund for Development (SFD)
9. United States Agency for International Development (USAID)
10. Yen credit channelised through Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)
11. Exim Bank of Japan
12. International Finance Corporation (IFC)
13. Canadian International Development Agency (CIDA)
14. Overseas Development Agency (ODA);

(iii) Supplies made to units in the Export Processing Zones (EPZs) and Export Oriented Units (EOUs) (excluding EPZ Units/EOUs engaged in Diamond, Gem & Jewellery);

(iv) Supplies of capital goods, raw materials, components, intermediates, consumables, parts, equipment, instruments, accessories, tools and spares to the Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Oil India Ltd. (OIL) and Gas Authority of India Ltd. (GAIL), for their offshore and on-shore exploration, drilling and production operations;

(v) Supply of capital goods for fertiliser plants if the supply is made under the procedure of international competitive bidding; and

(vi) Supply of goods to any project funded partly or wholly by a foreign government or agency as may be notified.

(vii) Supply of goods and services to projects under international competitive bidding (ICB) or similar procedures, where ICB or similar procedures have been authorised by the Central Government.

57. Special Imprest Licences shall be quantity based and the quantity norms applicable to Advance Licences shall also apply to Special Imprest Licence.

58. Advance Customs Clearance Permit.—A quantity based Advance Customs Clearance Permit (ACCP) is granted for the duty free import of goods for the purpose of jobbing, repairing, servicing, restoration, reconditioning, renovation and may also include patterns, drawings, jigs, tools, fixtures, moulds, tackles computer hardware, software and instruments as are directly related to the export order and are supplied free of cost by the foreign buyer. But these shall be re-exported along with the export product. Requests for retention of imported moulds, patterns etc. may be made after the fulfilment of the export obligation and may be permitted by the Advance Licensing Committee, subject to the payment of customs duty leviable on the date of import and such other conditions as may be specified by the competent authority. The value addition to be achieved shall not be less than 15%.

59. Eligibility.—Any merchant exporter or manufacturer exporter who holds an Importer-Exporter Code number, a specific export order/letter of credit and is in a position to realise the export proceeds in his own name may apply for duty free licences.

60. Value addition norms, as specified in the standard input-output norms referred to in paragraph 51 shall apply to the value based duty free licences. Quantity based licences and products not listed in the standard input-output norms shall have a minimum value addition of 33%. The competent authority may, however, consider requests for grants of quantity based licences on a lower value addition, but in no case below 25%, on technical grounds.

61. Exports not covered by free convertible currency.—Exports for which payments are not received in freely convertible currency shall be subject to such value addition as may be specified from time to time by a Public Notice issued in this behalf.

62. Licences under Export Production Programme.—Exporters may apply for duty free licences against specific export orders. Exporters may also apply for duty free licences, except Advance Intermediate Licences and Special Imprest Licences, without an export order. They may be granted the licence subject to the following conditions :—

(a) For exporters having regular export performance, the value of licence shall not exceed 25% of the average FOB value of their exports in the preceding three licensing/years;

(b) For exporters who are not covered by sub-paragraph (a) above, the value of licence shall not exceed

10% of their average turn-over in the preceding three licensing years, provided their average turn-over is not less than Rs. 5 crores;

(c) Such licences shall be quantity based only: and

(d) The above mentioned facility is in addition to the duty free licences granted against specific export order(s).

63. Export Obligation.—The period for fulfilment of the export obligation under a duty free licence shall commence from the date of issue of the licence. The export obligation imposed shall be fulfilled within a period of 12 months except in the case of supplies made under Special Imprest Licence for projects where the export obligation must be fulfilled during the contracted duration of the execution of a project.

A request for extension of the period to fulfil the export obligation may be considered by the licensing authority concerned.

64. Advance Release Orders.—A holder of a duty free licence has the option either to import items allowed under the licence directly or to obtain them from indigenous sources/canalising agencies against Advance Release Orders denominated in foreign exchange/Indian rupees. An Advance Release Order may be granted, on application, by the licensing authority which issued the duty free licence or any other licensing authority as may be authorised in this behalf.

An Advance Release Order shall be granted only against quantity based licences. The facility of Advance Release Order shall not be available against Advance Intermediate Licence.

65. Sourcing and clearance.—A holder of a duty free licence may source or clear any goods already imported and kept in a customs bonded warehouse. A holder of a duty free licence may also source or clear any goods manufactured or processed in units EPZs or in EOUs. In the latter case, the duty free licence holder shall apply for and obtain an Advance Release Order from the licensing authority.

66. Exports in anticipation of licence.—Exports/supplies made from the date of receipt of an application under this scheme by the licensing authority may be accepted towards discharge of export obligation. If the application is approved, the licence shall be issued in accordance with the policy and procedures in force on the date of its issue. The conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills may also be permitted by the Customs authorities in case the application is rejected or modified by the licensing authority.

67. Transferability of Advance Licence.—A value or quantity based Advance Licence (except Intermediate Advance Licence and a Special Imprest Licence) or the materials imported against them, may be freely tranferable after the export obligation has been fulfilled, export proceeds realised and the bank guarantee/LUT redeemed. This facility shall not be available in cases where the MODVAT/Proforma Credit facility or excise relief under Rule 191B of the Central Excise Rules has been availed of.

68. Deleted.

69 Prohibited item.—Prohibited items in the Negative List of Imports shall not be imported under the scheme.

70. Admissibility of Drawback/IPRS—No duty drawback shall be admissible in respect of Value-based Advance Licence.

70A In the case of Quantity based Advance Licence if any of the item included in the Licence is not imported duty free but if purchased from indigenous source, or imported on payment of normal duty, the duty drawback on such item shall be admissible only after the duty free licence is appropriately modified by the Licensing Authority to delete that item from the Licence.

71. Penalty.—If a holder of a duty free licence under the scheme violates any condition of the licence or fails to fulfil the export obligation, he shall be liable to action in accordance with the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, Orders/Rules made under the said Act, Export and Import Policy, Handbook of Procedures and other laws in force.

72. Scheme for Advance Licence for Gold and Silver Jewellery and Articles.—A quantity based Advanced Licence for Gold and Silver jewellery and articles is granted for the duty free import of

(i) Gold, mountings, sockets, frames and findings of 18 carats and below; and

(ii) Silver, mountings, sockets, frames and findings.

73. The scheme shall, however, be limited to exports which are supported by an irrevocable letter of credit, documents against acceptance, and/or payment of cash-on delivery basis. Imports may be made only through specified ports as notified by the Customs authorities.

74. Exports shall be made only against prior imports. The export obligation will begin from the date of import of the first consignment and will be required to be fulfilled within 120 days from the said date.

75. The value addition shall be calculated on the basis of the price at which the gold content (including wastages) and silver content (without wastages) are imported. The CIF value of mountings, findings etc. shall also be taken into account and their import/export shall be on net-to-net basis. The minimum value addition for gold and silver jewellery/articles shall be 15 per cent and 25 per cent respectively.

76. Gold wastages or manufacturing loss, as indicated in paragraph 147 of the Handbook of Procedures may be allowed. On gold mountings, findings etc., a wastage of 3 per cent of the gold content by weight may be allowed. If the FOB value of the exports is more than the prescribed export obligation, a Gem Replenishment Licence may be issued on the excess value in accordance with the formula prescribed in paragraph 149 of the Handbook of Procedures.

77. Value Addition.—The value addition for the purposes of this Chapter, other than the Scheme referred to in Para 72, shall be:—

$$VA = \frac{A-B}{B} \times 100, \text{ where}$$

VA is Value Addition

A is the FO realised by the export of the product covered by the licence; and

B is the CIF value of the imported inputs covered by the licence.

CHAPTER VIII

DIAMOND GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION SCHEMES

78. Schemes for Gems and Jewellery.— Exporters of Gems and Jewellery may import their inputs by obtaining Replenishment Licences and Diamond/DTC Imprest Licences from the competent authority in accordance with the procedures specified in this behalf

79. Replenishment Licences.—The exporters of Gems and Jewellery products listed in Appendix I shall be eligible for grant of Replenishment Licences at the rate and for the items mentioned in the said Appendix to import and replenish their inputs. Such licences will be transferable. The exports made in fulfilment of export obligation against Diamond/DTC Imprest Licences shall not qualify for this benefit.

80 Diamond and DTC Imprest Licences—Diamond and DTC Licences may be issued, in advance, for import of rough diamonds and for export of cut and polished diamonds These licences are non-transferable The imported goods may, however, be transferred to another person for processing but the responsibility to fulfil the export obligation shall be of the licensee These licences shall carry an export obligation fixed in the inverse ratio of 65 per cent of replenishment i.e., if the licence is issued for a CIF value of US $65 the FOB value of export obligation shall be US $100 At the time of redemption, the actual entitlement of the licensee may be recalculated with reference to the replenishment rates admissible for the corresponding export products in the said Appendix Due to such recalculation, if the licensee's entitlement comes to more than US $ 65 (as in the above mentioned example) the licensing authority shall issue a Replenishment Licence for a value equivalent to whatever is in excess of US $ 65 for import of rough diamonds

81 An exporter may apply for a licence

(a) against a valid export contract in his own name if he has less than 3 years past export performance in cut and polished diamonds, or

(b) against the best years export performance during the preceding 3 licensing years plus 25% thereof if he has a minimum of 3 years export performance

82 Export Obligation—The export obligation shall be fulfilled within seven months from the date of clearance of the first consignment through Customs

83 DTC Imprest Licences—A regular DTC sight holder may be allowed annual DTC Licence equal to one and one-half time the consolidated value of all the DTC sights received by him (excluding the sights cleared against a Replenishment Licence) in the preceding licensing year Commission/brokerage charges upto one and one half per cent may be added provided there is a corresponding increase in the export obligation The new sight holders may also apply for licences on monthly basis on allotment of sight from DTC London These licences will be valid for import from DTC London only The export obligation shall be completed within 120 days from the date of import of the first consignment and in accordance with the endorsement for each sight made on the licence

84 Bulk Licences for Rough Diamonds—Bulk licences for rough diamonds may be issued to M/s Hindustan Diamond Company Ltd (HDCL) Bombay and Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) Ltd, New Delhi or any other exporter whose annual average export of cut and polished diamonds during the preceding three licensing years has been not less than Rs 10 crores and who fulfils such other conditions as may be specified by the Director General of Foreign Trade in this behalf

85 Re-Export An exporter on re-exporting rough diamonds shall be eligible for import replenishment @ 100% of the CIF value minus foreign exchange cost of such re-export including commission In case of imports from DTC, London and from mines (in run-of the mine condition) re-export upto 5% and 10 per cent respectively of the value of rough diamonds may be allowed For imports made from any other source re-export shall not exceed 5% of the value of rough diamonds imported but this facility shall not be applicable to imports by bulk licence holders

86 Schemes for Gold Silver and Platinum Jewellery—Exporters of gold and silver jewellery may import their essential inputs such as gold silver, mountings, findings rough semi precious and semi precious synthetic stones and unprocessed pearls etc through import licences granted by the licensing authorities in accordance with the procedure specified in this behalf

Similarly exporters of platinum jewellery under Schemes C and E may import platinum and the aforesaid items in accordance with the procedure specified in this behalf

87 Gold Silver Platinum content—The following items if exported would be eligible for the facilities under these schemes :—

(a) Gold jewellery and articles (other than coins), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above ,

(b) Silver jewellery and articles (excluding coins and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight , and

(c) Platinum jewellery and articles (excluding coins and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight

Schemes.—Gold/silver jewellery and articles may be exported under the following schemes .

A Scheme for export of Gold/Silver jewellery and articles against Gold Silver supplied by the foreign buyer .

Under this scheme, the foreign buyer may supply, in advance, gold or silver, free of charge, for manufacture and ultimate export of gold or silver jewellery and articles thereof He may also similarly supply alloys, findings and mountings of silver and gold of 18 carats and below The export order should provide for —

(i) supply of gold and silver free of charge to the extent of quantity of gold and silver required after allowing wastages, and

(ii) payment of manufacturing and other costs by means of irrevocable letter of credit or payment of cash on delivery or advance payment in foreign exchange Gold jewellery may also be exported on collection basis (documents against acceptance) The export order should relate to a single buyer overseas This scheme for export of gold/silver jewellery and articles will apply to export orders received by the Handicrafts and Handlooms Export Corporation (HHEC) or any other public sector agency nominated by the Ministry of Commerce, Government of India The exports may be made by the nominated agency directly or through its associates Exports will be allowed only by air freight and through Custom Houses at Bombay Calcutta, Madras, New Delhi Jaipur Bangalore and Kochi

The value addition may be calculated with reference to the value of gold content (including wastages) and silver content (without wastages) at the price of gold and silver announced by HHEC at the beginning of each month For mountings, findings etc, the value addition shall be based on the CIF price of imports as determined by the nominated agency The minimum value addition for gold and silver jewellery/articles is 15% and 25 per cent respectively The import and export of mountings and findings etc shall be on net to net basis

B Scheme for export of Gold/Silver jewellery and articles for sale at approved exhibitions.

Export made by Handicrafts & Handlooms Export Corporation (HHEC) State Trading Corporation (STC) /India Trade Promotion Organisation (ITPO)/Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) and their associates are covered under this scheme These organisations shall function as nominated agencies Any other person may also be allowed to export under this scheme if approved by the Ministry of Commerce Exports shall be made on consignment basis for holding exhibitions and shall be subject to the condition that

(i) the items which are not sold abroad shall be imported within 45 days of the close of the exhibition , and

(ii) for items sold abroad the gold and silver content shall be imported as replenishment not later than 60 days of the close of the exhibition The nominated agency shall execute a bond to this effect with the Customs before export is allowed In respect of exhibitions organised by others bonds or bank guarantees shall be executed by the organisers as required under the rules of the RBI or the Customs authorities After the close of the exhibition, for the purpose of replenishment booking shall be made by the exporter with the assistance of the State Bank of India (SBI) or their agents at the place

where the exhibition is held before the close of the exhibition or with the authorised SBI branches in India within 50 days of the close of the exhibition.

The value addition shall be calculated on the basis of price of gold content (including wastages) and silver content (without wastages) at which replenishment may be allowed or at the price on which the export invoice was made, whichever is higher. The exporter while preparing the export invoice may use the monthly notional price of gold/silver notified by IIIEC. The minimum value addition for gold and silver jewellery/articles is 15% and 25 per cent respectively. On presentation of required documents, appropriate Release Order and Gem Replenishment Licence may be issued by the licensing authority.

C. Gold/Silver and Platinum jewellery and articles Export Promotion and Replenishment Scheme :

Against export of gold/silver jewellery and articles, the scheme provides for replenishment of gold/silver through the designated branches of SBI or any other agency nominated by the Ministry of Commerce, at a price indicated in the certificate issued by the SBI/agency after purchase of gold/silver. The scheme shall be limited to exports which are supported by irrevocable letter of credit, payment of cash on delivery basis or advance payment in foreign exchange. Export of gold jewellery and silver jewellery may also be allowed on collection basis (documents against acceptance). The exporter has the option to obtain gold/silver from SBI in advance. On presentation of required documents, appropriate Release Order and Gem Replenishment Licence may be issued by the licensing authority.

The value addition will be calculated with reference to the value of gold content (including wastages) and silver content (without wastages) at the price at which the gold and silver is booked by SBI. The minimum value addition for gold and silver jewellery/article shall be 15 per cent and 25 per cent respectively.

The aforesaid policy of export and replenishment of gold jewellery and articles shall apply mutatis-mutandis to export of platinum jewellery and articles except that MMTC alone shall import and service platinum to the exporters. For this purpose, the MMTC shall import platinum of 0.9999 fineness.

D. Scheme for advance licence for gold and silver jewellery and articles:

The provisions of the Advance Licence Scheme contained in paragraph 72 of Chapter VII shall apply to export of gold and silver jewellery and articles thereof.

E. Scheme for export of gold/silver and platinum jewellery and articles from Export Processing Zones (EPZs) and from Export Oriented Unit (EOU) complexes :

The Export Oriented Units are governed by the general provisions of the EOUs Scheme and the units set up in Export Processing Zones are governed by the general provisions of the EPZ Scheme except that

(i) nothing including rejects shall be permitted to be sold in the Domestic Tariff Area (DTA); and

(ii) in the event of an unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gems and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce at the price to be determined by that agency.

These units may import raw materials, alloys, carat gold, coloured gold, precious metals including silver, platinum and palladium, findings, mountings, sockets and frames made of gold and other precious metals. These units may also import diamonds, coloured gems and stones, semi-precious stones, synthetic stones, pearls etc. In addition, gold of 0.995 fineness may also be made available to these units through SBI or any other agency nominated by the Ministry of Commerce. The units may apply through the Development Commissioner of the EPZ or the sponsoring authority of the EOU complex for supply of 0.995 fineness gold. These units may be allowed to import capital goods, prototypes, technical samples, consumables, spares and packaging materials in accordance with the procedures applicable to the BOUs Scheme and EPZ Scheme. However, gold of 0.999 fineness shall not be allowed to be imported except through the SBI.

The value addition may be calculated on the price at which gold content (including wastages), whether it be gold of 0.995 fineness or of any other purity, is imported. Similar procedure shall be applicable for imported silver (without wastages). For export of plain and studded gold jewellery including articles, the minimum value addition shall be 10 per cent and 15 per cent respectively. For silver plain/studded jewellery and articles the minimum value addition shall be 25 per cent. An exporter shall also be required to achieve an additional value addition of 5 per cent over the value of cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones, pearls and synthetic stones used as studdings. CIF value of mountings, findings, etc. may also be taken into account for value addition and their import/export shall be on net to net basis.

In case of units exporting loose cut and polished diamonds and precious/semi-precious stones the minimum value addition required to be achieved shall be calculated on the basis of corresponding replenishment rates available to such exports from DTA. Apart from gold and silver jewellery and articles, jewellery and articles from other precious metals may also be manufactured and exported from the aforesaid EOU complexes/EPZs. The value addition and other requirements in respect of palladium etc., shall be specified through a Public Notice by the Director General of Foreign Trade.

Jewellery samples allowed to be imported may be re-exported after proper identification.

Scrap/sweepings of gold may be sent to the Government of India Mint from the units in the EPZ and returned to the EPZ in standard gold bars in accordance with the procedure prescribed by the Customs authorities.

Re-export of rough diamonds may showed by the Development Commissioner of the EPZ/EOU Complex concerned upto 5 per cent of the value of imported rough diamonds in accordance with Pargarph 85 of this Chapter.

Units in the EPZ/EOU Complex may participate in Government approved exhibitions. No sale shall be permitted in exhibitions held in the country. The procedure for movement of the jewellery from these zones/complexes and back shall be prescribed by the Customs authorities.

Partly processed jewellery may also be exported subject to realisation of the prescribed minimum value addition.

The MMTC may also supply gold, gold intermediates and components including gold alloys, carat gold, findings, excepting gold of 0.999 fineness, to the approved gold jewellery manufacturing exporting units set up under this scheme in accordance with the procedure specified from time to time.

The MMTC/SBI may also supply silver of 0.999 fineness or 0.995 fineness to the approved silver jewellery manufacturing exporting units set up under this scheme in accordance with the procedure as may be specified from time to time.

The aforesaid policy of export and replenishment of gold jewellery and articles shall apply mutatis-mutandis to export of platinum jewellery and articles except that MMTC alone shall import and service platinum to the exporters. For this purpose, the MMTC shall import platinum of 0.9999 fineness.

F. Scheme for import of gold of above 18 carats directly by units situated in DTA under replenishment:

Against exports of plain gold jewellery where export proceeds have been fully realised in foreign exchange, the licensing authority may issue a non-transferable Replenishment Licence @ 87 per cent of the FOB value of exports for direct import of :

(i) gold of 0.995 fineness;

(ii) gold findings/mountings/solders upto 0.920 fineness upto 10 per cent of the value of the licence which shall, however, be within the overall value of the licence; and

(iii) rough diamonds, rough coloured gen-stones and real or cultured pearls undrilled/unset for the residual value.

Against exports of studded gold jewellery where export proceeds have been fully realised in foreign exchange, the licensing authority may issue a non-transferable Replenishment Licence @ 80 per cent of the FOB value of exports for the direct import of :

(i) gold of 0.995 fineness, the value of which shall be determined by taking into account the quantity of pure gold (0.999 fineness) used in the gold studded jewellery exported, as certified by the Customs authorities, multiplied by the international price of pure gold (0.999 fineness) on the date of export, as certified by the designated branches of SBI, plus 20 per cent of the residual replenishment value of studdings;

(ii) gold findings/mountings/solders upto 0.920 fineness upto 10 per cent of the value of the licence and within the overall value of the licence; and

(iii) rough diamonds, rough coloured gen-stones and real or cultured pearls undrilled/unset for the residual value.

Notwithstanding the above provisions, after exports of plain gold jewellery and without waiting for realisation of sale proceeds in free foreign exchange the licensing authority may issue a non-transferable Replenishment licence for a value equivalent to 87 per cent of the notional FOB value of exports declared by the exporter. For this purpose the exporter shall submit applicataion for issue of the licence alongwith the following documents :

(i) customs attested invoice;

(ii) customs authenticated shipping bill; and

(iii) a declaration about the notional FOB of exports.

After full realisation of sale proceeds in free foreign exchange, the exporter shall apply for issue of residual non-transferable Replenishment Licence, if any, along with the Bank certificate of realisation. If due, a licence for the excess entitlement shall be issued. Otherwise, the value of the licence already issued shall be adjusted against the exports in question. In case the adjustment is not complete, the balance value shall be adjusted from his future entitlement.

The Replenishment Licence shall be valid for a period of 8 months from the date of its issue.

G. Scheme for import of gold of above 18 carats on pre-export basis for export production by units situated in DTA under Gold Imprest Licence :

An exporter with an annual average export performance of plain and studded gold jewellery of Rs. 3 crores and above during the preceding three licensing years will be eligible for Gold Imprest Licence against valid export contract in his own name. The licence may be issued for a value equivalent to his best year's performance during the said three years plus 25 per cent thereon. Within his overall entitlement an exporter may apply for a Gold Imprest Licence separately for export of plain and for export of studded gold jewellery. The licence shall be subject to the following conditions :

(i) Export obligation in the manner indicated below;

(ii) The licence shall be in terms of value and shall be valid for import of gold of 0.995 fineness;

(iii) The licence shall be non-transferable;

(iv) Exports shall be made after importing gold against the licence; and

(v) The licence shall be valid for six months from the date of its issue.

The Gold Imprest Licence issued for export of plain gold jewellery shall carry an export obligation in inverse ratio of 87 per cent i.e. if the Gold Imprest Licence is issued for a CIF value of US $ 87, the export obligation shall be US $ 100. The export obligation on studded gold jewellery shall be fixed in the inverse ratio of 80 per cent, i.e., if the Gold Imprest Licence is issued for a CIF value of US $ 80, the export obligation shall be US $ 100. The export obligation shall be completed within 120 days from the date of clearance of each consignment of gold and the exporter shall not claim any benefit of replenishment on these exports under any other scheme except to the extent that he has exceeded the export obligation.

89. Other Provisions.—An exporter may pay agency commission upto 3 per cent of the FOB value of exports except in Schemes 88(F) and 88(G) above. Wherever agency commission is paid, the minimum value addition shall be correspondingly increased by the percentage of the agency commission.

90. Under the Schemes mentioned in Paragraph 88(A) to (E) above, Gold wastages or manufacturing loss shall be admissible as specified in the Handbook of Procedures.

91. Gem Replenishment Licences may be issued under the schemes mentioned in Paragraphs 88(A) to (C) above on export of plain gold/silver jewellery in cases where an exporter achieves the minimum prescribed value addition. The value of such licence shall be determined with reference to the realisation in excess of the minimum value addition. Exporters of studded gold/silver jewellery and articles may be entitled to Gem Replenishment Licence taking into account the value of studdings used in the items exported, after accounting for the value addition on gold including wastages. For the purpose of licensing, the studdings will be divided into four categories, namely,

(a) diamonds.

(b) precious stones,

(c) Semi-precious and synthetic stones and cubic zirconia and

(d) pearls.

The scale of replenishment will be as contained in the Handbook of Procedures. These licences shall be valid for import of rough diamonds, precious stones, semiprecious and synthetic stones and pearls. Besides, the licence shall also be valid for import of empty jewellery boxes upto 1 per cent of the value of the licence. These licences shall be freely transferable.

92. Invoice.—Under all the schemes, imports and exports shall be invoiced in US dollars

CHAPTER IX

EXPORT ORIENTED UNITS AND UNITS IN EXPORT PROCESSING ZONES

93. Eligibility.—Units undertaking to export their entire production of goods (except the sales in the Domestic Tariff Area (DTA) as may be permissible under the Policy) may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme or Export Processing Zone (EPZ) Scheme. Such units may be engaged in manufacture, production of software, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry and sericulture. Units engaged in service activities may also be considered on merits.

94. Importability of goods.—An EOU/EPZ unit may import free of duty all types of goods, including capital goods, required by it for manufacture, production of processing provided they are not prohibited items in the Negative List of Imports.

95. Second hand Capital goods.—Second-hand capital goods may also be imported in accordance with the provisions contained in Chapter V.

96. Leasing of Capital goods.—An EOU/EPZ unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic leasing company. In such a case, the domestic leasing company will be eligible to import the capital goods free of duty and supply it to the EOU/EPZ units on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the two parties. The capital goods shall, however, remain as a part of the capital assets of the EOU/EPZ unit till the export obligation is discharged by the unit and they shall not be diverted for any other use.

97. Value Addition and Export Obligation.—The unit shall achieve a minimum Value Addition (VA) of 20 per cent but units engaged in the manufacture or production of items specified in Appendix II shall achieve the Value Addition (VA) norms indicated therein. Items of manufacture for export specified in the letter of permission/letter of intent alone shall be taken into account for calculation of value addition and discharge of export obligation.

98. Legal Undertaking.—The unit shall execute a bond/legal undertaking with the Development Commissioner concerned and in the event of failure to fulfil the obligations stipulated in the letter of approval/intent, it would be liable to penalty in terms of the bond/legal undertaking or under any other law for the time being in force.

99. Minimum Export Price (MEP).—If the export of any good from the Domestic Tariff Area (DTA) is subject to Minimum Export Price (MEP) under the Policy, the export of that good by a EOU/EPZ unit also will be subject to the same MEP.

100. Automatic Approvals.—Project applications satisfying the conditions mentioned in para 3 of Ministry of Industry Press Note No. 13 (1991 series) may be given automatic approval within 15 days by the Development Commissioner of the EPZ concerned. In the case of EOUs, such approval shall be granted by the Secretariat of Industrial Approvals (SIA).

101. Other cases.—In other cases, approval may be granted by the Board(s) of Approval set up for this purpose or Secretariat of Industrial Approvals, as the case may be.

102. DTA Sales.—The entire production of EOU/EPZ Units shall be exported except :

(a) Rejects upto 5 per cent or such percentage as may be fixed by the Board of Approval. Rejects may be sold in the Domestic Tariff Area (DTA), subject to payment of the applicable duties ; and

(b) 25 per cent of the production in value terms may be sold in the DTA. DTA sale shall be subject to fulfilment of minimum value addition and export obligation. No DTA sale shall be permissible in respect of jewellery, diamonds, precious and semi-precious stones/gems, motor cars, alcoholic liquors, silver bullion and such other items as may be stipulated by Director General of Foreign Trade by a Public Notice issued in this behalf.

However, in respect of an EOU/EPZ unit in agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry and sericulture, the unit is free to sell upto 50 per cent of the production in value terms in the DTA subject to fulfilment of minimum value addition and export obligation.

103. Export Obligation.—The following supplies shall be counted towards fulfilment of the export obligation :

(a) Supplies effected in DTA under global tender conditions ;

(b) Supplies effected in DTA against payment in foreign exchange ;

(c) Supplies against Advance Licences and other import licences ;

(d) Supplies, with the permission of the Development Commissioner, to other EOUs/EPZ units.

104. Exports through Export House/Trading House/Star Trading House.—An EOU/EPZ unit may export goods manufactured by it through an Export House/Trading House/Star Trading House recognised under this Policy or other EOU/EPZ units. This permission extends only to the marketing of the goods by the Export House/Trading House/Star Trading House or other EOU/EPZ units. The manufacture of the goods shall be done in the EOU/EPZ units. The value addition and export obligations as well as any other obligation relating to the imports and exports shall continue to be discharged by the EOU/EPZ unit.

105. The Development Commissioner may also permit

(a) Supplies or sale, in reasonable quantities, of samples of goods produced by EOU/EPZ units for display or canvassing orders on payment of duties leviable. Such samples may also be allowed to be removed from the unit on furnishing a suitable undertaking for return of such goods.

(b) Bringing back for repair/replacement goods sold in DTA but found defective. Such goods may be removed from the unit subject to the satisfaction of the Customs authorities as to the identity of the goods.

(c) Transfer of goods to DTA for repair, testing or calibration, provided that in the case of an EOU unit this permission may be granted by the Customs authorities.

106. Benefits for supplies from the DTA.—Supplies from the DTA to EOU/EPZ units will be regarded as "deemed exports" and, besides being eligible for the benefits under paragraph 122 of this Policy, will be eligible for the following benefits :

(a) Refund of Central Sales Tax ;

(b) Exemption from payment of Central Excise Duty on capital goods, components and raw materials ; and

(c) Discharge of export obligation, if any on the supplier.

107. Conditions.—The benefits stated under paragraph 106 shall be available provided the goods supplied are manufactured in the country.

108. Benefits for EPZ/EOU Units.—Concessional Rent : The units set up in the EPZs will be eligible for concessional rent for lease of industrial plots and standard design factory (SDF) buildings/sheds allotted for the first three years at the following rates :

For Plots : The concession will be 75 per cent for the first year, 50 per cent for the second year and 25 per cent for the third year if production had commenced in the first year or the second year. The concession will not be available for the third year if production had not commenced by the end of the second year :

For SDF buildings/sheds : The concession will be 50 per cent for the first year and 40 per cent for the second year if production had commenced in the first year. The concession will be 25 per cent for the third year if production had commenced in the first year. The concession will not be available if production had not commenced by the end of the first year.

Tax Holiday : EOUs and EPZ units will be exempted from payment of corporate income tax for a block of five years in the first eight years of operation :

FOB value of export of an EOU/EPZ unit can be clubbed with FOB value of export of its parent company in the DTA for the purpose of according Export House, Trading House or Star Trading House status for the latter :

100 per cent Foreign Equity : Foreign equity upto 100 per cent is permissible in the case of EOUs and EPZ units.

109. Inter-unit transfer.—Transfer of manufactured goods may be permitted by the Development Commissioner from one EPZ unit to another EPZ unit, one EPZ unit to a EOU, one EOU to an EPZ unit or from one EOU to another EOU.

110. Goods imported by an EOU/EPZ unit may be transferred or given on loan to another EOU/EPZ unit with the permission of the Development Commissioner.

111. Subcontracting.—The EOU/EPZ units may be permitted to sub-contract part of their production for job work to units in the DTA on a case to case basis. Requests in this regard will be considered by the concerned Customs authorities on the basis of factors such as feasibility of bonding,

fixation of input and output norms, and furnishing of undertakings/bonds by the concerned units.

112. Sale of Imported Materials.—In case an EOU/EPZ unit is unable, for valid reasons, to utilise the imported goods, it may re-exported them with the permission of the Development Commissioner, subject to clearance from Customs with reference to valuation etc. Such goods may also be transferred to an Actual User in the DTA with the permission of the Development Commissioner on payment of applicable duties.

113. Imported machinery/capital goods that have become obsolete may be disposed of, subject to payment of customs duties on the depreciated value thereof.

114. Disposal of crap.—The Development Commissioner may, subject to guidelines laid down by the BOA in this behalf, permit sale or their disposal in any other manner in the DTA of scrap/waste/remnants arising out of production process on payment of applicable duties and taxes. Percentage of such scrap/waste/remnants shall be fixed by the Board keeping in view the norms specified by a Public Notice issued in this behalf by the Director General of Foreign Trade.

115. Private bonded Warehouses.—Private bonded warehouses may be permitted to be set up in EPZs for stock and sale of duty-free raw materials, components etc. to EOUs and EPZ units subject to the following conditions :

(a) The private bonded warehouses shall be located within the EPZ ;

(b) Imports for such private bonded warehouses shall be made only against specific licences. No licence shall be given to import items which are not required by the consuming units ; and

(c) The items imported by the private bonded warehouses shall not be permitted to be sold in the DTA.

116. Period of Bonding.—The bonding period for units under the EOU Scheme shall be 10 years. The period may be reduced to 5 years by the BOA in case of products liable to rapid technological change. On completion of the bonding period, it shall be open to the unit to continue under the scheme or opt out of the scheme. Such debonding shall, however, be subject to the industrial policy in force at the time the option is exercised.

117. De-Bonding.—Subject to the approval of BOA, EOU/EPZ units may be debonded on their inability to achieve export obligation, value addition or other requirements. Such debonding shall be subject to such penalty as may be imposed and levy of the following duties :

(a) Customs duty on capital goods at depreciated value but at rates prevalent on the dates of import ;

(b) Customs duty on unused raw materials and components on the value on the dates of import and at rates in force on the dates of clearance.

118. Conversion. Existing DTA units may also apply for conversion into an EOU but no concession in duties and taxes would be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed.

119. Value addition.—Value Addition for the purposes of this chapter shall be expressed as a percentage and shall be calculated for a period of five years from the commencement of commercial production according to the following formula :

$$VA = \frac{A-B}{A} \times 100, \text{ where}$$

VA is Value addition;

A is the FOB value of exports realised by the EOU/EPZ unit ; and

B. is the sum total of the CIF value of all imported inputs, the CIF value of all imported capital goods and the value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees, dividends interest on external borrowings during the first five years period or any other charges. "Inputs" mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

Note : 1. If any input is obtained from another EOU/EPZ unit, the value of such inputs shall be included under B.

2. If any capital goods imported duty free is leased from a domestic leasing company, the CIF value of the capital goods shall be included under B.

3 In the case of projects where the investment in land, building, plant and machinery exceeds Rs. 200 Crores, the value of capital goods shall be amortised over a period of seven years ; i.e. in such cases, only 5/7th of the CIF value of the imported capital goods shall be included under B.

CHAPTER X

DEEMED EXPORTS

120. Definition.—"Deemed Exports" means those transactions in which the goods and services supplied do not leave the country and the payment for the goods is received by the supplier in Indian rupees, but the supplies earn or save foreign exchange for the country.

121. Categories of supply.—The following categories of supply of goods by the main/subcontractors shall be regarded as "Deemed Exports" under this Policy, provided the goods are manufactured in India and the payments is received in Indian rupees :

(a) Supply of goods against licences issued under the Duty Exemption Scheme;

(b) Supply of goods in India to foreign ships and foreign airlines;

(c) Supply of goods to units located in Export Processing Zones (EPZs) or Export Oriented Units (EOUs);

(d) Supply of capital goods, components, parts, raw materials, consumables, instruments, accessories, tools and spares to Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Oil India Ltd. (OIL), and Gas Authority of India Ltd. (GAIL), for their off-shore and on-shore exploration, drilling and production operations;

(e) Supply of goods and services to projects financed by the following multilateral or bilateral agencies/Funds or any other agency/Fund as may be notified by the Central Government, under international competitive bidding or under limited tender system in accordance with the procedures of those agencies/Funds :

1. Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development
2. Asian Development Bank (ADB)
3. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD/IDA)
4. International Fund for Agricultural Development (IFAD)
5. Kreditansdalt fur Wiederaufbau (KFW)
6. Kuwaiti Fund for Arab Economic Development
7. Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Fund
8. Saudi Fund for Development (SFD)
9. United States Agency for International Development (USAID)
10. Yen credit channelised through Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)

11. Exim Bank of Japan

12. International Finance Corporation (IFC)

13. Canadian International Development Agency (CIDA)

14. Overseas Development Agency (ODA);

(f) Supply of capital goods to fertiliser plants if the supply is made under the procedure of international competitive bidding;

(g) Supply of goods and services to projects under international competitive bidding (ICB) or similar procedures, where the ICB or similar procedures have been authorised by the Central Government.

(h) Supply of goods to any project funded partly or wholly by a foreign government or agency as may be notified by the Central Government.

122. Benefits for deemed exports.—Deemed exports shall be eligible for the following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports :

(a) Duty Exemption Scheme under Chapter VII.

(b) Duty Drawback Scheme

(c) Refund of terminal Excise duty

CHAPTER XI

EXPORTS

123. *Free Exports.—All goods may be exported without* any restriction except to the extent such exports are regulated by the Negative List of Exports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.

The Director General of Foreign Trade may, however, specify through a Public Notice the terms and conditions according to which any goods not included in the Negative List of Exports may be exported without a licence. Such terms and conditions may include Minimum Export Price (MEP), registration with specified authorities, value addition, quantitative ceilings and compliance with other laws, rules, regulations.

124 Registration Cum Membership Certificate (RCMC).—Any person applying for (i) a licence to export or (ii) any other benefit or (iii) concession under this Policy shall be required to furnish his Registration cum Membership Certificate (RCMC) number granted to him by any Export Promotion Council (EPC) of which he is a member.

125. Deleted.

126. Denomination of contracts.—All exports contracts and invoices shall be denominated in freely convertible currency Contracts for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU) may be denominated in the currency of the country of the exporter or importer or in any freely convertible currency. The Central Government may relax the povisions of this paragraph in appropriate cases.

127. Deleted.

128. Re-exports.—Goods imported in accordance with this Policy on payment of freely convertible currency may be re-exported in the same or substantially the same form, without a licence if the payment for such re-export is also received in freely convertible currency subject to (a) the item is not in the Negative List; (b) there is a minimum value addition of 5%; and (c) no duty concesson has been availed of.

129. Export of Personal Baggage.—Bonafide personal baggage of Indian passengers may be exported either along with the passenger or, if unaccompanied, within one year before or after the passenger's departure from India Items included in the Negative List of Exports shall require a licence, except in the case of edible items.

130. Ship Stores.—Seamen engaged in ships and bonafide passengers may take as ship stores, without a licence, any goods included in the Negative List of Exports, except the prohibited items, in accordance with such scale as may be notified in this behalf by the Ministry of Surface Transport, Government of India.

131. Export of gifts.—No goods of value exceeding Rs. 3000/- may be exported as a gift Items included in the Negative List of Exports shall not be exported as a gift, without a licence, except in the case of edible items not exceeding a value of Rs. 3000/-.

132. Export of spares.—Warranty spares, indigenous or imported, of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods may be exported upto 2% of the FOB value of the exports of such goods alongwith the main equipment or subsequently. Export of spares exceeding 2% of the FOB value may be permitted against a licence.

133. Transit Facility.—Transit of goods through India from or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with the treaty between India and those countries.

134. Deleted.

CHAPTER XII

EXPORT HOUSES, TRADING HOUSES AND STAR TRADING HOUSES

135. Definition.—Merchant and manufacturer exporters and trading companies including those having foreign equity, Export Oriented Units (EOUs) and units located in Export Processing Zones (EPZs) have been recognised as Export Houses, Trading Houses or Star Trading Houses under criterela which were laid down from time to time. All such Export Houses, Trading Houses and Star Trading Houses shall continue to enjoy the status accorded to them for the period for which such status was accorded.

136. Criterion for renewal.—However, when an Export House, Trading House or Star Trading House applies afresh at the expiry of the aforesaid period for recognition as Export House, Trading House or Star Trading House, as the case may be, it shall satisfy the criterion laid down hereinafter for grant of such recognition

137. Criterion for recognition.—With effect from 1st April, *the criterelon for recognition as Export House, Trading House* or Star Trading House shall be the average FOB value of physical exports during the three preceding licensing years or the FOB value of physical exports during the preceding licensing year, whichever is satisfied, as follows :

Category	Average FOB value of physical exports during the preceding three licensing years	FOB value of physical exports during the preceding licensing year
Export Houses	Rs. 10 crores	Rs. 15 crores
Trading Houses	Rs. 50 crores	Rs. 75 crores
Star Trading Houses	Rs. 250 crores	Rs. 300 crores

138. For the purpose of the above criterion, the physical export of the products covered under Chapter VIII of the Policy shall be counted at 20 per cent of the actual FOB value of exports.

139. Extra weightage.—Double weightage shall be given to physical export of products manufactured by Small Scale Industries (SSI), handloom and handicrafts including sports goods, hand-knotted carpets and silk products.

140. FOB value of exports made by a subsidiary company of the exporter, whether in Domestic Tariff Area or situated in Exported Processing Zone or as an Export Oriented Unit, shall be counted towards export performance of the parent company for the purpose of eligibility.

141. Validity period.—Export House/Trading House/Star Trading House Certificates shall be valid for a period of three years starting from 1st April of the licensing year during which the application is made for the grant of recognition unless otherwise specified.

142. Benefits.—Export Houses/Trading Houses/Star Trading Houses shall be entitled to such benefits as may be specified under a scheme to be notified in this behalf.

CHAPTER XIII

EXPORT PROMOTION COUNCILS

143. EPCs (a) At present, there are 19 Export Promotion Councils (EPCs) whose basic objective is to promote and develop the exports of the country. Each Council is responsible for the promotion of a particular group of products projects and services The EPCs are listed below :

(i) Engineering Export Promotion Council (EEPC), Calcutta.

(ii) Overseas Construction Council of India (OCCI), Bombay.

(iii) Electronics and Computer Software Export Promotion Council, New Delhi.

(iv) Plastics & Linoleums Export Promotion Council (PLEXCIL), Bombay.

(v) Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Bombay.

(vi) Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXCIL), Calcutta.

(vii) Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Bombay.

(viii) Council for Leather Exports (CLE), Madras

(ix) Sports Goods Export Promotion Council (SGEPC) New Delhi.

(x) Cashew Export Promotion Council, Kochi.

(xi) Shellac Export Promotion Council, Calcutta.

(xii) Apparel Export Promotion Council (AEPC), New Delhi.

(xiii) Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Bombay.

(xiv) Indian Silk Export Promotion Council, Bombay.

(xv) Carpet Export Promotion Council, New Delhi.

(xvi) Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi.

(xvii) Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi.

(xviii) Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Bombay.

(xix) Handloom Export Promotion Council (HEPC), Madras.

(b) For the purpose of this Chapter, the following agencies shall be regarded as an Export Promotion Council :—

(i) Federation of Indian Export Organisation (FIEO).

(ii) Spices Board.

(iii) Tobacco Board.

(iv) Agricultural & Processed Food Export Development Authority (APEDA).

(v) Rubber Board.

(vi) Coffee Board.

(vii) Tea Board.

(viii) Marine Products Export Development Authority (MPEDA).

144. Non-profit organisations :—The EPCs are non-profit organisations registered under the Companies Act or the Societies Registration Act, as the case may be. They are supported by financial assistance from the Central Government.

145. Role :—The main role of the EPCs is to project India's image abroad as a reliable supplier of high quality goods and services. In particular, the EPCs shall encourage and monitor the observance of international standards and specifications by exporters. The EPCs shall keep abreast of the trends and opportunities in international markets for goods and services and assist their members in taking advantage of such opportunities in order to expand and diversity exports.

146. Functions :—The major functions of the EPCs are as follows :—

(a) To provide commercially useful information and assistance to their members in developing and increasing their exports ;

(b) To offer professional advice to their members in areas such as technology upgradation, quality and design improvement, standards and specifications, product development, innovation, etc. ;

(c) To organise visits of delegations of its members abroad to explore overseas market opportunities;

(d) To organise participation in trade fairs, exhibitions and buyer-seller meets in India and abroad ;

(e) To promote interaction between the exporting community and the Government both at the Central and State levels ; and

(f) To build a statistical base and provide data on the exports and imports of the country, exports and imports of their members, as well as other relevant international trade data.

147. Membership :—Any exporter may apply to become a member of an EPC and such application shall be considered and disposed of within one month thereof in accordance with the rules and regulations of the EPC. On being admitted to membership, the applicant shall be granted forthwith a Registration-cum-Membership Certificate (RCMC).

148. Professional bodies :—In order to play their part in the promotion of exports, it is important that the EPCs function as professional bodies. For this purpose, executives with a professional background and experience in industry, commerce and international marketing should be brought into the EPCs.

149. Autonomy :—The EPCs would be autonomous and shall regulate their own affairs. They would not be required to obtain the approval of the Central Government for sending sales teams or delegations abroad for participation in fairs/exhibitions etc. The Central Government would only approve the annual plans and budget of the EPCs and monitor and evaluate their performance. The Ministry of Commerce/Ministry of Textiles/Dept. of Electronics would interact with the Managing Committee of the Council concerned, twice a year, once for approving the annual plan and budget and again for a mid-year review.

150. Conditions for support :—The support given to the EPCs by the Government monetary or otherwise, would depend upon :—

(a) effective discharge of functions assigned to them ,

(b) democratisation of the membership of the EPCs ;

(c) democratic elections of office bearers of the EPCs being held regularly ; and

(d) timely audit of the accounts of the EPCs.

CHAPTER XIV

QUALITY

151. Quality awareness campaign :—It is the policy of the Central Government to encourage the manufacturers and exporters to attain internationally accepted standards of quality for their products. The Central Government will extend support and assistance to trade and industry associations to launch a nationwide programme on quality awareness and to promote the concept of total quality management.

152. State-level programmes :—The Central Government will encourage and assist State Governments in launching a similar programme in their respective States, particularly for the small scale and handicraft sectors.

153 Rewards and benefits :—The Central Government will introduce a scheme to recognise and suitably reward manufacturers who have acquired the ISO 9000 (series) or the BIS 14000 (series) or any other internationally recognised equivalent certification of quality. Such manufacturers will be eligible for such benefits as may be notified in this behalf.

154. Test houses :—The Central Government will assist in the modernisation and upgradation of test houses and laboratories in order to bring them at par with international standards so that certification by such test houses and laboratories is recognised within the country and abroad.

CHAPTER XV

NEGATIVE LIST OF IMPORTS

PART I

155. Prohibited Items

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1	2	3
1.	Tallow, Fat and/or Oils, rendered, unrendered or otherwise, of any animal origin including the following : (i) Lard stearine, oleo stearine, tallow stearine, lard oil, oleo oil and tallow oil not emulsified or mixed or prepared in any way; (ii) Neat's-foot oil and fats from bone or waste; (iii) Poultry fats, rendered or solvent extracted; (iv) Fats and oils of fish/marine origin, whether or not refined, excluding cod liver oil, squid liver oil or a mixture thereof and Fish Lipid Oil containing Eicospentaenoic acid and Decosahexaenoic acid; and (v) Margarine, imitation lard and other prepared edible fats of animal origin.	Not permitted to be imported.
2.	Animal rennet	-do-
3.	Ivory unmanufactured	-do-

PART II

156. RESTRICTED ITEMS

A. CONSUMER GOODS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1	2	3
	All consumer goods, howsoever described, of industrial, agricultural, mineral or animal origin, whether in SKD/CKD condition or ready to assemble sets or in finished form.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.

1	2	3
	For the removal of doubts, it is hereby declared that consumer goods shall also include the following :	
1.	Consumer electronic goods, equipment and systems, howsoever described.	
2.	Consumer telecommunication equipment.	
3.	Watches in SKD CKD or assembled condition as well as movements (mechanical); watch cases; watch dials.	
4.	Cotton, woollen, Silk, man-made and blended fabrics including cotton Terry Towel fabrics.	
5.	Concentrates of alchoholic beverages.	
6.	Wines (tonic or medicated)	
7.	Saffron.	
8.	Cloves, Cinnamom and Cassia.	Import will be allowed against a licence subject to export obligation of twice the value of imports. The goods qualifying for export obligation shall be as specified.
9.	Sports goods/equipment	Import will be allowed against a Licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf
10.	Cameras	Import will be allowed against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf. Photographic Studios and accredited cameraman, accredited correspondents of foreign broadcasting or television organisations, foreign news agencies or foreign newspapers may be permitted to import in accordance with the specified conditions.
11.	Gifts of consumer goods	Charitable, religious or educational institutions and such persons as may be specified or otherwise approved by the Central Government may be permitted to import in accordance with the specified conditions.
	However, the following items shall be free importable although they may be regarded as Consumer goods :	
1.	All kinds of contraceptives.	
2.	All kinds of timber logs.	
3.	All types of Trimmings and embellishments, Basteners, Buttons, etc., for garments, made-ups, knitwear, plastic/leather goods.	
4.	Amateur radio communication equipment including kits, accessories, instruments, spares and components.	
5.	Art and Chrome paper/Board.	
6.	Asafoetida (Hing).	
7.	Audio-Visual News or Audio-Visual Views material including news clippings.	
8.	Bus and Truck tyres, all types.	
9.	Children's films (including video films) certified by the Central Board of Film Certification to be "Children's Films".	
10.	Computer Software.	

1	2	3
11.	Crude drugs required for making Ayurvedic and Unani medicines as notified. Import of jade, pearls and corals will be allowed only in powder form and of non-jewellery quality only.	
12.	Dipping Oil for treatment of grapes.	
13.	Drawing paper.	
14.	Drugs and Pharmaceuticals except those specified in Section G.	
15.	Dry fruits including almonds and dates.	
16.	Edible wax for waxing fresh fruits and vegetables.	
17.	Educational, scientific and technical books, journals, news magazines and newspapers.	
18.	Facsimile machine.	
19.	Finished rolls of cinematographic colour films (unexposed) positive.	
20.	Fish meal in powdered form.	
21.	Float Glass.	
22.	Grape Guard Paper.	
23.	Homoeopathic medicines and drugs.	
24.	Instruments and equipment required by the blind including Braille typewriters.	
25.	Jamdani Sarees.	
26.	Learning aids, such as language records, cassettes and videos.	
27.	Photo Copier.	
28.	Photographic films (black and white) other than 120 and 620 size rolls.	
29.	Photographic films (colour).	
30.	Prawn, shrimp and poultry feed.	
31.	Pulses. However, the import of any toxic pulses, such as, for example, Blache Fleur or Vicia Sativa is prohibited.	
32.	Raw cashewnut.	
33.	Rock salt.	
34.	Rudraksha beads.	
35.	Teaching aids, including, (i) Micro films, microfiches and reader-cum-printers, and (ii) Film strips/slides, audio cassettes, vedeo tapes and video discs of educational nature.	
36.	Wheat Gluten.	

B. PRECIOUS, SEMI-PRECIOUS AND OTHER STONES

Sl No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Cubic Zirconia.	Import permitted for export against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Stones : (a) Rough diamonds; (b) Synthetic stones finished or unworked (other than synthetic ruby unworked); and (c) Emerald/rubies and sapphires, semi-precious and precious stones and pearls (real or cultured).	-do-
3.	Granite, porphyry, basalt, sand stone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs.	-do-
4.	Marble, travertine, ecaussine and other calcaeous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs.	-do-
5.	Onyx.	-do-

C. SAFETY, SECURITY AND RELATED ITEMS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1	2	3
1.	Paper for security printing, currency paper, stamp paper and other special types of paper.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Empty/discharged cartridges of all bores/sizes.	-do-
3.	Fire arms.	Not permitted to be imported except against a licence by renowned shooters/Rifle Clubs for their own use on the recommendation of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India.
4.	Ammunition.	Import permitted against a licence by (i) Renowned shooters/Rifle Clubs for their own use on the recommendation of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India; and (ii) Licensed arms dealers for the specified type of ammunition subject to such conditions as may be specified.
5.	Explosives.	Government Departments and Public Sector undertakings, on the recommendation of the Controller of Explosives, Government of India, may be permitted to import.

1	2	3
6.	Chloro Fluoro Hydro Carbons (Freon Gases).	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
7.	(i) $CFCl_3$—(CFC-11)—Trichloro fluoro methane. (ii) CF_2-CL_2-(CFC-12 · Dichloro difluoro methane. (iii) C_2-F_3-Cl_3-(CFC-113)-1, 1, 2 trichloro trifluoro methane. (iv) $C_2F_4Cl_2$-)CFC-114)-1,2Di-chloro tetrafluuoro ethade (v) C_2F_5Cl - (CFC-115) - Chloro pentafluoro ethane (vi) CF_2-BrCl-(halon 1211)-Bromochloro difluoro methane. (vii) CF_3-Br-(halon-1301)-Bromotrifluoro methane. (viii) C_2-F_4-Br_2 - (halon-2402)-Dibromo tetrafluoro ethane.	Import is permitted without a licence provided the imports is made from a country which is a Party to the 'Montreal Protocol On Substanc s that Deplete the Ozone Layer'. List of the countries which are Parties to the Montreal Protocol will be notified by Director General of Foreign Trade from time to time. However, import from countries which are not Parties to the Montreal Protocol is prohibited.

D. SEEDS, PLANTS AND ANIMALS

Sl. No.	Description of items	Naure of restriction.
1	2	3
1.	Animals, Birds and Reptiles	Import permitted against a licence to Zoos and Zoological parks, recognised scientific/research institutions, circus companies, private individuals, on the recommendation of the Chief Wild Life Warden of a State Government subject to the provisions of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
2.	Stallions and Broodmares	Import permitted against a licence on the recommendation of the Director, Animal Husbandry and Veterinary Services of a State Government.
3.	Livestock (excluding equine), Purcline stocks, birds' eggs, frozen semen/embryo, Parent stock (poultry) and Commercial chicks.	Import permitted against a licence on the recommendation of the Department of Agriculture and Co-operation, Government of India.
4.	Plants, fruits and seeds.	(a) Import of seeds of wheat, paddy, coarse cereals, pulses, oil-seeds and fodder for sowing is permitted without a licence subject to fulfilment of the provisions of the New Policy on Seed Development, 1988 and in accordance with a permit for import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1989. (b) Import of seeds of vegetables, flowers, fruits and plants, tubers and bulbs of flowers, cutting sapling, budwood, etc., of flowers and fruits for sowing or planting is permitted without a licence in accordance with a permit for import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1989. (c) Import of seeds, fruits and plants for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with a Public Notice in this behalf.

E. INSECTICIDES AND PESTICIDES

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Any pesticide, insecticide, weedicide, herbicide, rodenticide and miticide, which has not been registered or which is prohibited for import under the Insecticides Act, 1969 and formulations thereof.	Not permitted to be imported.
2.	DDT-Technical 75 Wdp.	Import permitted against a licence or in accordance with a Public Notice Issued in this behalf.

F. ELECTRONIC ITEMS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Cathode ray tubes, the following :— 20" and 21" size colour T.V. picture tubes, sub-assembly thereof and assembly containing colour T.V. picture tube.	Import permitted against a licence or in accordance with a Public Notice Issued in this behalf,
2.	Integrated circuits, devices and chips for clocks and time pieces, except sound producing (musical/ striking/melody) integrated circuits.	-do-
3.	Populated, loaded or stuffed printed circuit boards.	-do-
4.	Single sided printed circuit boards of thickness 0.8mm and above.	-do-
5.	Double sided printed circuit boards with or without Plated Through Hole (PTH).	-do-
6.	Audio magnetic tapes in all forms excluding 35 mm and 16 mm sprocketed tapes.	-do-
7.	Video magnetic tapes in hubs and reels, rolls, pancakes, jumbo rolls-in-all forms.	-do-
8.	Computer systems, including personal computers, upto a CIF value of Rs. 1.50 lakhs or keyboards or monitors, each with a CIF value of below Rs. 7,500/- For this purpose, a computer system will consist of a single CPU including one keyboard and monitor and inbuilt peripherals but excluding any add on peripherals.	-do-

G. DRUGS & PHARMACEUTICALS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1	2	3
1.	All types of Penicillin.	Imports permitted against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	6-APA	-do-
3.	Tetracycline/Oxytetracycline and their salts.	-do-
4.	Gentamycin Sulphate.	-do-
5.	Streptomycin.	-do-

1	2	3
6.	Rifampicin.	-do-
7.	Intermediates of Rifampicin, namely (i) 3 Formlyl Rifa S.V.; (ii) Rifa/S/Rifa S Sodium; and (iii) 1-Amino-4 Methyl Piperazine.	-do-
8.	Vitamin B.1, Vitamin B.2 and their salts.	-do-
9.	Vitamin B. 12.	-do-

H. CHEMICALS AND ALLIED ITEMS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Allyl Isothiocyanate.	Import permitted against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Capacitor fluids—PCB type.	-do-

I. ITEMS RELATING TO THE SMALL SCALE SECTOR

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Copper oxychloride	Import permitted against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Dimethyl Sulphate.	-do-
3.	NDNPT (Dinitroso Pentamethylene tetramine).	-do-
4.	Flavouring essences—all types (including those for liquors).	-do-
5.	Niacin/Nicotinic Acid/Niacinamide/Nicotinamide/ Acidemide.	-do-
6.	Mixtures of odoriferous substances/mixtures of resinoids.	-do-
7.	Phthalate Plasticsers.	-do-
8.	Perfumery compounds/synthetic essential oils	-do-
9.	Lead and rule cutters.	-do-
10.	Mounting tables.	-do-
11.	Paper cutting knives of all sizes.	-do-
12.	Paper cutting machines, excluding machines with devices such as automatic programme cutting of three knife trimmers	-do-
13	Wire stitching machines single headed	-do-
14.	Drawing and Mathematical Instruments.	-do-
15.	Domestic water meters.	-do-
16.	All types of dumpy levels/engineer's levels/builder's levels (not automatic) and quick set levels with or without horizontal circles.	-do-

J. MISCELLANEOUS ITEMS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1	2	3
1.	Aircraft and helicopters.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Ships, trawlers, boats and other water transport crafts.	-do-
3.	Commercial and Passenger automobile vehicles, including two wheelers, three wheelers and personal type vehicles.	-do-
4.	Gold in any form including Liquid Gold.	-do-
5.	Coir (fibre/yarn/fabrics).	-do-
6.	Newsprint.	Permitted to be imported against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
7.	Raw cotton and cotton yarn.	-do-
8.	Raw silk.	-do-
9.	Polyester staple fibre/tow.	-do-
10.	Natural Rubber.	-do-
11.	Diesel generating sets upto 1500 KVA (excuding DG sets with nobreak system).	-do-
12.	Electric portable generators upto 3.5 KVA.	-do-
13.	Radio active material.	Permitted to be imported on the recommendation of Department of Atomic Energy.
14.	Rare earth oxides including rutile sand.	-do-
15.	Cinematograph feature films and video films.	Import will be permitted by : (a) National Film Archives of India, Film and Television Institute of India and Children's Film Society of India; (b) by others subject to such conditions sa may be specified in this behalf.
16.	Crude Palm Stearin.	Permitted to be imported against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
17.	Feed grade maize (i.e. maize unfit for human consumption but fit for use as poultry or animal feed).	Import will be permitted without actual user condition by any person subject to registration of the import contract/Letter of Credit with NAFED.

1	2	3
18.	Naptha	Import permitted without a licence subject to the condition that the importer shall sell the return stream of naphtha to crude oil refineries only. The sale will be on commercial terms as may be settled, between the importer and the refinery. However, the importer may use the return stream as an industrial feed stock for his own captive consumption but the balance left, if any, shall be sold to crude oil refineries only.
19.	Silver in any form.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
20.	Spinnerettes made mainly of gold.	Import permitted against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.

K. SPECIAL CATEGORIES

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Special items required by hotels, restaurants, travel agents and tour operators.	Import permitted against a licence on the recommendation of the Director General of Tourism, Government of India or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Special items required by sports and recreational bodies.	Import permitted against a licence for meeting essnential import requirements. Items qualifying for import and conditions of such imports shall be as specified.

PART III

157. CANALISED ITEMS

Sl. No.	Description of items	Canalising Agency
1	2	3
1.	Petroleum products, namely, (a) Aviation Turbine fuel; (b) Crude Oil; (c) Kerosene; (d) Liquified Petroleum Gas (LPG); (e) Motor Spirit; (f) Bitumen (asphalt)-Paving Grade; (g) Furnace Oil; and (h) High Speed Diesel.	Indian Oil Corporation Limited.
2.	All types of nitrogenous, phosphatic, potassic and complex chemical fertilisers except Di-Ammonium Phosphate (DAP).	Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited.

1	2	3
3.	Oils (Coconut Oil Ground Oil, Safflower Oil, Palm Oil (all types, including palmolein and other fractions), Rapeseed Oil, Sunflower Oil, Soya bean Oil, Cotton Seed Oil).	The State Trading Corporation of India Limited and Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited.
4.	Seeds (Copra, Groundnut, Palm, Rapeseed, Safflower, Soyabean, Sunflower, Cotton).	-do-
5.	All other oils or seeds or any other material from which oil can be extracted (whether edible or non-edible) including vegetable fats not specifically mentioned above or elsewhere in this Policy (but excluding tung oil/China wood oil and natural essential oils).	-do-
6.	Palm Stearin, excluding Crude Palm Stearin; Palm Kernal Oil; and Tallow Amines of all types.	The State Trading Corporation of India Limited.
7.	Cereals, excluding feed grade maize (i.e. maize unfit for human consumption but fit for use as poultry or animal feed).	Food Corporation of India.

CHAPTER XVI

NEGATIVE LIST OF EXPORTS

PART I

158. PROHIBITED ITEMS

Sl No.	Description of items
1	All forms of wild life including their parts and products
2.	Exotic birds
3.	All items of wild flora included in Appendix I of the Convention on international Trade in Endangered Species, as well as, wild orchids
4.	Beef
5.	Human skeletons
6.	Tallow, fat and/or oils of any animal origin excluding fish oil
7.	Wood and wood products in the form of logs, timber, stumps, roots, barks, chips, powder, flakes, dust, pulp and charcoal
8.	Chemicals included in Schedule 1 of the Chemical Weapons Convention of the United Nations, as specified in the Public Notice issued by the Director General of Foreign Trade.
9.	Sandalwood in any form, but excluding fully finished handicrafts made out of sandalwood and machine finished sandalwood products.
10.	Red Sanders wood in any form, whether raw, processed or unprocessed as well as any product made thereof.

PART II

159. EXPORTS PERMITTED SUBJECT TO LICENSING

Sl. No.	Description of items
1	2
1.	Beche-de-mer of sizes below 3 inches
2.	Cattle
3.	Camel
4.	(i) Chemical fertilizers, all types, including super-phosphate (ii) Micronutrient fertilizers and mixtures thereof containing NPK, excluding those specified in schedule 1, Part A 1(f) of Fertilizers (Control) Order 1985.
5.	Dress materials/readymade garments fabrics/textile items with imprints of excerpts or verses of the Holy Quran
6.	Deoiled groundnut cakes containing more than 1% oil and groundnut expeller cakes
7.	Fresh and frozen silver pomfrets of weight less than 300 gms.
8.	Fur of domestic animals, excluding lamb fur skin.
9.	Fodder, including wheat and rice straw.
10.	Hides and skins, namely :— (i) Cuttings and fleshing of hides and skins used as raw materials for manufacture of animal glue gelatine. (ii) Raw hides and skins, all types excluding lamb fur skin. (iii) All categories of semi-processed hides and skins including E.1. tanned and wet blue hides and skins and crust leather. (iv) Clothing leather fur sueder/hair, hair-on suede/shearing suede leathers. (v) Fur leathers. (vi) Industrial leathers, namely :— 1. Cycle saddle leathers. 2. Hydraulic/packing/belting/harness/washer/leathers. 3. Pickling band leathers. 4. Strap/combing leathers (vii) Lining leathers namely :— 1. Lining suede from cow and buffalo hides and calf skins 2. Lining suede from goat, kid, lamb and sheep skins (viii) Luggage leathers—case hide or side/suit case/hand bag/luggage/cash bag leather. (i) Miscellaneous leathers, namely :— 1. Book binding leathers 2. Skiver leathers 3. Transistor case/camera case leather (x) Shoe upper leathers, namely :— 1. Bunwar leather 2. Kattai slipper/sandal leather (xi) Sole leather chrome tanned sole leather
11.	Horses—Kathiawari, Marwari and Manipuri breeds

1	2
12.	Metals and their compounds, namely :— (i) Beryllium and its compounds (ii) Lithium and its compounds (iii) Neptunium and its compounds (iv) Plutonium and its compounds (v) Thorium and its compounds (vi) Uranium and its compounds (vii) Zirconium and its compounds (viii) Deuterium compounds (ix) Hafnium (x) Niobium (xi) Articles made of metals, including waste and scrap, mentioned in S. No. (ix) to (x) above. (xii) Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations with nickel or nickel compounds as active substance. (xiii) Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified (xiv) Reaction initiatorts, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included, with precious metal compounds as active substance.
13.	Minerals, ores and concentrate, namely :— (i) Chrome ores, other than (a) beneficiated chrome ore fines/concentrated and (b) those mentioned in Part-III (ii) Uranium ores and concentrates (iii) Lumpy/blended manganese ore with more than 46% manganese
14.	Milk, baby milk and st rilised liquid milk
15.	Pasewa and any lac containing living insects; Stickaac; Broodlac
16.	Pulses, all types, including lentils, grams, beans and flour made therefrom
17.	Processed pulses other than those made out of the pulses imported under the Duty Exemption Scheme or by an EOU/Unit in the EPZ
18.	Paddy (Rice in husk)
19.	Rice bran, raw and boiled
20.	Seeds and planting materials namely : Castor seeds; cotton seeds; cashew seeds and plants; Egyptian clover (Barseem)-Trifolium alaxtum seeds; Fodder crop seeds; Green manure seeds other than Dhaincha; guar seeds (whole) ; Jute seeds; linseeds; lemongrass seeds and roots; lucerne (alfalfa) medicage sativa; mustard seeds; mesta seeds; Nux vomica seeds/bark/lleaves/roots and powder thereof; onion seeds; seeds of ornamental plant (wild variety); paddy seeds (wild variety); pepper cuttings of rooted cuttings of pepper; Persian clover (Snaftel trifolium resupinatum) seeds; rape seed; red sanders seeds (Pterocarpus santalinus); rubber seed russa grass seeds and tufts; seeds of all forstry species; seeds of all oil seeds and pulses; soyabean seeds; sandalwood seeds (Santalum album); saffron seeds or corms (planting material for saffron); wheat seeds (wild variety)
21.	Sea shells, excluding polished sea shells and handicrafts made out of sea shells, of all species, except those of the undermentioned species the export of which shall not be allowed in any form : (i) Trochus niloticos (ii) Turbo species (iii) Lambis species (iv) Tridacna gigas (v) Xancus pyrus

1	2
22.	Sea weeds of all types, including G. edulis but excluding brown sea weeds and agarophytes of Tamil Nadu coast origin in processed form.
23.	Silk worms; silkworm seeds, and silk worm cocoons.
24.	Vegetable oils namely :— Coconut oil; cotton seed oil; corn oil; groundnut oil; kardi oil; linseed oil; mustard oil; niger seed oil; palm oil; palm kernel oil; rape seed oil; rice bran oil; salad oil; sunflower oil; sesame seed oil; soyabean oil.
25.	(i) Vintage motor cars, parts and components thereof manufactured piror to 1.1.1950. (ii) Vintage motorcycles, parts and components thereof manufactured prior to 1-1-1940.
26.	Viscose staple fibre (regular), excluding high performance viscose staple fibre.
27.	Whole human blood plasma and all products derived from human blood except gamma globulin and all human serum albumin manufactured from human placenta and human placental blood; raw placenta; Placental blood plasma.
28.	Waste paper
29.	Chemicals included in Schedules 2 & 3 to the Chemical Weapons Convention of the United Nations, as specified in the Public Notice issued by the Director General of Foreign Trade.

160. DELETED.

PART III

161. EXPORTS PERMITTED THROUGH CANALISING AGENCIES

The Canalising Agencies mentioned in Column 3 may export to any country the items as per the table below, subject to the provisions of the Policy :—

Sl. No.	Description of items	Canalising Agency
1	2	3
1.	Petroleum products, namely :— (i) Aviation trurbine fuel (ii) Bitumen (asphalt) paving grades (iii) Crude oil (iv) Furnace oil (v) High speed diesel (vi) Kerosene (vii) Liquified petroleum gas (LPG) (viii) Motor spirit (ix) Naptha (x) Raw petroleum coke	Indian Oil Corporation Limited.
2.	Gum Karaya	The Tribal Cooperative Marketing Federation of India Limited (TRIFED), New Delhi.
3.	Mica waste (including factory cuttings) and scrap which is obtained by processing mica and which because of size and colour is considered below the specification of processed mica.	Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited, (MMTC) New Delhi and Mica Trading Corporation of India Limited, Bihar.

1	2	3
4.	Minerals ores and concentrates, namely :—	
	(i) Thorium ores, concentrates and compounds thereof	Indian Rare Earths Limited, Bombay.
	(ii) Rare Earths (including Yttrium) ores, concentrates and compounds thereof.	-do-
	(iii) Other minerals containing the following substances as accessory ingredients including :—	Indian Rare Earths Limited, Bombay and Kerala Minerals and Metals Limited, Kollam.
	(a) Columbite	
	(b) Monazite	
	(c) Samerskite	
	(d) Uraniferrous allanite :—	
	(1) Radium ores and concentrates	
	(2) Thorium ores and concentrates	
	(3) Uranium ores and concentrates	
	(4) Uranium bearing tailings left over from ores after extraction of copper or gold	
	(5) Zircon ores and concentrates	
	(6) Titanium ores and concentrates (ilmenite, rutile, loucexene, etc.)	
	(iv) Granular sillimanite produced by Indian Rare Earths Limited and Kerala Minerals and Metals Limited.	—do—
	(v) Iron ore.	MMTC
	However, export of the following types of Iron ore are not canalised :—	
	(a) Iron ore of Goa origin when exported to China, Europe, Japan, South Korea and Taiwan.	
	(b) Iron ore of Redi origin to all markets.	
	(vi) (a) Chrome ore lumps with Cr_2O_3 not exceeding 38 per cent	
	(b) Low silica friable/fine ore with Cr_2O_3 not exceeding 52 per cent and Silica exceeding 4 per cent.	
	(vii) All grades of bauxite, except calcined bauxite and low grade bauxite with alumina content Al_2O_3 less than 54 per cent of West coasts origin	—do—
	(viii) Manganese Ores excluding the following :—	
	Lumpy blended Manganese ore with mnre than 46 per cent Manganese	—do—
5.	Niger Seeds	(i) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., (NAFED), New Delhi.
		(ii) TRIFED.
6.	Onions	NAFED.
7.	Powder Milk (skimmed or full cream)/whole or infant milk food	NDDB, ANAND.

1	2	3
8.	Pure milk ghee	-do-
9.	Butter	-do-
162.	Deleted.	

APPENDIX I

IMPORT REPLENISHMENT FOR GEM AND JEWELLERY

General Note :

(1) Necklaces strung or threaded, with cut and polished precious/semiprecious Stones/Polished and Processed Pearls will also fall under respective entries below an replenishment allowed accordingly, provided the value of metal fittings, namely, clips, Clarps, Pins, Hooks etc. is negligible and such value is excluded.

(2) Exports of Gem and Jewellery items to Rupee Payment Area will qualify for the grant of Replenishment Licences valid for Imports only from the Rupee Payment Area.

Sl. No.	Export Product	Import Replenishment Percentage of FOB	Materials permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Polished, Processed Pearls (Real or Cultured).	65.00	01 Real Cultured Pearls Unset/Undrilled.	
2.1	Cut & Polished Diamonds (With per carat realistion upto US $ 60 FOB). i	65.00	01 Diamonds Unset and Uncut. 02 Special Industrial Adhesives/Gums/ Solutions used in Gem and Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%).	
2.2	Cut Polished Diamonds (with per carat realisation of more than US $ 260 and upto US $ & 350 FOB).	70.00	01 Diamonds Unset and Uncut. 02 Special Industrial Adhesives/Gums/ Solutions used in Gem and Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%)	
2.3	Cut Polished Diamonds (With per carat realisation of more than US $ 350 and upto US $ 400 FOB). i i	75.00	01 Diamonds Unset and Uncut. 02 Special Industrial Adhesives/Gums/ Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.4	Cut & Polished Diamonds (With per carat realisation of more than US $ 400 FOB)	82.50	01 Diamonds Unset and Uncut 02 Special Industrial Adhesives/Gums/ Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%)	
2.5	Cut & Polished Diamonds (With per carat realisation of more than US $ 575 FOB)	90.00	01 Diamonds Unset and Uncut 02 Special Industrial Adhesives/Gums/ Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%)	
3.1	Cut and Polished Emeralds/ Rubies/Sapphires (With per carat realisation of US $ 350 and upto US $ 600 FOB).	80.00	01 Emeralds uncut & unset 02 Rubies uncut & unset 03 Sapphires uncut & unset 04 Precious stones unset including tumbled/ broken/sliced/damaged form.	
3.2	(i) Cut & Polished precious stones and semi-precious stones including cut and polished semi-precious stones from tumbled/ broken/sliced/damaged rough semi precious stones, not covered by S.No. 3.1 of less than US $ 350 per carat FOB.	60.00	01 Precious or semi-precious stones unset & uncut. 02 Rough semi-precious stones in tunmbled/ broken/sliced/damaged form.	
	(ii) Cut & Polished Coral	65.00	01 Coral unprepared, or coral sticks not cut to any shape or size.	
	(iii) Cut & Polished precious stones (when per carat FOB is US $ 600 and above).	90.00	01 Emeralds uncut & unset 02 Rubies uncut & unset 03 Sapphires uncut & unset 04 Precious stones unset including in tumbled/ broken/sliced/damaged form.	
3.3	Cut & Polished Onyx.	50.00	01 Sliced Onyx.	
4.	Jewellery containing palladium and studded/strung with diamonds, Precious or semi-precious stones, real or cultured pearls, synthetic/	65.00	01 Diamonds uncut & unset 02 Precious or Semi-precious stones unset and uncut. 03 Real or Cultured Pearls	(1) Studded/Strung Jewellery containing Synthetic or limitation stones exceeding 10% of the value of jewellery excluding the

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	imitation stones provided the value of synthetic/ imitation stones does not exceed 10% of the FOB value of Jewellery excluding the value of metal.		unset/undrilled 04 Rough Semi-Precious Stones in tumbled/ broken/sliced/damaged form. 05 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	value of metal, in addition to the Diamonds, precious or semi-precious stones and/or Pearls are excluded from the scope of this Export Product. (2) Precious Metal Jewellery as described under Col 2 will be covered under S. No. 4 provided the value of precious metal i.e. Palladium is not less than 70% of total value of metal used therein or studded jewellery containing in whole or in part, metal other than Palladium and studded/strung with diamonds, pearls, precious/ semi-precious stones will also be grouped under S. No. 4 for the purpose of import replenishment provided the value of the studdings/stringings amount to 90% or above of the total FOB value. (3) For the purposes of determining the FOB value of the studdings in jewellery, namely, the value of cut and polished diamonds and/or precious and semi-preeious stones and/or finished pearls as per the declaration of the exporter duly scrutinised and appraised by cusmos will be taken into account. (4) Replenishment of diamonds uncut and unset precious/ semi-precious stones, uncut & unset real or cultured pearls, unset/undrilled shall be allowed in proportion to the FOB value content of diamonds, uncut.

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
					and unset, precious or semi-precious stones unset and unset and real or cultured pearls [illegible] undrilled respectively used, as contained in the exported product, as declared by the exporter and duly attested by the customs in the invoice No interchangeability of the aforesaid studying materials inter-se shall be allowed
5.	Cut or polished synthetic stones	60.00	01 02	Rough synthetic stones Cubic zirconia	(1) Production of customs attested invoices is not required for claiming Replenishment.
6.1	Imitation Jewellery/costume jewellery studded or strung with synthetic/imitation stones/plastic beads, wooden beads, glass beads, false pearls, glass chatons etc	30.00	01 02 03 04 05	Glass beads, false pearls & glass chatons/glass chatons in stock lots. Rough synthetic stones Metal fittings, findings, components & accessories required for imitation jewellery Cubic zirconia. Empty Jewellery Boxes (1.00%)	(1) Only jewellery made of metals other than precious metals referred to in S No 4 will be covered by this entry In other words, only jewellery made of base metal like aluminium, copper, brass etc. and studded/strung with synthetic/imitation stones/ plastic beads, wooden beads, etc. would fall under this S. No. Base metal imitation jewellery studded/strung with semi-precious stones will also fall under this S No. (2) Production of customs attested invoices is not required while claiming replenishment. (3) Cuff Links (including brass cuff links) studded with synthetic/imitation stones, decorated cuff links and gold plated cuff links will also fall under this S. No.
6.2	Imitation jewellery/costume jewellery plain (other than those specified under S. No. 6.1.).	10.00	01 02	Metal fittings, findings, components & accessories required for imitation jewellery. Empty Jewellery Boxes (1.00%)	(1) Jhumka, Rings, Finger rings, belts, necklaces, Ghungroos etc. made of base metals such as Aluminium and "Gillet" will also fall under this S. No. Brass Cuff Links other than those covered by S. No. 6.1 will also fall under the S. No.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) Production of customs attested invoices is not required while claiming replenishment.
6.3	Silver Filigree and Silver Filigree Jewellery	10.00	01 Metal Fittings 02 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	
6.4	Jewellery made of palladium and studded with synthetic/ imitation glass, stones, chatons, beads, false pearls, etc. with or without diamonds, precious stones, semi-precious stones, real/cultured pearls.	30.00	01 Glass Beads, False pearls & glass chatons/ glass chatons in stock lots. 02 Rough synthetic stones 03 Cubic Zirconia 04 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	(1) The price of palladium will be excluded from the FOB value while calculating replenishment. (2) This S. No. will also cover articles studded with synthetic imitation glass stones, chaton beads, false pearls with or without diamonds, precious stones, semi-precious stones, real/ cultured pearls.

APPENDIX-II

MINIMUM VALUE ADDITION REQUIREMENT FOR CERTAIN ITEMS

I. ELECTRONICS	
(a) Computer software	60%
(b) Electronic hardware including blank video cassettes, Consumer electronics and telecommunication equipments	15%
II. TEXTILES	
(a) Readymade garments	40%
(b) Made-ups	30%
(c) Cotton yarn and cotton polyester yarn (ring spindles spun)	30%
(d) Cotton yarn and cotton polyester yarn (open-end spinning)	30%
(e) Piece goods	30%
(f) Denim fabrics	30%
(g) Terry towels	30%
(h) Silk fabrics	30%
III. LEATHER PRODUCTS	
(a) Leather footwear	30%
(b) Leather shoe uppers	30%
(c) Leather garments/goods	30%
(d) Sports shoes/sports footwear	30%
IV. GEM & JEWELLERY	
(a) Plain gold jewellery	10%
(b) Studded gold jewellery	15%
(c) Silver jewellery	25%

V. OTHERS

(a) Latex gloves	40%
(b) Granite	50%
(c) Test and measuring instruments; Industries/control valves, photocopiers and medical and scientific instruments	20%
(d) Clocks/Time pieces/wrist watches	30%
(e) Cigarettes	35%
(f) Cigarette lighters	40%
(g) Bristles, including brushes	30%
(h) Tissue culture plants	60%

APPENDIX-III

(Vide Para 25)

List of Sectors where import of second hand Capital Goods may be made without a licence :

(1) Automotive Components

(2) Ceramics

(3) Dye-stuffs

(4) Electric Lamps

(5) Electronic Components

(6) Food Processing

(7) Forged hand tools

(8) Garments/Hosiery/Made-ups (of all fibres)

(9) Glass and Glassware including vaccum flask

(10) Lether processing/Leather finishing/Leather goods manufacturing/Leather apparel manufacturing

(11) Leather, Rubber and Canvas footwear

(12) Oil field services

(13) Packaging and Packaging material excluding HDPE/PP Tape Woven Fabric and Sack Industry

(14) Printing and allied processes

(15) Refractories

(16) Rubber goods (including moulds for tyres)

(17) Sea food

(18) Sports goods

(19) Textiles including Textile Processing

(20) Writing instruments

(21) Any other sector as may be specified by a Public Notice

EXPORT AND IMPORT POLICY 1992-97

INDEX

Description	Relevant Para No. in Policy	Relevant Para No. in Hand Book
C		
Capital Goods	22	23
Second Hand C.G.	25	41
Second Hand Goods other than C.G.	29	27
Import on re-export basis	30	84
Repairs abroad and re-import	31	..
Import of used Construction Machinery	33	..
Import under Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme	37	100
Second Hand	40	100
Computer Systems	44	100
Components and goods in SKD and CKD conditions	46	100
Service Sectors	46-A	106-A
Councils		
Role, functions etc.	143	219
Registration Cum-Membership Certificate (RCMC)	124	219
D		
Deemed Export		
Benefits	122	198
Categories of Supply	121	200
Duty Exemption Scheme		
Advance Licensing		
Value based	49	110
Quantity based	50	111
Intermediate Licence	55	112
Under Production Programme	62	115A
Gold, Silver Jewellery & Articles	72	108
Advance CCP	58	115
Advance Release Orders	64	116
Self Declared Passbook Scheme	54	114
Special Imprest Licence	56	108
Duty Drawback	71	..
Input Output Norms	51	Vol. II of H.B
Transferability of Licences/Materials	67	127
E		
Export Oriented Unit (EOU) and Export Processing Zone (EPZ) Schemes		
Automatic approvals	100	162
Benefits for EPZ/EOU Units	108	165
Benefits for supplies from DTA	106	188
Bonding / Debonding of Units	116	177

Description	Relevant Para No. in Policy	Relevant Para No. in Hand Book
Conversion of DTA Unit into an EOU	118	159
Disposal of Scrap	114	190
Sales to DTA Units	102	181
Exports through Export/Trading/Star Trading Houses	104	187
Inter-Unit transfer	109	..
Importability of goods	94	165
Leasing of Capital goods	96	173
Private bonded ware house	115	191
Second Hand Capital goods	95	169
Export/Trading/Star Trading House		
Criteria for renewal	136	211
Criteria for recognition	137	211
Validity period of Export/Trading /Star Trading House Certificate	141	
Exports		
Denomination of contracts	126	231
Free exports	123	204
Gifts	131	209
Spares	132	209
Personal baggage	129	..
Ship stores	130	209
Re-exports	128	227
Transit facility	133	..
Export items		
Prohibited Items	158	204
Beef		
Chemicals		
Exotic Birds		
Human Skeleton		
Red Sanders wood		
Sandal wood excluding finished handicrafts		
Tallow, fat & Oils		
Wild-Life—All forms including their parts and products		
Wood & Wood Products		
Exports against Licensing	159	205
Beche-de-mer		
Cattle		
Camel		
Chemicals		
Chemical Fertilizers		
Fur		

Description	Relevant Para No. in Policy	Relevant Para No. in Hand Book
Fodder		
Hides and Skins		
Horses		
Metals & their compounds		
Minerals, Ores & Concentrates		
Milk		
Pulses, all types		
Paddy (Rice in husk)		
Rice-bran		
Seeds and Planting materials		
Silk Worms		
Textile items		
Vegetable Oils		
Vintage Motor Cars and Motor Cycles		
Viscose staple fibre		
Whole human blood plasma		
Waste paper		
Exports through Canalising Agencies	160	206
Petroleum products		
Butter		
Gum Karaya		
Mica Waste		
Minerals Ores and Concentrates		
Niger Seeds		
Onions		
Powder Milk		
Pure Milk Ghee		
G		
General Provisions—Imports & Exports		
Canalisation	17	..
Complaints of quality	21A	
Definitions	7	5
Debitting imports	..	231
Exemption from Policy/Procedure	21	..
IEC Code No.	18	7
Interpretation of Policy	20	
Negative lists	10	13
Objectives	6	3
Powers for amendments in :		
Policy	3	..
Procedure	16	1
Terms and Conditions for Licence	13	16

Description	Relevant Para No. in Policy	Relevant Para No. in Hand Book
Transitional Arrangements	4	2
Validity Period :		
Import Licences	14	19
Export Licences	14	20
Gifts	34	56
Gem & Jewellery and Diamond Export Promotion Schemes		
Diamond & DTC Imprest Licence	80	133
Gold, Silver & Platinum Jewellery	86	152
Import Replenishment for Gem & Jewellery	79	148
I		
Imports		
Free Importability for Capital goods, raw material, Components, Consumbmables, etc.	22	23
Labels	22	96
Prototypes/Samples	22	98
Items not to be treated as consumer goods	156	
Books/Journals/News Magazines		32
Children's Films		
Computer Software		
Contraceptives		
Crude Drugs		
Drugs & Pharmaceuticals (except those mentioned in Section G)		
Dry Fruits including almonds and dates		
Fascimile Machine		
Finished rolls of cinamatographic colour films (unexposed) positive		
Float Glass		
Homoeopathic medicines/drugs		
Learning aids		
Medical Equipments		
Photocopier		
Pulses		
Raw Cashewnut		
Rudraksha beads		
Teaching aids		
Timber logs		
Tyres (Bus and Truck)		
Negative List of Imports		
Prohibitted items	155	
Animal rennet		
Ivory unmanufactured		
Tallow, Fat and Oils		

Description	Relevant Para No. in Policy	Relevant Para No. in Hand Book
Restricted Items	156	
Aircraft & Helicopters		94
Ammunition		39
Animals, Birds & Reptiles		
Automobile vehicles—Commercial & passenger		82
Cameras		34
Cinematographic Colour Film Rolls		81
Cloves, Cinnamon & Cassia		28
Coir (fibre/Yarn/fabrics)		
Colour T.V. Picture Tubes		
Consumer Goods (including consumer durables)		26
Consumer electronic goods		
Consumer telecommunication equipments		
Drugs & Pharmaceuticals		
Electronic items		91
Fabrics—cotton, woollen, silk & blended		
Fire Arms		
Flavouring essences—all types		
Gifts of consumer goods		56
Gold		
Hotels-Spl. Items		44
Insecticides, Pesticides		
Natural rubber		
Naphtha		
Newsprint		93
Penicillin, all types		
Plants, fruits and seeds		70
Polyster Staple Fibre		
Precious, Semi-Precious stones		
Printed Circuit Boards		
Raw cotton and cotton Yarn		
Raw Silk		
Refampicin		
Ships and trawlers		78
Silver		
Sports goods/Equipment		
Stallions & Broodmares		
Travel/Agents/Tour Operators-Special items		45
Wines		

Description	Relevant Para No. in Policy	Relevant Para No. in Hand Book
Canalised items	157	
Cereals		
Fertilizers		
Oils (edible)		
Palm Stearin		
Petroleum Products		
Seeds (copra, groundnut, rapeseed, safflower, soyabeen, sunflower, cotton).		
Q		
Quality	151	226
S		
Sale on High Seas	35	
Special Import Licence		
Export/Trading/Star Trading Houses	142	
Quality	153	236
Restricted items		91
T		
Trade with neighbouring countries	36	

N.B. : Items of import and export given in this list are only illustrative. For full list, please see Negative lists of Imports and Exports.

Index-6

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993